लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
4-8-94
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण
3 मार्च, 1970 । 12 फाल्गुन, 1891 (शक)
का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
XX	पंक्ति 4, 'लेवा' के स्थान पर 'लेखा' पढ़िये ।
177	पंक्ति 5, ' Vikey ' के स्थान पर 'Uikey ' पढ़िये

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—10, मंगलवार, 3 मार्च, 1970/12 फाल्गुन, 1891 (शक)

No.—10, Tuesday March, 3 1970/12 Phalguna, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. केरल में बिजली से चलने वाली गाड़ियां	Introduction of Electric Trains in Kerala	1—3
183. लघु उद्योग क्षेत्र के लिये वस्तुओं का आरक्षण	Reservation of Items for Small Scale Sector	3—10
184. हिंसात्मक घटनाओं के कारण रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Loss to Railway Property due to Violence	10—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S, Q. Nos.		
182. औद्योगिक माल की बढ़ती हुई मांग के अनुसार उत्पादन नीति	Production Strategy to meet Growing Demand for Industrial Goods	15
185. अन्य देशों में भारत ब्रिटिश संयुक्त उपक्रम	Indo-British Joint Venturers in Third Countries	15—16
186. रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन में वृद्धि	Increase in Output at Rourkela Steel Plant	16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
187.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मुस्लिम कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarters for Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation	16—17
188.	ढलाई उद्योग के लिये कच्चे लोहे की कमी	Shortage of Pig iron for Foundary Industry	17
189.	मैसर्स टर्नर मोरिषन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	M/s Turner Morrison and Company, Calcutta	17—19
190.	रानाघाट लालगोला सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर अनधिकृत रेलवे स्टेशन	Unauthorised Railway Stations on Ranaghat Lalgola Section (Eastern Railway)	19—20
191.	कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक	Remuneration of Directors of Companies	20
192.	मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Hind Galavanising and Engineering Co. (P) Ltd.	20—21
193.	रूरकेला इस्पात कारखाने के श्रमिकों को धीरे काम करो नीति	Slow down Tactics of Rourkela Steel Plant Workers	21—22
194.	सीमेंट के मूल्य पर नियंत्रण	Price Control on Cement	22
195.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील और एक्सल और फिश प्लेट एकक	Wheel and Axle and Fish Plate Units of Durgapur Steel Plant	23
196.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा छपाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machinery by Hindustan Machine Tools Ltd.	23 - 24
197.	बड़े औद्योगिक एककों में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बनाये गये पुर्जों का इस्तेमाल	Use of Components made by Small Scale Industries in large Industrial Units	24
198.	दक्षिण रेलवे में जंजीर खींचने और चोरी की घटनायें	Incidence of Chain Pulling and Theft Cases on Southern Railway	25

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.			Pages
199.	भारतीय रेलों के प्रबन्ध कार्य के संबंध में प्रशासनिक सूधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report Regarding Management Practices of Indian Railways	25
200.	भारत-मलयेशिया तकनीकी आर्थिक सहयोग	Indo Malaysia Techno Economic Cooperation	26
201.	वर्तमान निर्वाचन विधि संशोधनों पर विचार हेतु सर्वदलीय समिति	All Party Committee for Considering Amendment in Present Election Laws	26—27
202.	पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास परियोजनायें	Industrial Development Projects in Backward Regions	27—28
203.	इस्पात कारखाने सम्बन्धी पांडेय समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Pandey Committee on Steel Plants	28
204.	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन	Amendment to Untouchability (Offences) Act, 1955	28—29
205.	पिंजौर और दुर्गापुर के सरकारी कारखानों में ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors in Government Factories at Pinjore and Durgapur	29
206.	मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	29—30
207.	गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार और उत्पादन पर प्रतिबन्ध	Restriction on Expansion and Production in Private Sector	30
208.	तेल के ढोल बनाने वाले कारखानों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed Capacity of Oil Barel Manufacturing Units	30—31
209.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास	Industrial Development in West Bengal	31—32
210.	रेलवे के माल डिब्बों में लकड़ी लादने के लिये 'फ्री' लोडिंग समय का बढ़ाया जाना	Extension of Free Time for Loading Timber into Wagons	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1201.	पूर्वोत्तर रेलवे की हुई हानि	Losses Suffered by North Eastern Railway	32—33
1202.	रूरकेला संयंत्र में इस्पात का उत्पादन	Steel Production in Rourkela Plant	33
1203.	अन्धों को सहायता देने का कार्यक्रम	Programme Assist the Blinds	34
1204.	जापान से लघु उद्योगों में उपयोग के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करना	Purchase of know-how from Japan for use in Small Scale Units	34—35
1205.	भारत में भिक्षा-वृत्ति को समाप्त करने का कानून	Legislation for Abolition of Beggary in India	35
1206.	चुनाव व्यय पर विचार हेतु संसदीय आयोग की नियुक्ति	Appointment of Parliamentary Commission to Examine Election Expenses	35
1207.	आगरा से नई दिल्ली तक एक और ताज एक्सप्रैस रेलगाड़ी	Additional Taj Express from Agra to New Delhi	36
1208.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools by Hindustan Machine Toold Ltd.	36
1209.	स्कूटरों तथा मोटरकारों के मूल्य में कर का अंश	Tax Content In the Prices of Scooters and Motor Cars	36—37
1210.	भावनगर में गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Bhavnagar in Private Sector	37
1211.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की विश्व यात्रा	World Tour of Chairman/Deputy Chairman of Heavy Engineering Corporation Ranchi	37—38
1212.	पेट्रियट प्रकाशनों की परिसम्पत्ति	Assests of Patriot Publications	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1213.	सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का कारखाना	Tractor Factory in Public Sector	38—39
1214.	कम आय वाले वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्र-वृत्ति	Scholarship for Students of Low Income Group	39
1215.	बड़े-बड़े मन्दिरों का प्रबन्ध	Management of Big Temples	39
1216.	दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Delhi Administration	39—40
1217.	औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति पर दत्त समिति की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Recommendations of Dutt Committee on Industrial Licensing Policy	40
1218.	रूरकेला उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Rourkela Fertiliser Plant	40—41
1220.	विद्युत उपकरणों का मानकीकरण	Standardisation of Electric Appliances	41
1221.	रेलवे में मनीपुर के युवकों को भर्ती किया जाना	Employment of Manipur Youth in Railways	41—42
1222.	मनीपुर में सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Cement Manufacturing Plant in Manipur	42
1223.	मनीपुर में औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey in Manipur	42
1224.	दिल्ली में नये उद्योग	New Industries in Delhi	43
1225.	अमृतसर को जाने वाली पंजाब मेल का सैनिकों द्वारा लखनऊ में रोका जाना और उनके द्वारा लूट-पाट	Detention of Amritsar Bound Punjab Mail at Lucknow and Loot by Military Personnel	43—44
1226.	कानूनी आधार पर छोटे उद्योगों का विकास	Development of Small Enterprises on Statutory Basis	44
1227.	कार्य आरम्भ करने में बिलम्ब के कारण बोकारो संयंत्र को हानि	Loss due to Delay in Commissioning of Bokaro Steel Plant	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1228.	नई दिल्ली में हुआ मद्य-निषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Prohibition Held in New Delhi	46
1229.	गोहाटी में लघु उद्योग बोर्ड की बैठक	Meeting of Small Scale Industries Board at Gauhati	46—47
1230.	हैवी इलैक्ट्रीकल्ज, भोपाल के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Pay Increase to Staff of Heavy Electricals, Bhopal	47—48
1231.	हस्सन मंगलौर रेलवे लाइन	Hassan Mangalore Railway Line	48
1232.	समस्तीपुर तथा गरहरा (बरौनी) में रेलवे अस्पतालों में एक्सरे की मशीनें	X-Ray Machines in Railway Hospitals at Samastipur and Garhara (Barauni)	48—49
1233.	बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिक अशान्ति	Labour Trouble in Bokaro Steel Plant	49—50
1234.	दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के संग चल और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Running and Mechanical Staff of Danapur Division (Eastern Railway)	50
1235.	दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) में इंजन कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Loco Running Staff in Danapur Division (Eastern Railway)	50—51
1236.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Issue of Foreign Exchange to National Small Industries Corporation Ltd.	51
1237.	फरवरी, 1970 में जयपुर के निकट कनकपुर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के रेलगाड़ी के नीचे आकर मर जाने के बारे में जांच	Enquiry into the Death of a Person Run over by Train at Kanakpura Railway Station Near Jaipur in February, 1970	52
1238.	कन्नौर जिले (केरल) में कोटिकुलम के लिये ऊंचे प्लेटफार्म की मांग	Demand for Raised Platform at Kotikulam Cannanore District (Kerala)	52

अता०, प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1239.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक निर्वाचक मण्डल	Separate Electorate for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	53
1240.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन की गार्ड परिषद् द्वारा जनरल मैनेजर को ज्ञापन	Memorandum to General Manager by Guards Council, Northeast Frontier Railway Zone	53—54
1241.	डिवीजनल सुपरिटेन्डेंट पूर्व रेलवे आसनसोल के सम्मुख प्रदर्शन करने पर चल टिकट निरीक्षक की मुअत्तिली	Suspension of a TTI for Demonstration before Divisonal Superintendent, Eastern Railway, ASANSOL	54
1242.	कोटिकुलम रेलवे स्टेशन (कन्नोर) जिला पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय कक्ष	Waiting Rooms for Upper Class Passengers at Kotikulam Railway Station (Cannanore Distt.)	54 – 55
1243.	इस्पात के मूल्य में वृद्धि के बारे में मैसूर सरकार का विरोध	Protest by Mysore Government Regarding Increase in Steel Prices	55
1244.	बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की मस्टर रोल के आधर पर नियुक्ति	Appointment of Muster Roll Employees in Bakaro Steel Plant	55—56
1245.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में निष्कासित आदिवासी	Evicted Adivasis in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	56
1246.	कारों के निर्माण के लिये पुर्जों का आयात	Import of Components for Manufacturing Cars	57—58
1248.	भीख मांगने, बलात कार्य करवाने तथा बच्चों को गिरवी रखने की बुराइयों की मौजूदगी	Existence of Evils of Beggar, Forced Labour and Mortgaging of Children	59
1249.	मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेट को इस्पाती चादरों की सप्लाई	Supply of Steel Sheets to M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1250. इस्पात की दोषपूर्ण चादरों की सप्लाई	Supply of Defects Steel Sheets	60
1251. राज्य सरकारों से औद्योगिक प्रस्ताव	Industrial Proposals from State Governments	60—61
1252. बांडल जंक्शन के सहायक स्टेशन मास्टर के साथ दुर्व्यवहार	Manhandling of Assistant Station Master, Bandel Junction	61
1253. विधि मंत्री का कथित वक्तव्य कि निर्वाचन आयोग विधि मंत्रालय का एक भाग है	Law Minister's Reported Statement Regarding Election Commission being a Part of Law Ministry	62
1254. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant	62—63
1255. आसाम में अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल, जोगीगोपा के निकट रेलवे यार्ड पर व्यय	Expenditure on Railway Yard near Jogigopa Inland Water Transport Terminal in Assam	63—64
1257. घाघरा नदी पर बेलथारा पुल	Belthara Bridge on Ghagra River	64
1258. बोकारो इस्पात कारखाने में मस्टर रोल के कर्मचारी	Muster Roll Employees in Bokaro Steel Plant	64—65
1259. पूर्वोत्तर रेलवे में लूटपाट, हत्या तथा डकैतियों की घटनाएं	Incidents of Loot, Murders and Dacoities on North Eastern Railway	65
1260. उत्तरी रेलवे में लूट, कत्ल तथा डकैती की घटनाएं	Incidents of Loot, Murders and Dacoities on Northern Railway	65—66
1261. पश्चिम रेलवे में लूटपाट, हत्या तथा डकैतिया की घटनाएं	Incidents of Loot. Murders. and Dacoities on Western Railway	66
1262. इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग तथा आरक्षण की मिली जुली व्यवस्था	Mixed System of Booking and Reservation at Allahabad Railway Station	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1263.	उद्योगों में गवेषणा कार्य प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही	Steps to Encourage Research in Industries	67—68
1264.	केन्द्रीय राजस्व में रेलवे के अंशदान की दर के बारे में जांच	Examination of Rate of Railway's Contribution to Central Revenues	68—69
1265.	लघु उद्योगों को लाइसेंस और ऋण देने के बारे में लोकनाथन समिति की सिफारिशें	Lokanathan Committee's Recommendations Re:Licensing of Small Scale Industries and Advance of Loans to them	69
1266.	बोकारो इस्पात कारखाने तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिये रूस की सहायता	Russian Assistance for Bokaro and Heavy Engineering Corporation	69—70
1267.	मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में स्थानों का आरक्षण	Reservation in Mithila Express	70
1268.	उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of North Bihar	70—71
1269.	भारतीय रेलों में छुट-पुट चोरियां	Pilferages on Indian Railways	71—72
1270.	रेलवे में गुम हुये सामान के दावे	Claims for Goods Lost on Railways	72
1271.	हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट एजेंसियां	Railway Out Agencies in Himachal Pradesh	73
1272.	एग्रो इन्डस्ट्रीज का प्राईवेट भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Agro-Industries in Regional Languages	73
1273.	हैवी इन्जीनियरिंग निगम रांची में मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machines at Heavy Engineering Corporation, Ranchi	73—74
1274.	रेलवे कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेकर यात्रियों को सीटें देने के बारे में शिकायत	Complaint against Railway Employees Regarding giving of Seats to Passangers after Accepting Bribe	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1275.	मोटर से पुर्जे बनाने वाले कारखाने पर लगे प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Removal of Restrictions on Factories Manufacturing Motor Spare Parts	75—76
1276.	ढोल निर्माण उद्योग	Barrel Fabrication Industry	76
1277.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उपाय	Measures for the Uplift of Scheduled Castes/Scheduled Tribes	76—77
1278.	राजधानी एक्सप्रैस में कानपुर स्टेशनों तथा गाड़ी रुकने के अन्य स्टेशनों से यात्रा करने की अनुमति	Allowing Passangers to Travel from Kanpur and other Stoppages in Rajdhani Express	77
1279.	चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उद्योग की स्थापना	Setting up of Industries in U. P. during Fourth Plan	78
1280.	मंत्रियों द्वारा हरिजनों को रसोइयों के रूप में नौकरी पर रखना	Employment of Harijans by Ministers as Cooks	78
1281.	बड़ी कोयला खानों से कोयले की खरीद	Purchase of Coal from Big Coal Mine Owners	79
1282.	प्रबन्ध अध्यक्षों को पारिश्रमिक	Remuneration to Mangerial Heads	79
1283.	पश्चिम बंगाल में नई कम्पनियों का कार्यकरण	Working of Companies in West Bengal	80
1284.	गोमोह रेलवे स्टेशन पर फलक (प्लेक)	Plaque at Gomoh Railway Station	80—81
1285.	निजी ठेकों के अन्तर्गत रेलवे रेस्तराओं में घटिया भोज्य पदार्थों का परोसा जाना	Supply of Substandard Food in Railway Restaurants under Private Contract	81
1286.	लघु उद्योग विकास संगठन	Small Scale Industries Development Organisation	81
1287.	कम्पनियों में मंत्रियों/प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के शेयर	Shares Held by Ministers/Class I Gazetted Officers in Companies	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1288.	इस्पात के कारखानों में इंजीनियर	Engineers in Steel Plants	82
1289.	दिल्ली से बुलन्दशहर के लिये सीधी रेल सेवा	Running of Direct Train Service from Delhi to Bulandshahr	82—83
1290.	दिल्ली से खुरजा होकर बुलन्दशहर तक रेल लाइन का बिछाया जाना	Laying of a Railway Line from Delhi to Bulandshahr via Khurja	83
1291.	विदेशी तकनीकी जानकारी के बारे में मुदालियर समिति का प्रतिवेदन	Mudaliar Committee Report on Foreign "know-how"	84
1292.	ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors	84—85
1293.	चौथी योजना में आयोग द्वारा छोटी कार परियोजना को शामिल करने सम्बन्धी कथित आपत्ति	Reported Objection by Planning Commission to Include Small Car Project in Fourth Plan	85
1294.	सिकंदराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के अंकाई तथा नगरसोल स्टेशनों के बीच लाइट इंजन के साथ लारी की टक्कर	Collision of Lorry with Light Engine between Ankai and Nagorsol Stations of Secunderabad Division (South Central Railways)	86
1295.	कोच क्लर्कों, टेली क्लर्कों तथा टिकट कलक्टरों की नियुक्ति	Appointment of Coach Clerks, Tally Clerks and Ticket Collectors	86
1296.	रेलवे में सुरक्षित पदों को अनुरक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into Unreserved Ones on Railways	86—87
1297.	पूर्वोत्तर रेलवे के हिन्दी संगठन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना	Strengthening of Hindi Organisation of North Eastern Railway	87
1298.	चौथी योजना में कारखानों के लिये अपेक्षित उपकरण	Equipments Required for Factories during Fourth Plan	87
1299.	तकनीकी जानकारी के आयात के बारे में नीति	Policy Regarding Import of Foreign "know how"	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1301.	हावड़ा दिल्ली ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification of Howarh-Delhi Trunk Route	88—89
1302,	रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें	Recommendation of the Railway Accidents Enquiry Committee	89—90
1303.	प्रबन्ध संवर्ग के वेतनों की सीमा निर्धारित करने का प्रभाव	Repurcussions of Limitation Placed on Salaries of Managerial Cadre	90
1304.	पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र परियोजना	Port Based Steel Plant Scheme	90—91
1305.	कागज उद्योग का विकास	Development of Paper Industry	91
1306.	गांधी शताब्दी वर्ष में मद्य-निषेध	Prohibition during Gandhi Centenary Year	91—92
1307.	बजीर सुल्तान तम्बाकु कम्पनी हैदराबाद, में विदेशियों के शेयर	Shares held by Foreigners in Wazir Sultan Tobacco Company, Hyderabad	92
1308.	पश्चिम बंगाल में अनिश्चितता होने के कारण उद्योगों को हुई हानि	Loss Incurred by Industries on Account of Uncertainty in West Bengal	92
1309.	मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा चोर बाजार में पौलीथीन का बेचा जाना	Sale of Polythene in Black Market by M/s Asian Cables	92—93
1310.	कागज की कमी	Shortage of Paper	93
1311.	इस्पात की आवश्यकता और उत्पादन	Requirements and Production of Steel	93—94
1312.	मूल उद्योगों का राष्ट्रीय-करण	Nationalisation of Key Industries	94
1313.	चुनावों में खर्च पर अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव	Suggestion of Chief Election Commissionet Regarding Enhancement of a Ceiling on Election Expenses	94—95

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1314.	कटिहार जाने वाली मालगाड़ी टेल्टा स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर पटरी से उतर जाना	Derailment of Katihar Bound Goods Train at Telta Station (Northeast Frontier Railway)	95
1315.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार	Corruption at New Delhi Station	95
1316.	डिवीजनल लेखा कार्यालय उत्तर रेलवे नई दिल्ली, के पेंशन अनुभाग में भ्रष्टाचार	Corruption in Pension Section of Divisonal Accounts Office, Northern Railway, New Delhi	96
1317.	रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों की वेतन वृद्धि रोकना	Stoppage of Increments of Railway Commercial Clerks	96—97
1318.	दक्षिण तथा उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks on Southern, Eastern and Northern Railways	97—98
1319.	मान्यता प्राप्त संघों से प्राप्त भिन्न संघों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही	Action on Representations Received from Unions other than Recognised Unions	98
1320.	दिल्ली में ऊपरी पुल	Overbridge in Delhi	98
1321.	तैवान रेलवे प्रशासन के लिये भारतीय रेल डिब्बे	Indian Bogies for Taiwan Railway Administration	99
1322.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कर्मचारी प्रबन्ध नीति	Personnel Management Policy of Hindustan Steel Ltd.	99
1323.	सिंगापुर में बिलेट मिल की स्थापना	Setting up of a Billet Mill at Singapore	99—100
1324.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के डिजाइन संगठनों का विस्तार	Expansion of Design Organisations of Hindustan Steel Ltd. and Heavy Engineering Corporation	100
1325.	भारत में विधान का स्तर	Standard of Legislation in India	100—101
1326.	कागज की चोर बाजारी	Blackmarketing of Paper	101
1327.	भावनागर और अजमेर में मशीन टूल संयंत्र	Machine Tool Plants in Bhavnagar and Ajmer	102—103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1328.	दुर्गापुर इस्पात कारखानों के वीह्ल्स एण्ड एक्सिल्स (पहिये और धुरियां) एकक का उत्पादन	Production of Wheels and Axles Unit at Durgapur Steel Plant	103—104
1329.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्लेट बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र	Application from TISCO for installation of Plate Mill	104—105
1330.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में निर्मित धातुपिंडों और बिलेटों का निर्यात	Exports of Ingots and Billets Produced at Durgapur Steel Plant	105—106
1331.	इन्जीनियरी उद्योगों के लिये कच्चे माल के नियतन के बारे में पश्चिम बंगाल मंत्री द्वारा आलोचना	Criticism by West Bengal Minister Regarding Allocation of Raw Material for Engineering Units	106
1332.	जैसप एण्ड कम्पनी कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jassop and Company, Calcutta	106—107
1333.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, के कार्यकरण का परिणाम	Working Results of Diesel Locomotive Works, Varanasi	107
1334.	समवाय विधि बोर्ड द्वारा निन्दित बिड़ला सार्थ समूह	Birla Group of Concerns Censored by Company Law Board	107—108
1335.	रेल के डिब्बों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था	Provision of Cleaned Water in Railway Compartments	108
1336.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम में संशोधन	Amendment to Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	108
1337.	नियंत्रण तथा लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने की नीति	Policy of Decontrol and De-licensing	109
1339.	आसाम में सीमेंट फैक्ट्री	Cement Factory in Assam	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1340.	टाटाओं द्वारा अपने जर्मन साझेदारों के सहयोग से कारों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal by Tatas for Manufacture of Car in Collaboration with their German Partners	110
1341.	वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा प्रबन्ध निदेशकों की वैयक्तिक गारन्टी पर जोर दिया जाना	Personal Guarantees of Managing Directors Insisted by Financial Institution and Banks	110
1342.	कम्पनियों के साथ प्रबन्धक अभिकर्ताओं के करार का विनियमन	Regulation of Agreements by Managing Agents with Companies	110 – 111
1343.	रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Advertisement by Rourkela Steel Plant	111—112
1344.	अखिल भारतीय सिलाई मशीन निर्माता संस्था, लुधियाना से अभ्यावेदन	Representation from All India Sewing Machine Manufacturers' Association, Ludhiana	112
1345.	शाहद यात्री संस्था उल्हास नगर मध्य रेलवे	Shahad Passengers' Association, Ulhas Nagar (C. Rly.)	112—113
1346.	रेलवे बोर्ड के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance Paid to Non-gazetted Staff of Railway Board	113
1347.	भारत में रेलगाड़ियों का समय पर चलना	Punctuality of Trains in India	113—114
1348.	सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार	Improvement in the Working of Public Undertakings	114—115
1349.	बोकारो परियोजना के लिये रूसी उपकरणों की सप्लाई	Supply of Soviet Equipments for Bokaro Project	115
1350.	केरल में एर्नाकुलम से क्विलोन तक तटीय रेलवे लाइनें	Coastal Railway Lines from Ernakulam to Quilon in Kerala	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1351.	रेलवे सुरक्षा दल द्वारा इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों पर गोली चलाई जाना	Shooting of Workers of Integral Coach Factory by Personnel of Railway Protection Force	116—117
1352.	भूतपूर्व सदर्न इण्डियन रेलवे तथा भूतपूर्व एम० एण्ड एस० रेलवे के कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची	Joint Seniority List of Employees of Ex-Southern Indian Railway and Ex-M. and S. Railway	117
1353.	समवाय विधि में परिवर्तन	Changes in Company Law	117—118
1354.	स्कूटर उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Scooter Industry	118
1355.	मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड	M/s Richardson and Cruddas Limited	118
1356.	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आस-पास सहायक उद्योग	Ancillary Industries Around Public Sector Undertakings in Madhya Pradesh	118—119
1357.	मध्य रेलवे भुसावल और इटारसी के बीच शटल रेलगाड़ी	Shuttle Service between Bhusawal and Itarsi (Central Railway)	119
1558.	मध्य रेलवे में यात्री रेलगाड़ियों में परिचारक	Attendants in Passanger Trains on Central Railway	119—120
1359.	सतर्कता विभाग तथा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने की व्यवस्था	Machinery to Check Complaints Against Staff of Vigilance Department and Railway Employees	120
1360.	मध्य रेलवे में तार क्लर्कों, रेलगाड़ी क्लर्कों तथा वाणिज्यिक क्लर्कों के पद	Posts of Telegraph Clerks/Train Clerks/ Commercial Clerks in Central Railway	121
1361.	ओलावाकोट (दक्षिण रेलवे) में क्रियोसोट कारखाने का विस्तार	Expansion of Creosoting Plant at Olavakkot (Southern Railway)	121
1362.	भारतीय रेलों में कन्टेनर सेवा	Container Service for Indian Railways	121—122
1363.	मैसर्स नवकेतन इन्टरनेशनल फिल्म्ज (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Navketan International Films (P) Ltd.	122—123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1364.	मैसर्स चित्रालय (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Chithralaya (P) Ltd.	123—124
1365.	मैसर्स फिल्मिस्तान डिस्ट्रिब्यूटर्स इण्डिया लिमिटेड और फिल्मिस्तान एग्जिबटर्स प्राइवेट लिमिटेड	M/s Filmistan Distributors India Ltd. and Filmistan Exhibitors (P) Ltd.	124—125
1366.	फिल्म कम्पनियों द्वारा दिया गया आयकर	Income Tax Paid by Film Companies	125
1367.	बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना लेने के बारे में अनुदेश	Instructions for Collection of Fines from Ticketless Travellers	126
1368.	सीजन टिकट न होने के कारण यात्रियों से जुर्माना वसूल करना	Charging of Fine from Passangers not in Possessiou of Season Tickets	126
1360.	रेलों में बिना टिकट यात्रा में कमी	Decline in Ticketless Travelling on Railways	127
1370.	झांसी से वाराणसी होती हुई इलाहाबाद तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Express Train from Jhansi to Allahabad via Varanasi	127
1371.	डाक, एक्सप्रेस और यात्री रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Mail/Express and Passenger Trains	127—128
1372.	इस्पात के वायदे व्यापार पर रोक	Ban on Forward Trading in Steel	128
1373.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री द्वारा किए गये टेलीफोन	Telephone Calls by Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs	128
1374.	इंजनों तथा रेल डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Locomotives and Railway Coaches	129
1375.	वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों का आन्तरिक व्यापार पर प्रभाव	Effect of High Prices of Commodities on Internal Trade	130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1376.	स्कूटरों, मोटर साइकिलों और तीन पहिये वाली गाड़ियों का निर्माण	Production of Scooters, Motorcycles and 3-wheelers	130—131
1378.	नई दिल्ली तथा नागपुर के मध्य राजानी एक्सप्रैस का चलना	Running of Rajdhani Express between New Delhi and Nagpur	131
1379.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	
1380.	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये उच्च पदों की न्यूनतम प्रतिशतता	Lowest Percentage of Higher Grade Posts for Station Masters and Assistant Station Masters	131—133
1381.	लगातार ड्यूटी न लगने (ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर) के विरुद्ध दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों का अभ्यावेदन	Representation by Assistant Station Masters of Delhi Division against Broken Duty Roster.	133
1382.	स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टरों (उत्तर रेलवे) की वरिष्ठता	Seniority of Station Master and Assistant Masters (Northern Railway)	133—134
1383.	रेलवे कर्मचारियों के सर्वाधिक स्थानान्तरण के आदेशों का निलम्बन	Suspension of Orders Regarding Periodic Transfer of Railway Employees	134—135
1384.	चीनी लादने के लिये खराब माल डिब्बों का आवंटन	Allotment of Unfit Wagons for Loading Sugar	135
1385.	भिक्षावृत्ति का उन्मूलन का कार्यक्रम	Programme for Abolition of Beggary	135—136
1386.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलों का विद्युतीकरण	Electrification of Railways during Fourth Five Year Plan	136
1387.	मैसूर में वृद्धावस्था पेंशन	Old Age Pension Scheme in Mysore	136—137
1388.	इस्पात के मूल्य	Steel Prices	137
1389.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता माल का उत्पादन	Production of Consumer Goods in Public Sector	138

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
1390. ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस के समय में परिवर्तन	Change in the Timings of Grand Trunk Express	138—139
1391. ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस गाड़ियों में खाद्य के नमूने लेना	Sampling of Food in Grand Trunk Express Trains	139—140
1392. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी	Officers in Khadi and Village Industries Commission	140
1393. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, पश्चिम बंगाल को हुई हानि	Loss Incurred by Khadi and Village Industries Commission, West Bengal	140—141
1394. खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना	Extension of Service of Employees in Khadi and Village Industries Commission	141
1395. नेपाल तथा अन्य देशों को नमक का निर्यात	Export of Salt to Nepal and other Countries	141—142
1396. नैनी (इलाहाबाद) में गैस सिलिंडर कारखाने की स्थापना	Setting up of Gas Cytinder Factory at Naini (Allahabad)	142
1397. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro under Hindustan Steel Limited	142—143
1398. पश्चिम बंगाल मे लघु उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Small Scale Industries in West Bengal	143
1399. विश्व बैंक के दल का पश्चिम रेलवे का दौरा	Visit of World Bank Team to Western Railway	143
1400. बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब	Delay in Construction of Bokaro Steel Plant	143—144
कविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Publie Importance	144
कलकत्ता में अन्तर्दलीय मुठ-भेड़ों में लगे व्यक्तियों को हथियारों की सप्लाई	Arms Flow to Persons Engaged in Inter-Party Clashes in Calcutta	144—147
रोडेशिया में घटनाओं के बारे में	Re. Development in Rhodesia	147

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
हरयाणा विधान सभा के स्थगन के बारे में	Re. Adjournment of Haryana Assembly	148
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148
लोक सेवा समिति	Public Accounts Committee	148—149
85वां तथा 89वां प्रतिवेदन	Eighty-Fifth and Eighty-Ninth Reports	149
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	149
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chaterji	149—150
श्री अमिय नाथ बोस	Shri Amiyanath Bose	150—153
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	153—155
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	155—157
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	157—159
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	159—161
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	161—162
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	162—165
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	165—167
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	167
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	168
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	168—169
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	169—170
श्री पन्ना लाल बारुपात	Shri P. L. Barupal	170—171
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Eswara Reddy	171—172
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	172—174
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	174
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	174
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	174—177
श्री एम० जी० उइके	Shri M. G. Uikey	177—178

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 3 मार्च, 1970/12 फाल्गुन, 1891 (शक)
Tuesday, March 3, 1970/Phalguna 12, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाना

*181. श्री पी० पी० एस्थोस : श्री क० अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली से चलने वाली गाड़िया चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या राज्य में बिजली से गाड़ियां चलाने के लिये बिजली की अपेक्षित सप्लाई के बारे में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियां कब चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोशन लाल चतुर्वेदी) । (क) केरल में बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसी आशा है कि केरल में वर्तमान रेल लाइनों में 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भाप डीजल से चलने वाली गाड़ियों से यातायात का आसानी से काम चल सकता है । बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि इसमें आरम्भ में बहुत खर्च होता है ।

श्री एस्थोस : हाल ही में दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर ने केरल राज्य का दौरा किया था और उनसे कुछ प्रेस संवाददाताओं ने भेंट की थी । संवाददाताओं ने उनसे की गई भेंट में पूछा था कि क्या केरल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है जनरल मैनेजर ने बताया कि ऐसा एक प्रस्ताव था लेकिन बिजली की पर्याप्त सप्लाई की कमी के कारण उक्त प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा और उन्होंने उल्लेख किया कि इदीदकी तथा अन्य बिजली परियोजनाओं के पूरा करने के बाद इस विषय पर फिर से विचार किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन बिजली परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद क्या सरकार का विचार केरल में, विशेषकर कोचीन से मद्रास और कैन्नानोर से त्रिवेन्द्रम तक बिजली से गाड़ियां चलाने का है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया जनरल मैनेजर ने जो कहा है उसमें कुछ गलती नजर आती है

श्री एस्थोस : इस बारे में समाचार पत्र में एक समाचार है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसीलिये मैं यह कह रहा हूँ इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि है । वास्तव में स्थिति यह है कि हम केरल राज्य सरकार द्वारा दिये गये विद्युतीकरण के किसी प्रस्ताव या अन्य दो सुझावों पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : विद्युतीकरण के लिये तीन बातों पर विचार किया जाता है । सर्वप्रथम हम मुख्य मार्गों पर बिजली लगाते हैं । ऐसा हमने हावड़ा-दिल्ली और हावड़ा-बम्बई सैक्शनों पर पहले ही किया है । इसके बाद हम उन सैक्शनों पर बिजली लगाते हैं जो कि अलग-अलग हैं या जहां बहुत अधिक यातायात चलता है या जहां भाप से गाड़ियां नहीं चल सकती जैसे वालटेयर किरन्दुर सैक्शन । तीसरे, उन अन्य सैक्शनों पर बिजली लगाई जाती है जहाँ यातायात की अधिकता है लेकिन वे आसनसोल-सीनी और पंचाकुल-हेल्दिया जैसे उन ट्रंक मार्गों पर नहीं हैं जो ऐसे ट्रंक मार्गों के निकट स्थित हैं जहां बिजली लगाई जा चुकी है । बिजली लगाने के लिये इन तीन बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री एस्थोस : देश के अन्य भागों में रेलवे लाइन पर बिजली लगाने के बहुत से नये प्रस्ताव हैं । लेकिन केरल के बारे में मेरी जानकारी यह है कि केरल सरकार ने राज्य में रेलवे लाइनों पर बिजली लगाने का सुझाव चौथी योजना के एक भाग के रूप में दिया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केरल सरकार ने इस बारे में कोई सुझाव भेजा है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि केरल सरकार ने विद्युतीकरण के लिये दो प्रस्ताव भेजे हैं एक त्रिवेन्द्रम-एरन्यकुलम लाइन के लिये और दूसरे कोचीन-शोलावा ककोट लाइन के लिये । लेकिन यातायात के औचित्य को देखते हुए हमारी रेलवे लाइनों की वर्तमान क्षमता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

श्री एस्थोस : क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे जोन पर एक लाइन का भी विद्युतीकरण करने का नहीं है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : विद्युतीकरण अलग-अलग मार्गों पर नहीं किया जा सकता। जब तक ट्रंक मार्ग किसी विशेष सैक्शन से नहीं जुड़े हों, उन पर विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि इस समय केरल राज्य के किसी रेलवे मार्ग का यातायात के आधार पर विद्युतीकरण करना न्यायोचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे वर्तमान स्थिति के आधार पर इसकी आवश्यकता का अनुमान लगा रही है या उसने भविष्य के बारे में सोचा है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार अपनी इच्छानुसार बिजली सप्लाई करने की स्थिति में है और कोचीन-ओलवाककोट सैक्शन औद्योगिक दृष्टि से तेजी से प्रगति कर रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी और विद्युतीकरण के लिये योजना बनायेगी ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : चौथी योजना में शामिल किये गये कार्य को पूरा करने के बाद हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेंगे।

राज्य सरकारों ने सुझाव दिये हैं और हमें कोचीन के महत्व और त्रिवेन्द्रम के विकास के बारे में जानकारी है। हम माननीय सदस्य के इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं कि वहां विद्युतीकरण की आवश्यकता है लेकिन हम इस विषय पर मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करने के बाद विचार करेंगे।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि केवल कुछ लाइनों का माल यातायात और यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण किया गया है। बिजली की उपलब्धता और पिछड़े क्षेत्रों के विकास और बंगलौर-मैसूर लाइन का विद्युतीकरण करने की मांग को कम से कम 10 वर्ष तक स्थगित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मैसूर क्षेत्र और दक्षिण रेलवे जोन में बिजली लगाने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत व्यापक है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है।

श्री प० गोपालन : माननीय मंत्री ने कहा है कि केरल में बिजली की गाड़ियां चलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार दक्षिण रेलवे के महा-प्रबन्धक ने कहा है कि इस आशय का एक प्रस्ताव है और सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर द चुके हैं।

श्री प० गोपालन : क्या यह वक्तव्य इस परियोजना की संभावना पर विचार किये बिना ही दिया गया था।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है ।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण

*183. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री धी० ना० देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री रा० वें० नायक :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने यह सिफारिश की है कि लगभग 25 वस्तुओं को पूर्णतया लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने निम्न 8 वस्तुओं के उत्पादन को पूर्णतया लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित किया है :

(1) साइकिल के टायर और ट्यूब

(2) यंत्रचालित खिलौने

(3) एल्यूमिनियम के बर्तन

(4) स्टील का फर्नीचर

(5) बिजली से चलने वाले हार्न

(6) द्रवचालित (हाइड्रालिक) जेक

(7) फाउन्टेन पेन और बाल प्वाइंट पेन

(8) टूथ पेस्ट

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बम्बई अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आर्थिक कार्यक्रम नीति में लघु क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी । इसे स्वीकार कर लिया गया है और प्रधान मन्त्री तथा प्रभारी मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भी घोषणा की है कि लघु क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिये नई क्षमता लघु क्षेत्र को नियत की जायेगी परन्तु जो सूची दी गई है हमें पता नहीं यह नीति कैसे कार्यान्वित की जायेगी । यह निर्णय किया गया था कि 89 उपभोक्ता वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिये छोड़ी होंगी और एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा जिसमें ये सभी आ जायेंगी । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार वास्तव में इसे कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : लघु क्षेत्र के लिये पहले ही 47 वस्तुएं आरक्षित की हुई हैं ।

आठ हाल ही में और जोड़ दी गई है। और वस्तुओं के बारे में विचार किया जा रहा है और समय-समय पर सूची में वृद्धि की जाती रहेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सरकार ने श्री नेवलकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी और उसने इस प्रश्न की जांच की थी। उन्होंने सिफारिश की है कि कम से कम 50 करोड़ रुपये छोटे औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिये आरक्षित किये जायें ताकि वे लाभप्रद ढंग से काम कर सकें और उपभोक्ताओं की जरुरतें पूरी कर सकें। 1970 के लिये भी उन्होंने 5 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और इस आधार पर कोई राशि नियत की है ?

दूसरे प्रभारी मंत्री ने बहुत पहले आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को विशेष हिदायतें दी गई है कि वे 20 प्रतिशत प्रतिभूति माँगे बिना छोटे एककों को ऋण दें और आवश्यक मशीनों के लिये पूरी राशि का ऋण दें। परन्तु बैंकों के पास अभी ऐसी हिदायतें नहीं पहुंची हैं। क्या सरकार ने ऐसी हिदायतें जारी की हैं ? क्या गत तीन या चार मास में नए लाइसेंस देते समय एक विशेष खण्ड जोड़ दिया गया है कि फालूत पुर्जे तथा हिस्से केवल छोटे एककों के लिये ही छोड़े जायें ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह प्रश्न छोटे एककों के लिये मदों के आरक्षण से संबंधित है। परन्तु माननीय सदस्य ने लघु उद्योग के लिये बड़ा क्षेत्र खोल दिया है। मैं अवश्य ही उत्तर दूंगा परन्तु तभी जबकि उसपर एक विशिष्ट प्रश्न का नोटिस दिया जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। उनका इससे क्या अर्थ है कि मैंने एक बड़ा क्षेत्र खोल दिया है ? मैंने कोई क्षेत्र नहीं खोला है। मैं जानना चाहता हूँ कि गत तीन या चार मास में जारी किये गये लाइसेंसों में इस आशय का एक विशेष उपबन्ध किया गया है कि फालतू पुर्जे तथा हिस्से लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित किये जायेंगे। मैं प्रभारी मंत्री से इसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : छोटे उद्योगों को सहायता संबंधी माननीय मन्त्री की चिन्ता को मैं महसूस करता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूं। कि हाल में घोषित की गई लाइसेंस नीति में लघु उद्योग को काफी महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योगों में 25 लाख रुपये तक जिसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उन मदों में लघु उद्योग पूंजी लगा सकते थे परन्तु अब हमने इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। साथ साथ हमने कहा है कि हालांकि लाइसेंस के लिए वह छूट दी जाती है, लघु उद्योग के लिए, आरक्षित मदें इन उद्योगों को दिये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए लघु उद्योग को काफी सहायता तथा महत्व दिया गया है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह सरकार बम्बई के आजाद मैदान या इस सभा में जो कुछ भी कहती है वह लघु उद्योग के प्रति दिखावा मात्र है। युवा तुर्क नेता श्री पाणिग्रही ने कुछ समस्याएं उठाई हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हालांकि लघु उद्योग एककों का कार्यक्षेत्र बढ़ाना एक अच्छी बात हो सकती है, परन्तु वर्तमान एकक आयातित

कच्चे माल तथा पुर्जों की कमी के कारण संकट का सामना कर रहे हैं और तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रशासनाधीन पंजीकृत एककों की तुलना में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ? दूसरे, छोटे पैमाने के उद्योगों के विपणन तथा उनके तकनीकी विकास के लिए विशेष-प्रयासों की आवश्यकता है । मैं जानना चाहता हूं कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां तक ये सेवायें उपलब्ध करेंगे ताकि देश में छोटे पैमाने के एकक पनप सकें ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा माल, आयतित पुर्जे तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है । हम इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अत्याधिक प्रयास कर रहे हैं तथा इसीलिए आयातित कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए हम इस्पात, पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालयों के माध्यम से कुछ आयात करना चाहते हैं, परन्तु कुछ ऐसे कच्चे माल हैं जिन की संसार भर में कमी है । फिर कुछ ऐसे कच्चे माल हैं जिनका आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना पड़ता है और कुछ कठिनाइयां हैं । मैं इस बात से सहमत हूँ कि डी०जी०टी०डी० की सूची में दर्ज एकक कुछ अच्छी स्थिति में हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : दोनों का प्रशासन आपके हाथ में है । फिर इनको वरीयता क्यों दी जा रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यदि श्री सोमानी जैसे तथा अन्य व्यक्ति सहयोग दें तो मैं उन्हें समस्त संभव सहायता का आश्वासन देता हूँ । और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि छोटे पैमाने के उद्योगों को उनका उचित भाग प्राप्त हो, परन्तु अधिकांश भाग डी०जी०टी०डी० द्वारा ले लिया जाता है । मुख्य बात यह है कि डी०जी०टी०डी० के एककों की क्षमता का पता है और छोटे पैमाने के उद्योग की क्षमता का अनुमान लगाया जा रहा है । यह एक मुख्य कठिनाई है जिसे दूर किया जा रहा है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योग निगम से प्राप्त ऋणों के मामले में वे रियायतें उपलब्ध नहीं हैं, जो औद्योगिक वित्त निगम से प्राप्त ऋणों पर उपलब्ध होती हैं । औद्योगिक वित्त निगम से प्राप्त ऋणों को पूंजी समझा जाता है और पूंजी पर छः प्रतिशत आय पर कोई कर नहीं है । जब ऋण लघु उद्योग निगम से लिया जाता है तो इसे पूंजी नहीं समझा जाता और इस पर छः प्रतिशत की आय-कर की छूट नहीं है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि नियमों के अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए प्राप्त ऋण को पूंजी नहीं समझा जा सकता है । यह है सहायता जो सरकार लघु उद्योगों को दे रही है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योग निगम को और अधिक ऋण दें तथा उससे शत प्रतिशत प्रत्याभूति की मांग न करें क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि इसके बिना छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित नहीं हो सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सुझाव बजट पर चर्चा के दौरान दे सकते हैं, प्रश्न काल में नहीं ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से छोटे पैमाने के उद्योगों को सुविधायें देने का प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई संतोषजनक प्रबन्ध कर लिया जायेगा। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय सदस्य ने अभी अभी कहा है कि कुछ वस्तुओं की संसार भर में कमी है तथा उन्होंने कहा है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं। सरकार ने लघु उद्योगों का कोई अध्ययन नहीं किया है। ये उद्योग प्रायः श्रम-प्रधान होते हैं तथा पूंजी-प्रधान अथवा मशीन प्रधान नहीं होते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आयात नियंत्रण नीति के अन्तर्गत प्रायोजक अधिकारियों तथा उद्योग निदेशक को यह निदेश दिया गया है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों में वास्तविक उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों पर उनकी मशीनों के एक तिहाई मूल्य तक की आयात की सिफारिश करें? श्रम प्रधान छोटे पैमाने के उद्योगों में मशीनों का महत्व नहीं होता है। क्या वे मामले की जाँच करेंगे और यह निदेश देंगे की आयात की अनुमति उत्पादन क्षमता के आधार पर दी जायें न कि मशीनों के मूल्य के आधार पर।

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह सुझाव विचाराधीन है। इस समय उतने कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है, जिसकी कीमत मशीनों की लागत के तीस प्रतिशत हो अथवा एक एकक के लिए 50,000 रुपये। इन दोनों में से जौन सा कम हो, उसकी अनुमति दी जाती है।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बोहरा

श्री फ० गो० सेन : मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के बहुत समय से, श्री कोठारी के खड़े होने से भी पहले से प्रयत्न कर रहा हूँ।...(व्यवधान)...मैं इसका विरोध करता हूं। इसके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरी ओर का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको उचित व्यवहार करना चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra : In spite of repeated announcements made in this House that small scale industries will be encouraged, the fact remains that no preference is given to small scale industries. They have to close down for want of raw material and have to incur losses as a result thereof. It bas been observed especially in the case of powerloom and Khandsari industries. May I know as to what protection is being provided to small scale industries to enable them to compete with big industries?

Shri Bhanu Prakash Singh : There is truth in what has been stated by the hon'ble Member and in view of this Government is making efforts to increase the income of the middle class people and develop small scale industries to increase employment potential in the country. It is the policy of the Govarnment to reduce their difficulties gradually. I agree that there has been a bit-delay in implementing the announcements made by us but efforts are being made to remove their difficulties as early as possible.

श्री फ० गो० सेन : सरकार द्वारा पाबन्दी लगाये जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चावल कूटने के उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। चावल कूटने के बहुत से छोटे-छोटे एकक हैं और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिये अब लोग हाथ से चावल कूटना नहीं चाहते। क्या सरकार छोटी मिलों को चावल कूटने से रोकने की नीति पर पुनर्विचार करेगी और छोटे एककों को लाइसेंस देगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : छोटे एककों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं उठता और चावल कुटाई उद्योग छोटे कारखानों के अन्तर्गत नहीं आता।

Shri Madhu Limaye : Will the hon'ble Minister let us know the amount of loans to small scale industries, big industries and the capitalists separately by the financial institutions in the public sector during the last 15 years ? Will the hon'ble Minister give all these details and provide an opportunity to the House to decide whether Government's sympathies for the small scale industries are genuine or not ?

Shri Bhanu Prakash Singh : I cannot furnish the figures at the moment but I admit that small scale industries get lesser amount of loans from the financial institutions. I shall place the facts and figures before the House later on. As the hon'ble Member is aware that small scale industries were set up only 12-13 years back......

Shri Madhu Limaye : I want to know the position of the last 15 years.

Shri Bhanu Prakash Singh : I have therefore stated that Government is paying attention towards that.

श्री वी० कृष्णमूर्ति : क्या इन 25 उद्योगों के आरक्षण की बात केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है विशेष कर ऐसे ग्राम जो बड़े नगरों से 20-25 मील की दूरी पर हैं और क्या सरकार इन क्षेत्रों में भी उपर्युक्त आरक्षण लागू करेगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह आरक्षण समस्त देश के लिए है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, जहां तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सरकार निश्चिय ही यह चाहती है कि बड़े नगरों में उद्योग स्थापित न किये जायें। यह कार्य राज्य सरकारें स्वयं कर सकती हैं और केन्द्रीय सरकार निश्चय ही उनकी सहायता करेगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know whether some provision has been made in the new liceneing policy adopted by the Government to encourage entrepreneurs who want to start small scale industries in backward areas ?

Shri Bhanu Prakash Singh : There is no question of licences for small scale industries in the new licencing policy ?

Shri Shinkre : There are no two opinions about the fact that industrial development has not taken place in the Union Territories. I want to know whether the applications for licences for establishing small as well as big industries in the Union Territories will be approved if and when received ?

Shri Bhanu Prakash Singh : I have already stated that there is no question of licences for small scale industries. I do not know how the hon'ble Member is connecting the issue of small scale industries with it.

श्री एस० एम० कृष्ण : मन्दी के बाद हमारे देश के लघु उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ी है यहां तक कि वे अपने वचन भी पूरे नहीं कर सके और वे लघु उद्योग निगम और सरकार के विभिन्न वित्तीय एककों को अपनी देय राशि भी नहीं दे पाये हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, केवल केन्द्रीय सरकार के ही नहीं, अपितु राज्य सरकारों के उपक्रमों से सम्बद्ध सहायक वस्तुएं बनाने वाले एककों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। क्या सरकार का विचार सहायक वस्तुएं बनाने वाले एककों के सम्बन्ध में उनके ऋण की अदायगी की अवधि फिर से निर्धारित करने वाला निर्णय सभी एककों पर लागू करने का है चाहे वे केन्द्रीय सरकार के अधीन हो अथवा राज्य सरकारों के अधीन हो ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मन्दी का सभी उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि केवल कुछ उद्योगों पर पड़ा है। जिन एककों पर उसका प्रभाव पड़ा है, निगम उन पर विचार कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से सम्बद्ध सहायक वस्तुएं बनाने वाले एककों के बारे में, जहां आवश्यक समझा गया है, ऋण के भुगतान की अवधि फिर से निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैंने यह पूछा था कि क्या राज्य सरकार के उपक्रमों से सम्बद्ध सहायक वस्तुएं बनाने वाले एककों पर यह नीति लागू होगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं। हमारा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों से है।

श्री क० नारायण राव : उद्योगों के प्रसार के बारे में सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जिसमें यह सुझाव दिया है कि हमें उद्योगों का प्रसार इस प्रकार करना चाहिये जिससे ग्रामों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी नीति नहीं अपनायेगी जिससे औद्योगिक समूह के निकटवर्ती क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित न किये जाये बल्कि जिला मुख्यालयों जैसे छोटे क्षेत्रों में स्थापित किये जायें ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : केन्द्रीय सरकार ने अपना इरादा कई बार स्पष्ट किया है कि हम इस देश की औद्योगिक पट्टियों में लघु उद्योगों की भरमार नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं ग्राम-निवासियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित किये जायें। परन्तु मैं कई बार कह चुका हूं कि लघु उद्योग स्थापित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार पर है। यदि विभिन्न राज्यों के उद्योगों के निदेशक माननीय सदस्य के सुझाव को क्रियान्वित करें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

Shri Ishaq Sambhali : Government have given repeated assurances that some items would be reserved for handloom industry. I want to know whether Government is going to reserve certain items like Sarees, Towels, Bed-sheets etc. for the handloom industry, if not, the raasons therefor ?

Shri Bhanu Prakash Singh : Handloom industry comes under foreign trade.

श्री लोबो प्रभु : इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि उद्योग जनता के लिए है जनता उद्योगों के लिए नहीं है, अतः यदि लघु उद्योग की सहायता करने का सरकार का विचार है तो

इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि जनता को कम से कम दाम पर सर्वोत्तम वस्तु मिल सके। यह भी कहा गया है कि बड़े उद्योगपति ही छोटे उद्योग लगाते है। अतः मन्त्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि लघु उद्योगों की सहायता करते समय वह इन उद्योगों के कृत्रिम रूप और प्रार्थिक पहलू को नजरन्दाज नहीं करेंगे ताकि जब सरकार इस संरक्षण के लिए किसी उद्योग को चुने तो वह जिस वस्तु का उत्पादन करे वह अच्छी किस्म की हो और उसका मूल्य कम से कम हो।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लघु उद्योग अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं बना रहा है। बहुत से लघु उद्योग अच्छी किस्म की वस्तुएं बना रहे हैं और हम कुछ सीमा तक उनका निर्यात भी कर रहे हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि वे अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं बना रहे हैं।

हिंसात्मक घटनाओं के कारण रेलवे सम्पति को क्षति

*184. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के भिन्न भागों में बार-बार हिंसात्मक घटनाओं के कारण रेल सम्पति की क्षति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) बड़े पैमाने पर हुई हिंसात्मक घटनाओं के कारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 में रेलवे को कुल कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) भविष्य में इस क्षति को रोकने के लिये सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में (5 फरवरी, 1970 तक) रेलवे को क्रमशः 19.23 लाख रुपये तथा 27.23 लाख रुपये की प्रत्यक्ष हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) रेलवे की सम्पति की रक्षा करने तथा ऐसी समस्याओं से निपटने में राज्य-पुलिस को सहायता करने के लिये अधिकाधिक संख्या में रेलवे सुरक्षा दल। रेलवे सुरक्षा विशेष दल नियुक्त किये जा रहे हैं। राज्य पुलिस अधिकारियों, जो कानून और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करते हैं, का सहयोग प्राप्त करने के लिये उनके साथ निकटतम सम्पर्क रखा जाता है।

रेलवे सम्पति को क्षति पहुंचाने अथवा नष्ट करने वाले लोगों को दंड देने के लिये उपबन्ध करने हेतु संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

रेलवे सम्पति आदि जैसी राष्ट्रीय सम्पति को नष्ट करने के घातक प्रभाव के बारे में जनता को बताने के लिये कार्यवाही की जाती है।

Shri Hardayal Devgun : The hon. Minister has admitted that the loss of Railway property is increasing every year. This is happening inspite of the Railway Protection Force and other arrangements. The new Railway Minister had been in charge of the Home Ministry and he had also knowledge of the activities of different Political Parties in India. He has also knowledge about the Bank of China etc. I want to ask which States and

Railways are suffering such losses and by which parties ? Have efforts been made to fix the responsibility on those State Governments where the Railway have suffered heavy losses ? If so, then what Co-operation they have given to the Railway Ministry and what is their Counter-reply ?

Shri R. L. Chaturvedi : The hon. Member wants to know the places and states where the agitation took place. I can give some figures Zone-wise and not State-wise.

अगस्त 1968	...	विदर्भ प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर मध्य रेलवे ।
सितम्बर, 1968	...	मेहसाना मे कृषि विश्वविद्यालय के स्थान के पास पश्चिम रेलवे ।
नवम्बर, दिसम्बर, 1968	...	विद्यार्थी आन्दोलन—पश्चिम रेलवे
दिसम्बर, 1968	...	राजा तालाब स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे पर आक्रमण ।
जनवरी 1969 से 31 मार्च	...	तेलंगाना आन्दोलन
जून, 1969	...	रायपुर आन्दोलन

इस प्रकार के अन्य कई मामले और हैं ।

These are not concentrated at one place. Whenever any agitation takes place in any States, the Railway becomes their target. It is a matter of great pains that Railway becomes their first target and with the result the Railways suffers. Mr. Sheo Narain was asking about Bengal. The sitnation is the same there and I have given figures about Eastern Railway.

Shri Ishaq Sambhali : What about Haryana ? How much the Railway have suffered there and by which party ?

Shri Hardayal Devgun : The Hon. Minister has stated the loss incurred particularly in Vidharbha, Telengana and Eastern Railway so I want to know that people connected with the Ruling Party......(*Interruptions*). I was asking that the people of the Ruling Party and members of the Communist Party instigate the trouble and the State Governments have proved inffective in protecting Railway property. So is there any proposal before the Government to recover such losses from the concerned State Governments ?

Shri R. N. Chaturvedi : We asked the opinion of Law Ministry on the suggestion *i.e.* whether we can recover such losses from the State Governments or not. We were intimated that according to law we cannot take compensation from the State Governments. But there is a problem before the Railway Administration how to make up these losses being suffered by the Railways. The Railway Budget is going to be presented soon and then we will take into consideration the suggestion of the Honourable Member.

Shri Shiv Charan Lal : The loss of life and property of individuals is also taking place along with damage to Railway property. Recently a train was overturned on 1st March and it resulted in loss of life and property of passengers. Most accidents take place on Tundla-Farukhabad-Ferozabad Section of Northern Railway. So I humbly ask the Hon. Minister what steps are being taken for protecting railway property there ? Farukhabad, Tundla, Ferozabad belong to the Constituency of the Hon. Minister also. I want to know what steps are being taken to stop damage to public property ?

Shri R. N. Chaturvedi : We are trying our level best to see that damage to public property may be reduced to the minimum.

Shri Tulsi Dass Yadav : The Hon. Minister has just now stated that according to law compensation cannot be claimed from the State Government for the loss to Railway property in different States. Recently two bogies of a train, which runs from Poona to Belgaon, were set on fire. In this way the Railway Property is being destroyed in different places but the State Governments are not answerable for it. I want to know why arrangements are not being made by the Central Government to check this loss ?

Shri R. L. Chaturvedi : The instance, given by the Hon. Member, is a sad one. Whenever such an incident takes place, we write to the State Governments and we get co-operation from many quarters. But we cannot say how the State Governments can be made responsible for it. Many State Governments give all co-operation but inspite of their co-operation. Sometimes damage is done to Railway property. We approach the State Governments through the Home Ministry and sometimes it is done directly and we try to get their maximum co-operation. We also send our force whenever the need arises.

Shrimati Jayaben Shah : There are some areas in the country where cyclones take place which cause great damage. Do Government propose to hold the States responsible for half the damage caused thereby. If not, do Government propose to insure the Railway property and putting the burden on them ?

Shri R. L. Chaturvedi : As I have stated the Law Ministry was consulted in the matter, we shall have to consider the other point made by her. We will certainly look into the question of sharing the responsibility by the State Governments and if necessary we shall consult the Chief Ministers, as well.

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच है :

(क) कि कुछ समय पूर्व कलकत्ता में रेलवे कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री से मिले थे और उनको इस तथ्य से अवगत कराया था कि रेलों को चलाना उनके लिए अब संभव नहीं रह गया है क्योंकि उन पर हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं ; और

(ख) कि कुछ "आंचलिक" पंचायतों ने कलकत्ता के आस पास जनता के रेलवे स्टेशन खोले हैं और वे यात्रियों को टिकट देते हैं ? सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : प्रश्न का अन्तिम भाग इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, परन्तु मैं कह सकता हूँ कि हमें सूचनाएं मिली हैं और हमने विस्तृत जानकारी मंगाई है।

श्री हेम बरुग्रा : पहले प्रश्न का क्या हुआ ? मैं जानना चाहता था कि क्या कलकत्ता में रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मन्त्री से मिले थे और उनको इस तथ्य से अवगत कराया कि उन पर बढ़ती हुई हिंसा की वारदातों के कारण उनके लिए रेलों को चलना संभव नहीं है, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : प्रश्न के पहले भाग के बारे में, जिसको दुबारा उठाया गया है, मैं तथ्यों से अवगत नहीं हूँ ।

श्री हेम बरुग्रा : ग्राप पता करके बता सकते हैं ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैं ऐसा करूंगा।

Shri M. A. Khan : According to our Constitution, Law and Order is a State subject and, therefore, whenever the C. R. P. is sent to any State, they object to it. The Hon. Minister has stated that this case was referred to the Law Ministry and they have sent tneir opinion. I want to know the opinion of the Law Ministry ; and what is the obstruction in this matter that in case of damage to Central Government's property in any State, surcharge should be recovered from that State Government ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have stated that we consulted the Law Ministry that in case of damage to Railways property in any State can compensation be claimed from that State Government. The Law Ministry was of the opinion that the Railway Ministry cannot do this.

श्री जयपाल सिंह : आखिर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

रेलवे मन्त्रालय ही सभी क्षति आदि के लिए उत्तरदायी नहीं है, रेलवे का क्षेत्राधिकार रेलवे लाइनों तक ही समिति है और इसके बाहर राज्य का क्षेत्राधिकार आ जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मन्त्रालय ने यह जानने के लिए कुछ किया है कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जो कुछ होता है उसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है अथवा नहीं।

मुझे आशा है कि वे प्रश्न को समझ गए होंगे,...(व्यवधान), रेलवे के क्षेत्राधिकार से बाहर रेलवे संपत्ति का कोई उत्तरदायी नहीं है, वे यहां बड़ी बातें करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार सहयोग देती है। वे उनके साथ सहयोग नहीं करती हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है कि दोनों मिलकर यह देखे कि रेलवे हानि को कम किया जा सके ? यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको समझा सकता था। परन्तु मैं स्वयं समझ पाने में असमर्थ हूँ।

श्री जयपाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह का कहने का तात्पर्य यह है कि रेलवे का रेलवे लाइनों से बाहर भी क्षेत्राधिकार होना चाहिये...

श्री जयपाल सिंह : वह मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं समझ पाये हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मैं समझा हूं वह यह है, पहला, कि रेलवे मन्त्रालय को इसके लिए उत्तरदायी क्यों न बनाया जाये ? दूसरे, कि रेलवे लाईन के परे, इसके आस-पास भी, उनका अधिकार क्षेत्र है और तब प्रश्न उस क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर कर रहे हैं जो कि रेलवे लाईन के दोनों ओर हैं। क्या उनका तात्पर्य यही है ?

श्री जयपाल सिंह : जी नहीं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सीधा प्रश्न करिये।

श्री जयपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सभा में हजारों बार पूछा गया है किन्तु दुर्भाग्य से माननीय सदस्य स्थिति की वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे हैं। पिछले कई वर्षों

से रेलवे के मामलों से मेरा सम्बन्ध रहा है। मैं विभिन्न निकायों का चेयरमैन रहा हूँ। रेलवे सम्पत्ति राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों के समान ही है (**अन्तरबाधा**)

श्री रवि राय : क्या रेलवे का क्षेत्राधिकार देश के बाहर भी है ?

श्री जयपाल सिंह : रेलवे सम्पत्ति के भीतर रेलवे सब कुछ है। यह**

अध्यक्ष महोदय : आप इस शब्द को प्रयोग न करें। मैं मन्त्री महोदय की बात सुन रहा था। मुझे जो आशंकायें थीं वह सत्य सिद्ध हो रही हैं। माननीय सदस्य कृपा करके सीधा प्रश्न ही पूछें।

श्री जयपाल सिंह : क्षमा करें, मुझे पता है कि सीधा प्रश्न कैसे पूछा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहना पड़ेगा कि प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा दल बना हुआ है किन्तु वह केवल रेलवे सम्पत्ति की ही सुरक्षा करता है। आप को यदि मुगलसराय स्टेशन पर जाना पड़े तो आपका सारा सामान चोरी हो जायेगा। इस सामान की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार तथा रेलवे के कार्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे इस चोरी को रोका जा सके।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : अधिक अच्छा समन्वय करने के लिये प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर या कम से कम सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेटशनों पर जी०आर०पी० तैनात की हुई है। मुगलसराय स्टेशन पर भी जिसका कि सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है, रेलवे सुरक्षा दल के अतिरिक्त जी०आर०पी० भी लगाई हुई है। यह रेलवे प्रशासन तथा राज्य सरकार के बीच सम्पर्क का काम करती है। यदि किसी मामले में जी०आर०पी० निर्णय नहीं ले पाती है तो उच्चाधिकारियों से सहायता लेती है।

श्री कमलनाथन् : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिससे रेलवे सम्पत्ति को जलाने वालों को मृत्युदंड दिया जा सके ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जायेगा।

श्री कार्तिक उरांव : पहली बार मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सभा में इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करने दिया जायेगा और क्या ऐसी ही परम्परा स्थापित की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस शब्द को कार्यवाही से निकाल रहा हूँ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

श्री कार्तिक उरांव : धन्यवाद ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether some persons have been arrested in connection with the damage to Railway property, if so, the number of persons arrested by the Central Government and the State Government, separately as also the number of persons prosecuted and convicted ? Secondly, what steps have been taken to provide protection to the traffic staff ?

Shri R. L. Chaturvedi : As to the first question, I cannot give the details off-hand, I will send those details to the hon. Member.

Shri Ram Charan : May I know whether Government is prepared to appoint a High-Powered Committee under the Railway Board representing all political parties and social workers for giving constructive suggestion in regard to protecting the Railway property from the rampaging students and tumultuous politicians and if so, when ?

Shri R. L. Chaturvedi : Perhaps the hon. Member is aware that a High-Powered Committee on Railway Policing has very recently submitted its report and its recommendations are under consideration of the Government.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक माल की बढ़ती हुई मांग के अनुसार उत्पादन नीति

*182. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने औद्योगिक माल की बढ़ती हुई मांग के अनुसार उत्पादन नीति के बारे में जैसीकि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ मंडल ने जनवरी, 1970 में मांग की थी, स्पष्टीकरण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने उत्पादन नीति के बारे में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु, कोई मांग अथवा ज्ञापन दिया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्य देशों में भारत ब्रिटिश संयुक्त उपक्रम

*185. **श्री नि० र० लाश्कर :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन : **श्री चेंगलाराया नायडू :**
श्री सामिनाथन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-ब्रिटिश सलाहकार दल की, जिसमें दोनों देशों के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बैठक गत वर्ष ब्रिठिश सरकार से उनकी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में भारत और ब्रिटेन से भिन्न देशों में भारत-ब्रिटिश संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हाँ । भारत-ब्रिटिश औद्योगिकी दल की, जिसमें दोनों देशों के सरकारी तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं, पहली बैठक 1 फरवरी 1970 से 11 फरवरी, 1970 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) दोनों देशों के बीच औद्योगिकी सहयोग से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ इस प्रश्न पर भी सामान्य रूप में चर्चा हुई थी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन में वृद्धि

*186. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन को दुगना करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Residential Quarters of Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation

*187. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the riot affected Muslim employees of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi have not been rehabilitated so far ;

(b) if so, the reasons for the delay in the matter ; and

(c) the time by which it is proposed to provide residential quarters to them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). This presumably refers to the re-s ttlement in the township of Heavy Engineering Corporation, Ranchi, of the Muslim employees who have, after the 1967 disturbances, been temporarily housed in two hostels. All the quarters earlier occupied by the employees have been kept reserved for them. The employees did not feel secure enough to return to these quarters and it was for some time not easy to devise a solution which

would make them feel reasonably secure without concentrating them in one or a few area which would disturb others and, therefore, arouse their opposition. Efforts have been and are being made to shift them back to the township in convenient blocks by suitable adjustments and with the cooperation of all sections of employees. A beginning has been made early in February, 1970 and some employees have started occupying the quarters allotted to them. It is hoped that others will gradually follow.

ढलाई उद्योग के लिए कच्चे लोहे की कमी

* 188. श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री प० गोपालन :
श्री के० रमानी : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्चे माल, विशेषतः कच्चे लोहे की कमी के कारण ढ़लाई उद्योग के संकट का पता है ;

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार कच्चा लोहा तैयार करने के लिये दुर्गापुर कोक भट्टी संयन्त्र में एक धमन (ब्लास्ट) भट्टी लगाने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) वर्तमान अध्ययन के अनुसार कच्चे लोहे की उपलब्धि अनुमानित मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी कुछ प्रकार के माल की कमी हो जाती है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० से कम मात्रा में उपलब्ध कच्चे लोहे के ग्रेड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। बेसिक ग्रेड के कच्चे लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया है संयुक्त संयंत्र समिति ने कच्चे लोहे के वितरण की एक सम्यक प्रणाली भी बनाई है जिससे सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में माल मिल सके। संयुक्त संयंत्र समिति ने कमी वाले क्षेत्रों को समय-समय पर यथाशीघ्र माल भेजा है।

(ग) और (घ). संभवतः संकेत पश्चिमी बंगाल सरकार के दुर्गापुर स्थिति कोक ग्रोवन कारण से है। राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मैसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

*189. श्री वि० कु० मोडक : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के स्वामित्व तथा नियंत्रण के बारे में ब्योरा क्या है तथा वर्ष 1965-66 से 1969-70 तक वर्षवार इस कम्पनी के नियंत्रण में कौन-कौन सी कम्पनियां रहीं ;

(ख) इस कम्पनी के पहले तथा वर्तमान अध्यक्षों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या श्री हरिदास मूंदड़ा का भी इस कम्पनी से कोई सम्बन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सम्बन्ध किस प्रकार का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). इच्छित सूचना, पूर्ण रूप से सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपनी 30 जून, 1969 को वार्षिकी विवरणी में, जो कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई है, मैसर्स टर्नर मारीसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने अपनी हिस्सेधारिता निम्न प्रकार से प्रकट की है :—

हिस्सेदारों के नाम	धारण हिस्से
1. मैं० हन्गर फोर्ड इन्वेस्टमैंट ट्रस्ट लि० (एच्छिक समापन में) सिंगापुर	2,283
2. श्री एल० डब्ल्यू० वालकोम्बे, कलकत्ता	3
3. श्री ए० एच० ह्यूम कलकत्ता	3
4. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	2,199
5. श्री हरिदास मून्दड़ा	3
6. श्री डब्ल्यू० एच० जे० क्रामस्टो, कानपुर	3
7. श्री डी० एम० जाफरो, कलकत्ता	3
8. श्री सी० एन० रोडेवाल्ड, कलकत्ता	3
	4,500

यह भी सूचित करना है कि मैं० टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने, 31 दिसम्बर, 1969 को वर्ष समाप्ति के लेखे के संधारण के लिए 30-5-1968 को वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की थी। बैठक पूर्ण रूप से सम्पन्न हुई। तथापि, मैं० हन्गरबोर्ड इन्वेस्टमैंट ट्रस्ट लिमिटेड (एच्छिक समापन में) के एक प्रार्थना-पत्र पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कम्पनी तथा इसके निदेशकों को, 30 मई, 1968 को हुई बैठक तथा/अथवा, किसी अन्य स्थगित बैठक में पास किये किसी संकल्प को प्रभावी बनाने से निपेक्ष करने के आदेश पारित कर दिये हैं। कम्पनी ने रजिस्ट्रार को, 1966 तथा परवर्ती वर्षों के तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि के लेखे अभी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

ऊपर कथित, 30 जून, 1968 तक की बनाई गई वार्षिक विवरणी से उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह दृष्टिगोचर होता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल में, निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं :—

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1. श्री बी० पी० सिनहा, नई दिल्ली	29- -1966
2. श्री काशी नाथ टपूरिया, कलकत्ता	21-9-1966
3. रानी पद्मावती देवी, नई दिल्ली	9-1-1968
4. श्री एस० वी० गोइन्का, कलकत्ता	29-4-1968

श्री बी० पी० सिनहा, कम्पनी के अध्यक्ष हैं।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री हरिदास मून्दड़ा, निम्न प्रकार से 49 प्रतिशत हिस्सों का भोग-स्वामी है।

नाम जिसके अन्तर्गत हिस्से हैं	हिस्सों की संख्या
1. श्री हरिदास मून्दड़ा	3
2. श्री डब्ल्यू० एच० जे० क्राइस्टो	3
3. ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लि०	2199
	2205

यह हिस्से 1964 से भी पहले, आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्क कर लिये गये थे, परन्तु वह इन हिस्सों को बेचने में समर्थ न हो सके, क्योंकि एक स्वत्व वाद कलकत्ता में, एक न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

रानाघाट लालगोला सेक्शन (पूर्व रेलवे) पर अनधिकृत रेलवे स्टेशन

*190. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्व रेलवे के रानाघाट-लालगोला सेक्शन पर कुछ अनधिकृत स्टेशन बनाये गये हैं और इस लाइन पर यात्रा करने के लिए अंचल प्रधान की मोहर (सील) वाले अनधिकृत टिकट जारी किये जाते हैं जैसाकि 30 जनवरी, के "दि स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है और सुधारात्मक उपाय किये हैं और यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। रानाघाट-लालगोला खण्ड पर दो स्थानों पर सवारी गाड़ियों को लाल झंडियां दिखा कर अनधिकृत रूप से रोका जा रहा है और इन स्थानों से रेल गाड़ियों में चढ़ने वाले कुछ व्यक्तियों के पास अंचल प्रधान की मोहर लगी पुर्जे पाये गये हैं।

(ख) पूर्व रेल प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से लिखा-पढ़ी की है। इस बात की भी जाच की जा रही है कि क्या इन दोनों स्थानों पर नियमित गाड़ी हाल्ट खोलने की जरूरत है।

कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक

*191 श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समवायों के निदेशकों के पारिश्रमिक तथा उनकी परिलब्धियों को उच्चतम-सीमा निश्चित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय को भूतलक्षी अवधि से, अर्थात जिस तारीख से प्रबन्ध एजन्सियों को समाप्त करने वाला अधिनियम लागू किया गया था, लागू किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि उनके द्वारा निश्चित की गई उच्चतम-सीमा की जनता द्वारा कटु-आलोचना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उच्चतम सीमा को कम से कम 20 प्रतिशत कम करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्। इस सम्बन्ध में, दिनांक 2 दिसम्बर, 1969 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके साथ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सहायक प्राइवेट कम्पनियों के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों की नियुक्ति व उनके पारिश्रमिक को अधिकतम सीमा से सम्बन्धित संशोधित मार्गदर्शक नियमों की एक प्रति, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

(ख) इन संशोधित मार्गदर्शक नियमों का पालन अगस्त, 1969 से किया जा रहा है।

(ग) और (घ). इस पर दोनों प्रकार की आलोचनायें की गई हैं, एक इस आधार पर कि संशोधित अधिकतम 'सीमा' अभी तक अत्यधिक उच्च है, तथा इस आधार पर कि पारिश्रमिक में कमी अत्यधिक उग्र है। इस प्रश्न पर, इस मंत्रालय के लिये संसद की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने भी विभिन्न विचार प्रकट किये हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के संघ एवं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के संबंध मंडलों ने इन अधिकतम सीमाओं को उदार बनाने के सुझाव दिये हैं। यह सम्पूर्ण सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनिरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

*192. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनिरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को पंजीकरण

प्रमाणपत्र देने के बारे में 10 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब यह मान्य तथ्य है कि मैसर्स इन्डियन गेल्वेनाईजिंग कम्पनी ने मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनिरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड को अपना तेल बेरल संयंत्र नहीं बेचा था और मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनिरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने केवल अनधिकृत तथा गैर-कानूनी रूप से ही मशीनरी नहीं लगाई बल्कि सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना तेल के बैरल बनाने भी आरम्भ कर दिये और प्रतिरक्षा मंत्रालय को तेल का कोई बैरल नहीं दिया, तो सरकार ने इस कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाये उस की क्षमता को मान्यता क्यों दी ; और

(ख) जब इस कंपनी को दुर्लभ तथा नियंत्रित कच्चा माल आवांटित करने की कोई शर्त तथा पूर्वोदहारण नहीं था, तो इस उद्योग में अन्य कारखानों को हानि पहुंचा कर उसे उपरोक्त माल आवंटित करने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 30 अप्रैल 1969 को प्रस्तुत की गई (चतुर्थ लोक सभा) की प्राक्कलन समिति की 85 वी० रिपोर्ट के पृष्ठ 42 ने 52 तक की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार के दृष्टिकोण से प्राक्कलन समिति को अवगत करवा दिया गया है आगे की कार्यवाही प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का सरकार को पता चलने पर की जाएगी।

(ख) इस कंपनी की तेल के पीपे बनाने की क्षमता सरकार द्वारा मान्य हो जाने के पश्चात् ही इस क्षेत्र के अन्य एककों के साथ ही कच्चे माल का आवन्टन करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा। इस प्रकार के माल का आवन्टन उनकी उपलब्धता विदेशी मुद्रा स्त्रोतों आदि पर निर्भर कर गलत था किसी प्रकार के दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

रूरकेला इस्पात कारखाने के श्रमिकों की धीरे काम करो नीति

***193 श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री नारायणन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 में पर्याप्त अन्तरिम सहायता देने के बारे में कार्मिक संघों से करार हो जाने के बावजूद भी रूरकेला इस्पात कारखाने के श्रमिकों ने कुछ समय से धीमी गति से काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कारखाने का उत्पादन कितना कम हुआ है तथा सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). रूरकेला इस्पात कारखाने के कोकभट्टी और उष्मसह विभागों के कामगारों ने दिसम्बर, 1969 जनवरी, 1970 की अवधि में कुछ समय तक धीरे काम करने की नीति अपनाई थी। कार्य मूल्यांकन तथा वेतन मानों में संशोधन तथा वृद्धि के लिए इन विभागों के कामगारों की मांग ही इसका कारण थी। इस श्रमिक अशान्ति के कारण 39,879 टन तैयार इस्पात की हानि का अनुमान है। ऐसा मालूम हुआ है कि प्रबन्धकों और कामगारों में समझौता हो गया है तथा स्थिति सामान्य हो गई है। यह मामला कारखाने के प्रबन्धकों और हिन्दुस्तान स्टील लि० को करना है। अतः सरकार ने इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

सीमेंट के मूल्य पर नियंत्रण

*194. **श्री न० कु० सांघी** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण न हटाये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार द्वारा इस आशय का स्पष्ट वक्तव्य दिया गया था कि 1 जनवरा, 1970 तक सीमेंट से सभी प्रकार का नियंत्रण हटा लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्य का ध्यान संसद में दिनांक 22 दिसम्बर, 1969 को दिये गए मेरे वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 22-12-1969 को औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) द्वारा सीमेंट उद्योग के बारे में सरकारी निर्णयों संबन्धी वकतव्य।

जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को विदित है कि मैंने 14 अप्रैल, 1969 को इस सदन में विद्यमान व्यवस्था को समाप्त करने तथा 1-1-70 से सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में सरकार के निर्णय पर कारण बताते हुए एक वक्तव्य दिया था। तब से सरकार को अनेक बड़े उत्पादकों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा चैंबर आफ कामर्स से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा भाड़े का समकरण प्रबन्ध पर सीमेंट की बिक्री हेतु सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा विद्यमान व्यवस्था को जारी रखने के लिये आग्रह किया गया है। इन अभ्यावेदनों में दिये गये विभिन्न आधार खासतौर से विनियंत्रण के पश्चात मूल्य वृद्धि का होना विशेषतः कमी वाले क्षेत्रों में सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार करने को वे सचेष्ट करते हैं। इन परिस्थितियों में जब सरकार पर अभ्यावेनों में निवोदित बातों पर अपना परीक्षण पूरा करती है, 31 दिसम्बर, 1969 के उपरान्त की सीमेंट की बिक्री के लिए वर्तमान व्यवस्था गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा फ्रेट पूलिंग व्यवस्था आदि भी लागू रहेगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील और एक्सल और फिश प्लेट एकक

*195. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील और एक्सल और फिश प्लेट एककों को वहां से हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्या कारण हैं, और उल्लिखित एककों को किस स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ (इन्टक का एक यूनिट) के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को सावधान किया है कि वे दुर्गापुर से किसी भी एकक के हटाये जाने के प्रस्ताव को छोड़ दें क्योंकि कर्मचारी इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और उसके विरुद्ध वे पूर्ण हड़ताल भी कर सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अमृत बाजार पत्रिका में दिनांक 5-1-1970 को प्रकाशित समाचार के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष ने 4-1-1970 को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रबन्धकों को सावधान किया था ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा छपाई की मशीनों का निर्माण

*196. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किये बिना ही, छपाई मशीनों के विभिन्न पुर्जों ने निर्माण के लिए एक योजना दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने योजना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). इटली के मै० सोसिता नोवेआलों के साथ सहयोग करार करके विभिन्न प्रकार की स्वचालित मोटर प्रेसों, आफसेट प्रेसों तथा कागज काटने वाली मशीनों सहित छपाई

मशीनों का निर्माण/उत्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

बड़े औद्योगिक एककों में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बनाये गये पुर्जों का इस्तेमाल

*197. **श्री गणेश घोष :**

श्री भगवान दास :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 तथा 21 जनवरी को गोहाटी में हुई लघु-उद्योग बोर्ड की 27 वीं बैठक की कार्यवाही के बारे में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये औद्योगिक विकास उप-मंत्री ने 23 जनवरी, 1970 को दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में घोषणा की थी कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि लाइसेंस देते समय बड़े औद्योगिक एककों के लिए यह जरूरी किया जाये कि वे छोटे उद्योगों द्वारा बनाये गये पुर्जों का, यदि वे भारत में उन में बनते हों, इस्तेमाल करें ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रथा क्या है, नये निर्णय का ब्योरा क्या है और नये निर्णय को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु क्षेत्र में सहायक पुर्जों के उत्पादन को और अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से ध्यान दे रही है। औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री श्री भानु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक भारतीय शिष्टमंडल ने सितम्बर, 1969 में जापान का दौरा किया था और भारत में सहायक उद्योग की सहायता के लिए बहुत से उपायों की सिफारिश की थी। उनके द्वारा सुझाए गए उपायों में सहायक उद्योगों के स्वास्थ्य विकास का सुनिश्चय करने में बारे में एक उपाय यह था कि जिन हिस्सों और पुर्जों का सम्पूर्ण निर्माण लघु क्षेत्र में किया जा सकता है उनका भार बड़े औद्योगिक एककों पर न डाला जाए और भविष्य में जारी किये जाने वाले लाइसेंसों में इस प्रकार के खण्डों की व्यवस्था कर दी जाती है। सहायक उद्योगों के बारे में शिष्टमण्डल की रिपोर्ट और सिफारिशों पर जनवरी, 1970 में गोहाटी में हुई लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया था। सर्वसम्मति यह थी कि भविष्य में, बड़े एककों का लाइसेंस देते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि वे हिस्से और पुर्जों जो लघु क्षेत्र में बनाये जा सकते हैं उन्हें बड़े एककों में बनाने की इजाजत न दी जाये। जापान भेजे गये भारतीय शिष्टमण्डल की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है 23 जनवरी, 1970 को हुई प्रेस सम्मेलन में श्री भानु प्रकाश सिंह ने लघु उद्योग बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों और उनके बारे में सरकार की सामान्य प्रतिक्रिया बताई। फिर भी, इस मामले में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया।

Incidence of Chain Pulling and Theft Cases on Southern Railway

*198. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of cases of chain pulling on the Southern Railway during the last two years ;

(b) the number of theft cases registered during the said period in respect of goods sent by rail in the said Railway ;

(c) the details of stolen goods recovered as a result of searches made and the number of persons arrested in this connection ; and

(d) the number of persons prosecuted, the number of those convicted out of them and the number of such cases still pending trial ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	1968	—	4,110
	1969	—	5,579
(b)	Year		No. of cases registered
	1968	—	199
	1969	—	87

(c) Stolen properties like grains, pulses, handloom cloth, Ammonia Sulphate, Safety matches and personal effects etc. to the extent of Rs. 35.5 thousand in 1968 and Rs. 35.4 thousand in 1969 were recovered, with the arrest of 224 and 80 persons in the respective years.

(d) During 1968, 166 persons were prosecuted of which 63 were convicted. During 1969, 47 were prosecuted and 19 convicted. 12 cases of 1968 and 19 cases of 1969 are still pending trial.

भारतीय रेलों के प्रबन्ध कार्य के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*199. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री य० म्र० प्रसाद :**
श्री रवि राय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने भारतीय रेलों के प्रबन्ध कार्य के बारे में हाल ही में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशों को 'मुख्य' और 'सहायक' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

(ग) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

भारत-मलयेशिया तकनीकी-आर्थिक सहयोग

*200. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया ने भारत को बताया है कि वह भारत की प्रार्थना पर दो बार बातचीत स्थगित किये जाने के बाद मार्च 1970 तक दोनों देशों के बीच तकनीकी-आर्थिक सहयोग के बारे में राजकीय तौर पर बातचीत करने को तैयार हो जायेगा ;

(ख) जब भारत की प्रधान मंत्री जून, 1968 में क्वालालम्पुर गई थी तो क्या उनके कहने पर एक राजकीय समिति बनाई गई थी तथा इस काम के लिये वैसे ही निकाय स्थापित करने के लिये पाकिस्तान जैसे कुछ अन्य देशों की ओर से मलयेशिया सरकार पर दबाव डाला गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) बातचीत स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) बातचीत शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जब जून, 1968 में प्रधान मन्त्री क्वालालम्पुर गई थी तो भारत तथा मलेशिया की सरकारों के बीच में यह सहमति हो गई थी कि आर्थिक, सांस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षी सहयोग के प्रश्न पर अधिकारी स्तर पर दोनों सरकारों के मध्य वार्षिक वार्ताएं की जायेंगी । अक्तूबर, 1968 में नई दिल्ली में प्रथम बैठक हुई तथा द्वितीय बैठक फरवरी, 1970 में क्वालालम्पुर में हुई थी । ये वार्ताएं लगभग वार्षिक अन्तराल से दोनों सुविधाओं को देखते हुए की जाती हैं । किसी भी सरकार के अनुरोध पर वार्ता का कोई औपचारिक स्थगन नहीं हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि मलेशिया सरकार ने इसी प्रकार की वार्ताओं का प्रबन्ध अन्य सरकारों के साथ भी किया है परन्तु भारत सरकार के पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

All Party Committee for Considering Amendment in Present Election Laws

*201. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had given an assurance to the House on the 18th March, 1969 that an All-party Committee would be constituted under the Chairmanship of the Speaker of Lok Sabha to consider the question of bringing about amendments for modifying the present Election Laws *de novo* ;

(b) if so, the steps so far taken or likely to be taken in future in this connection ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) ; (a) to (c). Yes, Sir. The Election Commission has submitted detailed proposals for amendment of the Election Law, which are being examined by the Government. Discussions with the representatives of political parties will be arranged, after studying the proposals.

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास परियोजनायें

*202. **श्री शिवचन्द्र झा :**　　　　　　**श्री हेम बरुआ :**

श्री म० ला० सोंधी :

क्या **औद्योगिक** विकास, **आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में पिछड़े हुए क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली नयी औद्योगिक विकास परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और चौथी योजनावधि में पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की सूची चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप प्रतिवेदन के पृष्ठों 253-260 पर दी गई है। योजना आयोग के कार्यकारी दलों द्वारा अनुशासित राज्य क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी०–2675/70] । कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थान के बारे में पहले ही निर्णय किया जा चुका है तथा वह योजना प्रलेख में दिखाया गया है। जहां तक बाकी परियोजनाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में अभी बताना संभव नहीं है कि वे कहां स्थापित की जायेंगी।

राज्य सरकारें/संघीय प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से विचार के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को चुने। चूंकि अभी तक केन्द्रीय सरकार से सूचि प्राप्त नहीं हुई है अतः यह बताना अभी संभव नहीं है कि कौन सी नई परियोजना किस पिछड़े जिले में स्थापित की जायेगी। जिन परियोजनाओं का स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है तथा स्थान का अभी चुनाव करना है। वहां पिछड़ेपन के साथ-साथ स्थान निर्धारण करते समय आर्थिक दृष्टिकोण का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए 26 सितम्बर, 1969 को हुई राज्य के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, सरकार ऐसे नए एककों की स्थापना के लिए, जिनकी कुल अचल आस्तियां 50 लाख रु० से अधिक नहीं है, सीधे ही कुल अचल आस्तियों के 10 प्रतिशत के तुल्य अनुदान तथा उपदान देने का प्रस्ताव रखती है। यह रियायत पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाले कार्यकारी दल द्वारा

बताये औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के प्रत्येक के 2 जिलों को मिलेगी। 50 लाख से अधिक पूंजी के विनियोजन वाले नये एककों के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के संवर्धन हेतु रियायतें तथा प्रोत्साहन राज्यों में उद्यमियों को उपलब्ध होंगे न कि राज्य सरकारों को।

इस्पात कारखाने संबंधी पांडेय समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

*203. श्री बृजभूषण लाल : श्री न० र० देवघरे :

श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के विभिन्न एककों को अधिक कार्य-कुशल बनाने के लिये पाण्डेय समिति की कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र) : (क) और (ख). पाण्डे समिति की 83 सिफारिशों में से 37 को क्रियान्वित कर दिया गया है। बाकी सिफारिशें, जो क्रियान्वित किये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है, या तो सतत प्रकृति की है या औद्योगिक सम्पर्क, नियुक्ति, प्रोत्साहन योजना, आदि से संबंधित हैं जिनके बारे में वार्ता करने, करार करने और उस पर अमल करने में काफी समय लगता है।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन

*204. कंवरलाल गुप्त :

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है, ताकि सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अधिनियम के दांडिक उपबन्धों को अधिक कठोर बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गत वर्ष कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था ; और

(घ) इस कानून को कारगर ढंग से लागू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। आशा है कि संसद के चालू सत्र में एक संशोधक विधेयक पेश कर दिया जाएगा।

(ग) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। अलबत्ता भारत सरकार उन्हें इस अधिनियम को लागू करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कहती रहती है। उन्हें हाल में यह बताने का अनुरोध किया गया है कि इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उनका कौन से ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है।

Production of Tractors in Government Factories at Pinjore and Durgapur

***205. Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Ram Kishan Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1289 on the 29th July, 1969 regarding production of tractors in the Hindustan Machine Tools Factory, Pinjore and state the progress so far made in regard to the manufacture of tractors on the basis of unutilised capacity of Government factories in Pinjore and Durgapur ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : Following the recommendations of the National Industrial Development Corporation, the Hindustan Machine Tools have submitted a concrete proposal for the manufacture of 20 H. P. tractors. The proposal envisages the utilisation of the spare capacity of their Pinjore Unit and at the Minning and Allied Machinery Corporation Ltd., Durgapur to the fullest possible extent. The proposal of the company is under consideration.

मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

***206. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई क्षमता बनाये जाने के बारे में 25 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य उद्यमियों की तेल के ढोल बनाने की क्षमता को मान्यता देगी यदि वे भी पूरी तरह सुसज्जित हो जायें और तेल के ढोल बनाने के लिये सरकार को अनुमति के लिए आग्रह करें; और

(ख) यदि नहीं, तो उद्योग के प्रतिबंधित सूची में रहने की अवधि में मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को 40/45 गैलन वाले तेल के ढोल बनाने की क्षमता की स्वीकृति देने में विशेष रियायत किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत की गई (चतुर्थ लोक-सभा) के प्राक्कलन समिति की 85वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 42 से 52 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस मामले से सम्बन्धित सभी आंकड़े तथा विवरण सरकारी दृष्टिकोण से प्राक्कलन समिति को अवगत

करा दिया गया है। प्राक्कलन समिति की अग्रेतर सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकारी निर्णय उसके उपरान्त हो सकेगा।

Restriction on Expansion and Production in Private Sector

*207. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to restrict the expansion and production in the private sector ;

(b) whether the public sector is in a position to make up the deficiency that will result thereby ;

(c) if so, whether Government have ensured that the industrial production as well as expansion is not hampered : and

(d) if not, the manner in which Government propose to make up this deficiency ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No. Sir.

(b) to (d). Do not arise.

तेल के ढोल बनाने वाले कारखानों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

*208. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4045 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल के ढोल बनाने वाले अन्य कारखानों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या देश में अन्य तेल ढोल निर्माता कारखानों की अनुमति क्षमता निर्धारित करते समय सरकार ने कार्य-कुशलता का वही स्तर रखा था जो कि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के मामलों में पाया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक कारखाने की अनुमित क्षमता निर्धारित करने में समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). बैठक का निर्माण करने वाले अन्य एककों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता इस प्रकार है :

(1) मे० भारत बैरल ऐण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कं०, बम्बई	10,80,000 संख्या प्रति वर्ष
(2) मे० स्टील कंटेनर्स लि०, बम्बई	5,860 मी० टन प्रति वर्ष

(3) मे० इंडस्ट्रियल कंटेनर्स लि०, कलकत्ता	6,000 मी० टन प्रति वर्ष
(4) मे० आसाम आयल कं०, आसाम	3,840 मी० टन प्रति वर्ष

समय और कार्य करने की गति के अध्ययन पर क्षमता आंकते समय सामान्य रूप से कुशलता का कारक 75 प्रतिशत प्रवर्तित होता है। इसमें मशीन की टूटफूट तथा कर्मचारियों की थकावट आदि कारण भी आ जाते हैं। कार्य कुशलता का यह स्तर उस स्थिति से लिया जाता है जहां कर्मचारी प्रशिक्षित और कुशल हो, संयंत्र का खाका भी प्रणालीबद्ध हो, और कार्य को सुगमता से चलाने की दृष्टि से गठित किया गया हो। केवल ऐसे प्रकरणों के अतिरिक्त जिनमें संयंत्र और मशीन पुराने हैं और बार-बार टूट-फूट होती रहती है। मशीन का खाका अनुपयुक्त है, ऐसे प्रकरणों में अपेक्षाकृत कुशलता स्तर कम स्वीकार किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास

*209. **श्री समर गुह** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यावधि चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना के समय से अब तक राज्य से कोई औद्योगिक संस्थान अन्य राज्यों में ले जाये गये हैं अथवा ले जाने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) क्या इस अवधि में पश्चिमी बंगाल में किन्हीं औद्योगिक संस्थाओं ने अपने एकक उस राज्य से बाहर खोले हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की अवधियों में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ;

(घ) क्या 1968-69 की अवधि में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संस्थानों का उत्पादन कुल अवधि में मिलाकर कम हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल से उद्योगों के अन्य राज्यों में स्थानान्तरण के तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। इन में से दो आवेदन रद्द कर दिये गये हैं और शेष अभी विचाराधीन हैं।

(ग) पश्चिमी बंगाल में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 1966 में 4, 1967 में 7, 1968 में 2 तथा 1969 में 5 लाइसेंस जारी किये गये।

(घ) और (ङ) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1969 में पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में 1968 की अपेक्षा कोई बड़ी गिरावट नहीं आई यद्यपि कुछ एककों में उत्पादन प्रभावित हुआ है।

रेलवे के मालडिब्बों में लकड़ी लादने के लिए फ्री लोडिंग' समय का बढ़ाया जाना

*210. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पांच घंटे के 'फ्री लोडिंग' समय में रेलवे के माल डिब्बों में लकड़ी लादने का काम पूरा करना बहुत कठिन है ;

(ख) क्या सरकार का विचार लकड़ी लादने के लिये 'फ्री लोडिंग' समय कम से कम 6 घंटे कर देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे को हुई हानियां

1201. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धोखाधड़ी और जालसाजी के कारण पूर्वोत्तर रेलवे को 1969 में कुल कितने रुपये की हानि उठानी पड़ी और माल की कितनी और किस प्रकार हानि हुई ;

(ख) उनके काम करने का ढंग क्या है ;

(घ) वर्ष में कितने छापे मारे गये, कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितना तथा कितने मूल्य के सामान का पता लगाया गया ; और

(घ) चोरों को चोरी करने से रोकने के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) :

(क) (i) 65,356 रुपये 67 पैसे।

(ii) हैंडलूम का कपड़ा	—	13 गाठें
चना और चने की दाल	—	220 बोरे
मिल का बना कपड़ा	—	2 गांठें
पीतल के बर्तन	—	13 पैकेज

(ख) जाली रेलवे रसीदों पर सुपुर्दगी लेना।

(ग) (i) जितने छापे मारे गये उनकी संख्या	—	2
(ii) गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	—	2
(iii) बरामद माल की मात्रा	—	हैंडलूम कपड़े के 179 टुकड़े
(iv) बरामद माल का मूल्य	—	400 रुपये।

(घ) सुरक्षा विभाग की अपराध आसूचना शाखा में एक जालसाजी निरोधक दस्ता बनाया गया है जो बुक किये गये पारेषणों का धोखे से मार्ग परिवर्तन करने और जाली रेलवे रसीदों पर उनकी सुपुर्दगी लेने के मामलों पर नजर रखेगा और उनका पता लगायेगा ।

रूरकेला संयंत्र में इस्पात का उत्पादन

1202. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के मजदूरों द्वारा 'धीरे काम करो' की नीति अपनाई जाने के कारण वहां लगी धमन भट्ठियों में से एक बन्द करनी पड़ी है और कोयले की भठ्ठी में लगी चार बैटरियों में से एक को बन्द करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने मजदूरों का सम्बन्ध था ;

(ग) इस श्रमिक असंतोष का रूरकेला में इस्पात उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) रूरकेला संयंत्र को कुल कितने रुपये की हानि उठानी पड़ी ;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान स्टील के अध्यक्ष ने भुवनेश्वर में अपने 10 जनवरी, 1970 के वक्तव्य में पुनर्गठित संघ के रवैये को 'अनुत्तरदायित्व पूर्ण' बताया है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने रूरकेला में इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) हड़ताल में 1105 मजदूर शामिल थे।

(ग) और (घ). 39,979 टन तैयार इस्पात के उत्पादन की हानि का अनुमान है । इसके फलस्वरूप 1.93 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि का अनुमान है ।

(ङ) 19-12-1969 को इस्पात उद्योग की संयुक्त वेतन समिति ने, जो उद्योग स्तर पर एक द्विपक्षीय समिति है, मजदूरों को अन्तरिम राहत देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया । इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि औद्योगिक शांति और सद्भाव कायम रखा जाएगा । राउरकेल इस्पात कारखाने की मान्यता प्राप्त यूनियन ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे । अतः मजदूरों का कार्य, जो इस समझौते का अतिक्रमण करना था जिसमें इस यूनियन का सहयोग था, अध्यक्ष द्वारा उत्तरदायित्व-हीन ठहराया गया ।

(च) 31-1-70 से स्थिति सामान्य है और सरकार द्वारा किसी विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अन्धों को सहायता देने का कार्यक्रम

1203. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्धों को सहायता देने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास का प्रथम उत्तरदायित्व राज्यों पर है। अलबत्ता, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है।
2. नेत्रहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किए गए हैं। एक केन्द्रीय बोर्ड नेत्रहीनों के अध्यापकों की मकान अखिल भारतीय परीक्षा लेता है।
3. नेत्रहीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां साधारण शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर के प्रथम वर्ष से तथा तकनीकी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं।
4. विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं, की स्वयंसेवी संस्थाओं को विकासात्मक कार्यवाहियों के लिए सहायता दी जाती है।
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए खोले गए 9 विशेष रोजगार कार्यालय विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं, उचित रोजगार दिलाने में सहायता देते हैं।

जापान से लघु उद्योगों में उपयोग के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करना

1204. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में प्रयोग के लिये तकनीकी जानकारी को केन्द्रीकृत ढंग से प्राप्त करने के लिए जापानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग संगठन के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास उपमंत्री के नेतृत्व में लघु उद्योगों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने इस उद्देश्य के लिये हाल में जापान की यात्रा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस यात्रा का क्या परिणाम रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) सितम्बर, 1969 में एक प्रतिनिधिमंडल जापान गया था पर इस कार्य विशेष के लिये नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने का कानून

1205. **श्री विक्रम चन्द महाजन :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में भिक्षावृत्ति को रोकने का कानून बनाने में केन्द्रीय सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि भिखारियों के पुनर्वास का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले तो उसे कितना खर्च उठाना पड़ेगा ; और

(ग) भिखारियों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) भिक्षावृत्ति संविधान की सप्तम अनुसूचि की सूची II की मद संख्या 9 से सम्बंधित है। इसलिए भिक्षावृत्ति को समाप्त करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को अमल में लाना राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर आता है।

(ख) तथा (ग). देश में भिखारियों की कुल संख्या उपलब्ध न होने के कारण उनके पुनर्वास पर उठाया जाने वाला खर्च बताना सम्भव नहीं है। उसके अतिरिक्त सामाजिक रक्षा के कार्यक्रमों को, जिसमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

निर्वाचन व्यय पर विचार हेतु संसदीय आयोग की नियुक्ति

1206. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभाओं अथवा संसद् के निर्वाचनों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा किये गये निर्वाचन व्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संसदीय आयोग की नियुक्ति करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जी, नहीं। निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्थापनाएं भेजी हैं। उन प्रस्थापनाओं का अध्ययन करने में और उन पर विनिश्चय करने में कुछ समय लगेगा।

आगरा से नई दिल्ली तक एक और ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1207. श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा से नई दिल्ली तक एक और ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो कारण ; और

(ग) क्या वर्तमान ताज एक्सप्रेस की गति तेज करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) एक और ताज एक्सप्रेस गाड़ी के लिए इस समय यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनी औजारों के निर्यात के आदेश

1208. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कितनी राशि की मशीनों का निर्यात किया गया ; और

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मशीनी औजारों के निर्यात के लिये सरकार को कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सन् 1968-69 की अवधि में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर ने 17.00 लाख रु० के मूल्य के मशीन औजारों का निर्यात किया है ।

(ख) कम्पनी को अप्रैल से दिसम्बर, 1969 की अवधि में 71.00 लाख रुपये के निर्यात आर्डर उपलब्ध हुए ।

स्कूटरों तथा मोटरकारों के मूल्य में कर का अंश

1209. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री 9 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों तथा मोटरकारों के मूल्यों में करों के अंश के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (ग) से (ग). अतारांकित प्रश्न संख्या 3211 जिसका उत्तर 9 दिसम्बर, 1969 को दिया गया था में उल्लिखित प्रश्न संख्या 3411 जिस का उत्तर 18 मार्च, 1969 को दिया गया था में स्कूटरों (दो पहिये वाले तथा तीन पहिले वाले) तथा मोटर साइकलों के मूल्य में कर (टैक्स) के अंश के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस जानकारी के बारे में स्कूटरों तथा मोटर साइकल के उत्पादकों को लिखा गया था। उत्पादकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों में कर का अंश निम्न प्रकार है : —

(1) स्कूटर (दो पहिये वाले)	लगभग 35 प्रतिशत
(2) स्कूटर (तीन पहिये वाले)	लगभग 38 प्रतिशत
(3) मोटर साईकल	लगभग 45 प्रतिशत

भावनगर में गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का कारखाना

1210. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने एक गैर-सरकारी उद्यमी को भावनगर में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). गवा के श्री मोड्डू टिम्बलों को 30 अक्तूबर, 1964 को भावनगर में प्रति वर्ष 300,000 टन फाउण्ड्री ग्रेड कच्चे लोहे के उत्पादनार्थ एक कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र दिया गया था। 19 दिसम्बर, 1969 को इस आशय-पत्र को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की विश्व यात्रा

1211. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वर्ष 1969-70 में एक के बाद एक विश्व के दौरे पर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी अवधि के लिए बाहर रहे ;

(ग) ऐसी यात्राएं किस उद्देश्य और प्रयोजना के लिए आवश्यक समझी गई ; और

(घ) प्रत्येक मामले में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क)

श्रौर (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची, के अध्यक्ष 28 अगस्त, 1969 से लेकर 22 सितम्बर, 1969 तक सरकारी काम से विदेश गये थे। इस दौरे में वे रूस, चैकोस्लोवाकिया, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, यू० के० और संयुक्त अरब गणराज्य गये। कम्पनी के उपाध्यक्ष 25 अक्तूबर, 1969 से लेकर 19 दिसम्बर, 1969 तक विदेशों के दौरे पर गये थे। वे अमरीका, रूस पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया और यू० के० गये थे।

(ग) अध्यक्ष के दौरे का उद्देश्य तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्न विदेशी पार्टियों से बात-चीत में शीघ्रता करना तथा निर्यात की संभावनाओं का पता लगाना था। उपाध्यक्ष के दौरे का उद्देश्य तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्न विदेशी पार्टियों के साथ किये जाने वाले करारों को अन्तिम रूप देना था। विदेशों का कार्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बांट दिया गया था और दौरे इस प्रकार रखे गये थे जिससे दोनों एक साथ बाहर न जायें।

(घ) अध्यक्ष की विदेशी यात्रा पर विदेशी मुद्रा का खर्च 150 पौंड स्टलिंग था। जहां तक उपाध्यक्ष के दौरे पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा का प्रश्न है, जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

'पेट्रिएट' प्रकाशनों की परिसम्पत्ति

1212. **श्री एम० शिवप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री अजमल खां :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री पीलू मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक 'पेट्रियट' समाचार पत्र का बिक्री से कुल कितना परिचालन है तथा पेट्रियट प्रकाशनों को कुल कितना लाभ अथवा हानि है ; और

(ख) पेट्रिएट प्रकाशनों को 31 दिसम्बर, 1969 को कुल कितनी परिसम्पत्ति थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स रायसीना पब्लीकेशन्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित, दैनिक, 'पेट्रिएट', दिल्ली का माध्य प्रदत्त परिचालन, 1968 में, 46,566 था।

मैसर्स रायसीना पब्लीकेशन्स लिमिटेड ने, 28 फरवरी, 1969 को वर्ष समाप्ति के मध्य 15,45,285.61 रु० की कार्य हानि उठाई थी।

(ख) 28 फरवरी, 1969 तक, मैसर्स रायसीना पब्लीकेशन्स लिमिटेड की कुल परिसम्पतियों का कुल पुस्त मूल्य, लगभग 14,46,462.21 रु० था।

Tractor Factory in Public Sector

1213. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :**

(a) whether Government propose to set up a factory in the Public Sector for the manufacture of tractors ;

(b) if so, the horse-power of the tractor to be manufactured in the proposed factory ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Yes, Sir. A proposal to manufacture tractors of 20 HP by utilising available spare engineering capacity in the Public Sector to the fullest possible extent is under consideration of Government.

कम आय वाले वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

1214. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री उमानाथ :**
श्री ग्रा० कु० गोपालन : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कम आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े बड़े मन्दिरों का प्रबन्ध

1215. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े-बड़े मन्दिरों का सरकारी न्यासों के माध्यम से प्रबन्ध करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने ऐसे उपाय की आवश्यकता अनुभव नहीं की है ।

Financial Assistance to Delhi Administration

1216. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has forwarded some suggestions to the Central Government in respect of granting old age pension to the people in Delhi and has asked for allocation of funds therefor ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government is not in a position to support the programme of the Old Age Assistance in the country due to limitation of resources.

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति पर दत्त समिति की सिफारिशों को लागू करना

1217. **श्री लखन लाल कपूर :** **श्री एम० एम० कृष्ण :**
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय की आर्थिक सचिवों की समिति ने औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के बारे में दत्त समिति की सिफारिशों को लागू करने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इसके लिए क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने समिति के इन विचारों को स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति के प्रतिवेदन पर कुछ निर्णय के लिए गये हैं तथा इस बारे में दिनांक 24 फरवरी, 1970 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 270 के उत्तर के साथ प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न की गई थी ।

रूरकेला उवरंक कारखाने की उत्पादन क्षमता

1218. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला उवरंक कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता का केवल एक चौथाई ही उत्पादन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) पूर्ण उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या गैस की अपर्याप्त सप्लाई भी उत्पादन में कमी होने का एक कारण है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ). कम उत्पादन का मुख्य कारण नैप्था रीफोर्मर फर्नेस में मई 1969 में हुई दुर्घटना है। दूसरा कारण इस्पात कारखानों से कोक- भट्टी-गैस की अपर्याप्त मात्रा में आपूर्ति है।

(ग) और (ङ). निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :—

(i) नैप्था रीफोर्मर यूनिट् की मरम्मत की जा रही है जिससे उसे पुनः विचार चालू किया जा सके।

(ii) इस्पात कारखाने की कुछ री-हीटिंग फर्नेसों में आयल फायरिंग का प्रतिस्थान किया जा रहा है जिससे उवरंक कारखाने को कोक भट्टी गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके।

(iii) कोक ओवन प्लांट के वर्तमान कम्प्रैसरों की मरम्मत के लिए फालतू पुर्जों की प्राप्ति में शीघ्रता की जा रही है।

(iv) स्क्रयू कम्प्रैसरों में भेजने से पहले कोक ओवन गैस को साफ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कम्प्रैसर और अच्छे कार्य कर सकें।

विद्युत उपकरणों का मानकीकरण

1220. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था के भूतपूर्व महानिदेशक और अब मानकीकरण के बारे में सरकार के अवैतनिक परामर्शदाता श्री बर्मन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पूरी सुरक्षा बरतने के लिए बिजली के घरेलू उपकरणों पर भारतीय मानक संस्था के स्तरों की विधि द्वारा लागू किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार को डा० लालसी बर्मन से बिजली के घरेलू उपकरणों पर किस्म नियन्त्रण के विषय में कोई सुझाव नहीं मिला है। फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे में मनीपुर के युवकों को भर्ती किया जाना

1221. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा में अब तक मनीपुर के कितने युवक भर्ती किये गये है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने रेलवे सेना में मनीपुर के लोगों को भर्ती करने की कोई व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मनीपुर के लोगों को रोजगार के अवसरों से इस प्रकार से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सरकार कर्मचारियों के आंकड़े राज्यों के अनुसार नहीं रखती। अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती की नीति के अनुसार, यद्यपि पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं होते, अराजपत्रित पदों (उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनका वेतन 575 रुपये से अधिक होता है और जो अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं) का प्रचार, आमतौर पर सम्बन्धित क्षेत्र में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों तथा उस क्षेत्र में स्थित नियोजन कार्यालयों आदि तक ही सीमित रहता है और इस प्रकार अधिकतम स्थानीय व्यक्तियों को आकर्षित किया जाता है।

मनीपुर मे सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना

1222. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर इस समय किस स्थिति में हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जोरहाट की मदद से मनीपुर में छोटे पैमाने के सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणाम का विस्तृत विवरण अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

मनिपुर में औद्योगिक सर्वेक्षण

1223. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में औद्योगिक परियोजनाओं की संभावनाओं की जानकारी करने हेतु तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्योरा तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र मणिपुर में बड़े तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों की स्थापना की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यताओं का पता लगाना है। तीन परियोजनाओं जैसे कागज के कारखाने, सीमेंट के कारखाने तथा खण्डसारी चीनी के कारखाने के बारे में प्रारम्भिक तकनीकी सर्वेक्षण किया जा चुका है।

दिल्ली में नये उद्योग

1224. श्री हरदयाल देवगुण : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गत तीन वर्षों में कितने और कौन कौन से नये उद्योग आरम्भ किये और प्रत्येक उद्योग में कितनी कितनी पूंजी लगाई और कितने श्रमिक नियुक्त किये और उद्योगों का किन-किन तरीकों से आरम्भ किया गया ;

(ख) निकट भविष्य में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से नये उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है और प्रत्येक उद्योग में कितनी-कितनी पूंजी लगाई जाएगी ;

(ग) उक्त उद्योगों को किन-किन तरीकों से आरम्भ किया जाएगा और उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी ; और

(घ) इस मामले में विलम्ब के कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिल्ली राज्य क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम पैमाने के कई नए उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। सरकार के पास चौथी योजना अवधि के लिए भी ऐसे कोई प्रास्ताव नहीं है। चूंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना और उसके लगाने के स्थान का मामला गैर-सरकारी उद्यमियों की इच्छा पर निर्भर करता है अत: निकट भविष्य में दिल्ली संघ प्रशासित क्षेत्र में स्थापित कि ए जाने वाले नए उद्योगों के बारे में बता सकना संभव नहीं है।

अमृतसर को जाने वाली पंजाब मेल का सैनिकों द्वारा लखनऊ में रोका जाना और उनके द्वारा लूट-पाट

1225. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मायावन :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चैंगलराया नायडू :
श्री नारायणन :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर को जाने वाली पंजाब मेल को सैनिकों ने 11 जनवरी, 1970 को लखनऊ में कुछ घन्टे रोका था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हावड़ा को जाने वाली जनता एक्सप्रेस को रात को चलाने के लिए मजबूर किया गया था और इस दौरान सैनिकों ने कुछ स्टाल लूटे थे और रेलवे की कुछ संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी ;

(ग) क्या दोनों घटनाओं के बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नही। सरकारी रेलवे पुलिस, लखनऊ के सैक्शन अधिकारी के अनुरोध पर जांच पड़ताल के लिए 11/12-1-1970 की रात को 5 अप पंजाब डाक गाड़ी लखनऊ स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा निर्धारित ठहराव से लगभग 18 मिनट देर तक रोकी गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता।

कानूनी आधार पर छोटे उद्यमों का विकास

1226. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री नारायणन :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री धी० ना० देव :
श्री पीलू मोदी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने जिसने लघु उद्योगों के संगठन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय पूर्व जापान का दौरा किया था, सांविधिक आधार पर लघु उद्योगों का विकास करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) प्रतिनिधिमंडल ने और क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) सरकार ने उनकी किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अन्य सिफारिशें लघु उद्योग विकास संगठन को दृढ़ता प्रदान करना, अन्य सिफारिशें लघु सेवा एककों तथा लघु व्यवसायिक एककों को सम्मिलित करने के लिए लघु उद्योग कार्य-क्रमों को विस्तृत करना, लघु उद्योग विकास संगठन को दृढ़ता प्रदान करना, उद्योगों का विकास, व्यापार केन्द्रों की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात का विकास तथा इस क्षेत्र के लाभार्थ विदेशों से तकनीकी जानकारी क्रय करना है।

(घ) सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

कार्य आरंभ करने में विलंब के कारण बोकारो इस्पात संयन्त्र को हानि

1227. श्री नि० रं० लास्कर : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सामिनाथन : श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री दण्डपाणि : श्री मयावन :
श्री वेंगलराया नायडू : श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नारायणन :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के चालू होने में दो वर्ष का बिलंब होने के कारण उनके मन्त्रालय को लगभग 122 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक संयंत्र को चालू करने के कार्य को तीन बार स्थगित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लागत खर्च में 165 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ;

(ग) क्या इसका मुख्य कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन से सामग्री की सप्लाई में विलम्ब होना है ;

(घ) क्या इस्पात विशेषज्ञों ने 55 लाख मिटरी टन की क्षमता वाले इस संयंत्र द्वारा लाभ कमाये जाने के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 122 करोड़ रुपये का उल्लेख 12 अगस्त 1969 को लोक सभा में पूछे गये प्रश्न संख्या 3132 के उत्तर में किया गया था और उसका संकेत इस्पात के उस अनुमानित मूल्य की ओर था जिसका उत्पादन कारखाने के परिचालन के बाद 15 महीनों में किया जाता अब परिचालन में 24 माह के विलम्ब होने का अनुमान है। अत: इस अवधि के उत्पादन का यह मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ जायेगा। परन्तु खोये हुए उत्पादन का यह मूल्य विलम्ब के कारण हुई हानि को प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसमें उत्पादन लागत शामिल नहीं है। अनुमान है कि प्रशासनिक तथा दूसरे ऊपरी खर्चों को शामिल करके कारखाने के परिचालन में विलम्ब के कारण होने वाली वास्तविक हानि 25 लाख रुपये मासिक के लगभग होगी।

(ग) जी, नहीं। कई कारणों से कारखाना चालू करने के कार्य-क्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है। भारी इंजीनियरी निगम और खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विम्लब इन कारणों में से केवल एक है, क्योंकि इससे भी अधिक घातक कारण तो उष्मसह निर्माताओं द्वारा अपने ठेके के दायित्व को निभाने में असफल होना है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। ऐसी आशा है कि यह कारखाना 40 लाख टन इस्पात पिण्ड के वार्षिक उत्पादन के स्तर पर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो जायेगा। 55 लाख टन के स्तर पर कारखाने की लाभप्रदता का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। अभी तक सरकार ने कारखाने के 40 टन स्तर तक विस्तार के लिये ही स्वीकृति दी है।

नई दिल्ली में हुआ मद्यनिषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1228. श्री नि० रं० लास्कर : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सामिनाथन : श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि : श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 से 30 जनवरी, 1970 तक नई दिल्ली में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ग) उसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(घ) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) भारत समेत सात ।

(ग) तथा (घ). एक विवरण, जिसमें सम्मेलन में विचार-विमर्श किये गये विषय तथा पास किये गये संकल्प, दिये गये हैं, संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2676/70]

गोहाटी में लघु उद्योग बोर्ड की बैठक

1229. श्री मयावन : श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्का : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन् : श्री नारायणन :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जनवरी तथा 21 जनवरी, 1970 को लघु उद्योग बोर्ड की गोहाटी में बैठक हुई थी ;

(ख) क्या राज्यों के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्री भी उस बैठक में उपस्थित थे :

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुइ ;

(घ) क्या-क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में शामिल होने वालों की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—2677/70]

(ग) तथा (घ). कोई भी बैठक में विचारित विषयों तथा लिए गए निर्णयों को नीचे दिया जाता है :

1. 'उचित मूल्य पर लघु उद्योगों के लिए देसी कच्चे मालों का कम संभरण यथोचित प्रतिशत या तो राज्य लघु निगम के माध्यम से या अन्य नियंत्रित माध्यमों से आरक्षित होना चाहिए ;

2. जहां यह स्पष्ट हो जाती हो कि लघु उद्योग वाले वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयाय होने वाली वस्तुएं दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हैं, ऐसे लाइसेंसों को 'अंतिम मूल्य' में कमी किए बिना ही एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. लघु उद्योगों की आयात हकदारी रकमों की आवश्यकता पर आधारित वस्तुओं होनीं चाहिए। लघु एककों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयातित वस्तुओं का, जिनका सामान्यतः कम संभरण होता है, तुरन्त सर्वेक्षण होना चाहिए ;

4 लघु उद्योग द्वारा अपेक्षित इक्विटी पूंजी तथा लम्बी अवधि वाले ऋणों को पूरा करने के लिए अलग से संस्था स्थापित करने के प्रश्न का उधार सुविधाएं देने वाली स्थाई समिति द्वारा विस्तृत परीक्षण किया जाना चाहिए ;

5. सामान्य रूप से लघु उद्योगों का तथा विशेष रूप से सहायक उद्योगों के भावी विकास को सांविधिक आधार पर लेना चाहिए।

6. प्रगामी आधुनिकी करण के लिए प्राबथसवाद कायक्रम बनाने के लिए लघु क्षेत्र के आधुनिकी करण से सम्बन्धित एक अस्थायी समिति स्थापित होनी चाहिए जिससे कि लघु एककों को विज्ञान तथा तकनीकी का लाभ प्राप्त हो पड़े।

हैवी इलैक्ट्रीकल्ज, भोपाल के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1230. **श्री रा० रा० सिंह देव :**   **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 से हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों के वेतन में 22.50 रुपये से 45 रुपये तक की वृद्धि की जायेगी ;

(ख) क्या इस वृद्धि का प्रभाव अन्य उपक्रमों पर भी पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य उपक्रमों पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । नियमित कर्मचारियों की निम्न श्रेणी के लिए कम से कम 185 रु० संचित मजदूरी की उच्चतम सीमा की शर्तों के अधीन 22.50 रु० से 44 रु० प्रतिमास तक वृद्धि की गई है ।

(ख) तथा (ग). अन्य उपक्रमों पर पड़ा प्रभाव प्रत्येक उपक्रम में भिन्न-भिन्न होगा अतः अन्य उपक्रमों पर पड़े भार को नहीं बताया जा सकता है ।

हस्सन-मंगलौर रेलवे लाइन

1231. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री पीलू मोदी :**
श्री अजमल खां : **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्सन-मंगलौर रेलवे लाइन के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या थी ;

(ख) इस पर खर्च का मूल अनुमान क्या था ;

(ग) क्या परियोजना को पूरा होने में असाधरण देरी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हस्सन-मंगलूरू मुख्य रेल सम्पर्क लाइन को पेनम्बर पोर्ट परियोजना के साथ ही साथ पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) हसन-मंगलूरु रेल परियोजना (मंगलूरु-पेनम्बूर लाइन सहित) पर कुल लगभग 23.72 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था ।

(ग) जी नहीं .

(घ) सवाल नहीं उठता ।

समस्तीपुर तथा गरहारा (बरौनी) में रेलवे अस्पतालों में एक्स-रे की मशीनें

1232. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर और गरहारा (बरौनी) रेलवे अस्पतालों में एक्स-रे की मशीनें काफी समय से खराब पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मरम्मत करने में देरी के क्या कारण हैं और जरूरत मन्द रेलवे कर्मचारियों के एक्स-रे कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गरहरा की एक्स-रे मशीन ठीक काम कर रही है । समस्तीपुर अस्पताल की चलती-फिरती और स्थिर एक्स-रे मशीनें क्रमशः 12-9-1969 और 23-10-69 से खराब पड़ी हैं । आशा है, मार्च, 1970 के पहले सप्ताह में चलती-फिरती मशीन काम करना शुरू कर देगी । स्थिर मशीन की मरम्मत करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न होगा

और इसे बदलने के लिए खरीद सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच समस्तीपुर अस्पताल के जिन रोगियों का एक्स-रे होना जरूरी है उन्हें गरहरा और सोनपुर के अस्पतालों में ले जाया जाता है।

बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिक अशांति

1233. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अक्तूम्बर, 1969 को या इसके बाद बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य पर लगे श्रमिकों पर गोली चलाई गई थी और लाठी चार्ज किया गया था तथा बड़ी संख्या में श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे और उसके बारे में प्रबन्धकों की क्या प्रतिक्रिया रही ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों और बोकारो इस्पात कामगार संघ के प्रतिनिधियों के बीच कुछ संसद सदस्यों तथा ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बातचीत हुई थी और यह निर्णय किया गया था कि निकाले गये सभी श्रमिकों को वापस ले लिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). एक प्राइवेट ठेकेदार ने एक वर्ग के श्रमिकों की (छड़ मोड़ने वालों की) छंटनी की थी जिसके फलस्वरूप कार्यालय के सामने छंटनी किये गये श्रमिजों का 26 अक्तूबर, 1969 के हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें उनके साथ कुछ बाहरी आदमी भी थे। तीर कमान और लाठियों से लैस इन लोगों ने वफादार कामगारों को काम पर आने से रोका। और अन्त में परिस्थिति गंभीर हो गई और हिंसक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए 29 अक्तूम्बर, 1969 को पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। अशांति पैदा करने वाले कुछ श्रमिकों की गिरफ्तारी के बाद 1 नवम्बर, 1969 से स्थिति में सुधार होने लगा और तब से स्थिति शान्तिपूर्ण है।

(ग) और (घ). संसद की सलाहकार समिति द्वारा बोकारो के पिछले दौरे के समय कुछ संसद सदस्यों ने बोकारो स्टील लि० और हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के अधिकारियों से कुछ ठेकेदारों द्वारा निकाले गये कामगारों को लगाने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया था। तत्पश्चात्, सम्बद्ध ठेकेदारों को सलाह दी गई थी कि वे निकाले गये कामगारों को खपाने की संभावना पर विचार करें परन्तु निकाले गये कुछ कामगारो के लगातार अनुपस्थित रहने से ठेकेदारों को नये कामगार रखने पड़े जिससे कि कार्य की गति बनी रहे। अब, इन नये कामगारों की छंटनी करके निकाले गये मजदूरो को पुनः काम पर लगाने में ठेकेदारो को कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन ठेकेदार, मैसर्स उत्तम सिंह दुगाल एण्ड कम्पनी तथा बोकारो इस्पात कामगार

संघ के बीच निकाले गये कामगारो को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए समझौता हो गया है मैसर्स भगत कंसंट्रक्शन कम्पनी के मामले में, ठेकेदार और संघ के बीच समझौता हो गया है। जिसके फलस्वरूप कुछ कामगारों को पुनः काम पर लगाया है।

Memorandum by Running and Mechanical Staff of Danapur Division (Eastern Railway)

1234. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 16th January, 1970, the Running and Mechanical staff working in Danapur Shed on the Eastern Railway have submitted a memorandum to the Divisional Superintendent, Danapur containing thirteen demands ;

(b) if so, the details of the demands mentioned therein ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes Sir.

(b) The demands are :

(i) Cancellation of suspension and charge-sheets against certain Railway employees.

(ii) Re-instatement of one Fireman removed from service.

(iii) Payment of full compensation and full pay for the sick period to certain staff.

(iv) Demand for marking present the staff who were involved in agitation at Mughalsarai and Danapur.

(v) Taking back to training Trade apprentices whose names have been removed.

(vi) Payment to an employee for a certain period treating him as on duty.

(vii) Regular promotion to staff against the existing

(a) vacancies as per seniority.

(b) Treating running Room cooks and bearers etc. as 'continuous'.

(viii) Meeting the 5 demands of the Loco Mechanical Staff.

(ix) Arranging trade test for Loco Shed Staff

(x) Absorption of substitutes against the existing vacancies.

(xi) Transfer orders of cleaners and BTMs. to be cancelled.

(xii) Promotion of Grade 'A' Firemen at Danapur and supply of uniforms to Grade 'A' Firemen ; and

(xiii) Calculation of Mileage Allowance from "Signing on" to "Signing off" of all running staff.

(c) The Railway Adminstration have examined all these demands and on 24 2.1970 they have given a suitable reply to the representationists explaining the position in respect of the demands.

Suspension of Loco Running Staff in Danapur Division (Eastern Railway)

1235. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 8 Railway employees of the Loco Running Staff in the Danapur Division of the Eastern Railway are still suspended ;

(b) if so, their names and the period of their suspension ;

(c) the reasons of their suspension ;

(d) whether it is a fact that the charges levelled against them have not been substantiated ; and

(e) if so, the justification for keeping them under suspension ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Only seven Steam Running Staff of Danapur Division are under suspension.

(b) and (c). Information is furnished in the attached statement. [*Placed in Library. See* No. LT-2688/70.]

(d) *Prima-facie*, all the seven employees are guilty of the charges levelled against them.

(e) In view of the serious nature of the charges levelled against them, they are being continued under suspension pending finalisation of the disciplinary court proceedings.

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

1236. **श्री पी० विश्वम्भरम्** : क्या औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और यह राशि उक्त वर्षों में दी गई कुल विदेश मुद्रा की राशि का कितने प्रतिशत है ; और

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग को जितनी विदेशी मुद्रा दी गई, क्या वह निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों को किराया खरीद आधार पर मशीनों के सम्भरण के लिये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विदेशी ऋणों का प्रयोग करती है। 1967-70 की अवधि में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को आवन्टित किये गये ऋण निम्न प्रकार हैं :—

1967-68	37.5 लाख रुपये
1968-69	120.20 लाख रुपये
1969-70	147.70 लाख रुपये

चूंकि इन ऋणों का उपयोग लम्बे अर्से में किया जाता है अतः किसी विशिष्ट वर्ष में इसका कुल विदेशी मुद्रा का प्रतिशत निकालना कठिन है।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मशीनों के आयात के बारे में प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुये यह अनुभव किया जाता है कि निगम उसको आवन्टित ऋण से भी अधिक का उपयोग कर सकता है।

Enquiry into the Death of a Person Run-over by Train at Kanakpura Railway Station near Jaipur in February, 1970

1237. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whcther it is a fact that a person was run-over by a train near the outer signal of Kanakpura Railway Station near Jaipur in the first week of February, 1970 and he died there ;

(b) if so, whether any enquiry was instituted into the causes of the said incident and the action taken against the persons found guilty ;

(c) the arrangements being made at the said spot to check such incidents in future ; and

(d) the compensation paid or proposed to be paid to the family of the deceased ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. However on 30-1-1970, at abont 23.55 hours, the driver of 3-UP Delhi-Ahmedabad Express spotted one dead body lying on the Down Main Line between Kanakpura and Jaipur Stations. The dead body was handed over to the Station House Officer, Government Railway Police, Jaipur.

(b) to (d). Do not arise.

कन्नौर जिले (केरल) में कोटिकुलम के लिये ऊंचे प्लेटफार्म की मांग

1238. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री ग्र० कु० गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कन्ननौर जिले में कोटिकुलम में कोई ऊंचा रेलवे प्लेटफार्म नहीं है ;

(ख) क्या पटरी-तल प्लेटफार्म को ऊंचे प्लेटफार्म में परिवर्तित करने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्मों की व्यवस्था रेलवे उपयोगकर्ता सुविधा समिति द्वारा ग्रनुमोदित एक निर्धारित कार्यक्रम के ग्राधार पर की जाती है जो दूसरे स्टेशनों की तुलानात्मक ग्रावश्यकताग्रों को देखते हुये ऐसे कामों को ग्रग्रता निर्धारित करती है। कोटिकुलम के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की प्रार्थना रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के सामने रखी जायेगी ग्रौर यदि उसका ग्रनुमोदन मिल गया तो जब ग्रौर जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इस काम को भावी निर्माण कार्य-क्रम मे शामिल कर लिया जायेगा।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये पृथक् निर्वाचक मण्डल

1239. श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री के० रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री भगवान दास :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जन जातियों के लिये पृथक् निर्वाचक मण्डल के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार इस बारे में अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये कोई विशेष उपबंध करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती है ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन की गार्ड परिषद् द्वारा जनरल मैनेजर को ज्ञापन

1240. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन की गार्ड परिषद् के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 12 जनवरी, 1970 को जनरल मैनेजर से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन के गार्डों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) ज्ञापन की मुख्य बातें ये हैं :

(i) माल गाड़ियों के छोटे शाखा खण्डों के संचालन पर रनिंग भत्ता ।

(ii) पार्सल गाड़ियों का ग्रेड बढ़ाना ।

(iii) रनिंग रूम की तथाकथित बिगड़ती हालत ।

(iv) समयोपरि, मील भत्ता आदि के बारे में गार्डों के बकायों के भुगतान की मांग ।

(v) डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में 'ए' ग्रेड गार्डों को तैनात करना ।

(vi) सिलचर और गुवाहटी के बीच चलने वाली 201 अप/202 डाउन सवारी गाड़ियों के गार्डों का ग्रेड बढ़ाना ।

(vii) सरकारी गाड़ियों में ब्रेकसमैनों की व्यवस्था।

(ग) रेल प्रशासन इन मांगों की उनके गुण-दोषों के आधार पर जांच कर रहे हैं और जैसा आवश्यक हुआ उपयुक्त कारंवाई की जायेगी।

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, पूर्व रेलवे, आसनसोल के सम्मुख प्रदर्शन करने पर चल टिकट निरीक्षक की मुअत्तिली

1241. **श्री वि० कु० मोडक : श्री मुहम्मद इसमाइल :**
श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, पूर्व रेलवे, आसनसोल के सम्मुख जुलाई, 1967 में प्रदर्शन का नेतृत्व करने के आरोप में आसनसोल के एक चल-टिकट निरीक्षक को मुअत्तिल किया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड का निदेश है कि किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त चल-टिकट निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोटिकुलम रेलवे स्टेशन (कन्नौर) जिला पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय कक्ष

1242. **श्री इ० के नायनार : श्री अ०कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री प० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कन्नौर जिले के कोटि कुलम रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए कोई प्रयिक्षालय कक्ष नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोटिकुलम रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए इस प्रतिक्षालय कक्ष बनवाने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण-कार्य के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । फिलहाल इस स्टेशन पर एक ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है क्योंकि इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के यातायात का औसत कम है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि के बारे में मैसूर सरकार का विरोध

1243. **श्री इ० के० नायनार : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री के० रमानी : श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों में की गई वृद्धि का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार का विरोध किया था और उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की 'मस्टर रोल' के आधार पर नियुक्ति

1244. **श्री वि० कु० मोडक : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की 'मस्टर रोल' के आधार पर नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए कार्य की कुछ शर्तें निर्धारित की है ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य के लिए लगभग 1100 कर्मचारी 'मस्टर रोल' पर रखे हैं ।

(ग) जी नहीं। इन कर्मचारियों को निर्माण कर्मचारियों पर लागू विभिन्न श्रम-कानून ही लागू होते हैं जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम और फैक्टरी अधिनियम।

(घ) और (ङ), प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में निष्कासित आदिवासी

1245. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री भगवान दास :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्कासित आदिवासियों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, में काम पर लगा लिया जायेगा ;

(ख) कुल कितने आदिवासी इस प्रकार से निष्कासित किये गये हैं ;

(ग) इन निष्कासित आदिवासियों में से कितने लोगों को स्थायी पदों पर या 'मस्टर रोल' आदि के आधार पर नियुक्त किया गया है ;

(घ) निष्कासित आदि वासियों के कितने आवेदन अभी विचाराधीन है ; और

(ङ) सभी निष्कासित आदिवासियों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। फिर भी भारी इन्जीनियरी निगम प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक या दो सदस्यों को रोजगार देने का प्रयत्न करती है।

(ख) कम्पनी की बस्ती और कारखानों के लिए अर्जित की गयी भूमि के परिणामस्वरूप कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 1147 है। इनमें 832 आदिवासी परिवार हैं।

(ग) अब तक कम्पनी ने बेदखल किये गये 1213 व्यक्तियों को स्थाई आधार पर और 1480 व्यक्तियों को मस्टर रोल पर भर्ती किया है। इनमें 710 स्थायी आधार पर रखे गये कर्मचारी और 1070 मस्टर रोल के कर्मचारी आदिवासी हैं।

(घ) कम्पनी इन पदों को भरने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं करती है। इसके पास परिवारों का एक रजिस्टर है और यह उस रजिस्टर में से व्यक्तियों का चुनाव करने के पश्चात् उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेजती है।

(ङ) जब और जैसे कम्पनी में रिक्तियां होती रहेंगी वैसे-वैसे अधिक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार मिलता रहेगा। जहां तक मस्टर रोल के कर्मचारियों को स्थायी रूप से खपाने का प्रश्न है, कम्पनी की नीति यह है कि मस्टर रोल के अकुशल कर्मचारी को तीन वर्ष की नौकरी के पश्चात् और मस्टर रोल के कुशल कर्मचारी को एक वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् स्थायी आधार पर नियुक्त कर दिया जाता है।

कारों के निर्माण के लिये पुर्जों का आयात

1246. श्री वि० कु० मोडक :　　　　श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक कार निर्माण एकक द्वारा यात्री कारों, लारियों और ट्रकों के निर्माण में प्रयोग किये गये कुल पुर्जों में, अलग-अलग आयातित पुर्जों का अंश कितने-कितने प्रतिशत था ;

(ख) 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक कार निर्माण एकक द्वारा यात्री कारों, लारियों और ट्रक निर्माण के लिये आवश्यक कुल कच्चे माल में अलग-अलग आयातित कच्चे माल का अंश कितना-कितना था ;

(ग) पुर्जों और कच्चे माल का आयात न कर भारत कारों के निर्माण में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा ;

(घ) इस समय किन-किन पुर्जों और कच्चे माल का आयात किया जाता है ; और

(ङ) देश में किन-किन पुर्जों और कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में कार बनाने वाली केवल तीन फर्में हैं । इनमें से प्रत्येक फर्म वाणिज्यिक गाड़ियों जैसे ट्रकें व बसें भी बना रही हैं । प्रत्येक फर्म की प्रत्येक कार आदि में आयातित पुर्जों का प्रतिशत मूल्य लगभग इस प्रकार है :

सवारी कारें	1965-66 प्रतिशत	1966-67 प्रतिशत	1967-68 प्रतिशत	1968-69 प्रतिशत
मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० (एम्बेसडर)	92	95	97.5	98.5
मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० (फिएट)	88	97.54	98.25	99.06
मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० (स्टैंडर्ड हेरल्ड)	82.83	88.85	89.8	93.53
वाणिज्यिक गाड़ियां (बसें व ट्रकें)				
मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०				
ट्रक के चैसिस	80)	84)	84	86
बस के चैसिस	62)	84)		

मैं० प्रीमियर आटोमोबाइल लि०				
ट्रक के चैसिस	93.18)	94.09)		
बस के चैसिस	93.4)	94.09)	97.11	98.01
	93.47	)		
मैं० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ट्रक (एक टन) आफ इंडिया लि०	82	84	85.96	85.96

(ख) कारों के उत्पादन के लिए औसत रूप से इस्पात व अन्य उपयोग्य वस्तुओं के रूप में इस समय लगभग 1800 रु० से लेकर 2000 रु० तक के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसमें से 90 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है। इसी प्रकार ट्रकों व बसों के संबंध में प्रति गाड़ी 2,500 रु० से लेकर 2,800 रु० तक के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसमें से भी लगभग 90 प्रतिशत कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है। गत वर्षों में स्थिति लगभग यही थी।

(ग) अगले दो या तीन वर्षों में कारों के पुर्जों के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकती है। तथापि, जहां तक कच्चे माल का संबंध है, आयातित कच्चे माल की मात्रा का घटना इस बात पर निर्भर करेगा कि देशी इस्पात मिलें मोटर गाड़ियों के उद्योग की विभिन्न प्रकार के इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक कर पाती हैं।

(घ) और (ङ). कारों के संबंध में तीनों निर्माताओं ने उच्च श्रेणी के देशी पुर्जे बनाने आरम्भ कर दिए हैं और जो पुर्जे अभी बाहर से मंगाये जाते हैं वे हार्डवेयर की कुछ चीजें हैं। बाल और रोलर के कुछ बियरिंग हैं तथा अन्य विविध वस्तुएं हैं। तथापि स्टैंडर्ड कारों के संबंध में अर्धतैयार हालत में कैम शाफट और रियर एक्सल आदि जैसी कुछ चीजें और भी बाहर से मंगाई जा रही हैं। ट्रकों के संबंध में प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने सबसे अधिक मात्रा में देशी पुर्जे डालना शुरू कर दिया है किन्तु फिर भी वे हार्डवेयर की वस्तुएं, कुछ बाल और रोलर बियरिंग तथा कुछ अन्य विविध वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स को अपनी ट्रकों व बसों के लिए गियरों इंजिन के पुर्जों आदि जैसे कई ऐसे पुर्जों का भी प्रयोग करना है जो देश में ही बने हैं। स्टैंडर्ड मोटर्स द्वारा निर्मित ट्रकों के संबंध में जो चीजें बाहर से मंगाई जाती है वे हैं कुछ प्रकार के स्प्रिंग, चिटकनियाँ और ढिबरियां, फासना, इग्नीशन व स्टार्टर स्विच तथा केम्म शाफट l

वास्तव में सभी सहायक वस्तुएं और मुख्य एसेम्बली (और उनके पुर्जे) जैसे इंजन, गियर बाक्स, चैसिस, खोल आदि स्थानीय रूप से बनाए जा रहे हैं।

जहां तक कच्चे माल का संबंध है मुख्य मांग इस्पात की है। कुछ प्रकार के औजार तथा धातुओं मिश्रित इस्पात का उत्पादन होने लगा है किन्तु इस समय जितना उत्पादन हो रहा है उस से मोटर गाड़ी उद्योग की कुल आवश्यकता के केवल एक अंश की ही पूर्ति हो सकती है।

भीख मांगने, बलात कार्य करवाने तथा बच्चों को गिरवी रखने की बुराइयों की मौजूदगी

1248. **श्री मधुलिमये :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों से बेगार, बलवत् श्रम और ऋण लेने तथा धन उपार्जन के लिए उन्हें गिरवी रखने जैसी घृणित प्रथा अब भी प्रचलन में है ;

(ख) क्या इस प्रकार से गिरवी रखने की एक घटना आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में हुई थी जैसा कि 21 जनवरी, 1970 के 'स्टेट्समैन' में छपा था ;

(ग) क्या मानव-बलि, विशेषकर बाल वलि की घटनाएं अब भी होती हैं ; और

(घ) इन कुप्रथाओं को समूल समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) संविधान के अनुच्छेद 23 के आधीन मानव का पण्य और बेगार तथा अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम प्रतिषिद्ध किए गए हैं और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध है, जो विधि के अनुसार दण्डनीय है। अलवत्ता, बंधक श्रम की पद्धति कुछ राज्यों में विद्यमान है।

(ख) राज्य सरकार को इस मामले में लिखा गया है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश में मानव बलि सम्बन्धी एक शिकायत पिछले वर्ष सरकार को मिली थी। परन्तु अन्वेषण पर वह निराधार पाई गई।

(घ) राज्य सरकारें इस समस्या को पूर्णतया हल करना चाहती हैं और उन्होंने इस बुराई को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यकारी तथा वैधानिक उपाय किए हैं। इन उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर में 22 जुलाई, 1969 को सभा के पटल पर रख दिया गया था। प्रभावित लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्पादन के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन्हें चतुर्थ योजना के आधीन और बढ़ाया जा रहा है।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, को इस्पाती चादरों की सप्लाई

1249. **श्री जार्ज फरनेण्डीज :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री 25 नवम्बर, 1969 के मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पाती चादरों की सप्लाई के सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में सभी अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज तुरन्त प्रस्तुत न किये जाने के लिए सरकार उक्त कम्पनी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). फर्म ने आवश्यक सूचना दे दी है। उसको पुराने रिकार्ड से मिलाया जा रहा है जैसे ही यह तैयार होगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात की दोषपूर्ण चादरों की सप्लाई

1250. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री इस्पात की दोषपूर्ण चादरों की सप्लाई के बारे में 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगा लिया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न गोदामों से इस्पात की दोषपूर्ण चादरें और कतरनें केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही बेची जा रही है ;

(ख) क्या इस्पात की दोषपूर्ण चादरों और इस्पात की कतरनों की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए सरकार का कोई उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ताकि वास्तविक उपभोक्ता भी उक्त माल को बाजार में बहुत अधिक कीमत पर न बेच सके और उसे अपने ही काम में लाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० से कहा गया है कि वे अपनी दोषपूर्ण चादरों और कतरनों को राज्य सरकार के उद्योग निदेशकों की सिफारिश पर वास्तविक उपभोक्ताओं को ही बेचें।

(ख) और (ग). उपभोक्ताओं द्वारा दोषपूर्ण माल की पुनर्बिक्री को रोकने का काम राज्य सरकार के उद्योग निदेशकों का है। यह तभी किया जा सकता है जबकि हम उपभोक्ताओं के वास्तविक उत्पादन और उनके द्वारा प्राप्त दोषपूर्ण माल की मात्रा की जाँच की जाये।

राज्य सरकारों से औद्योगिक प्रस्ताव

1251. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने राज्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार कुछ को औद्योगिक सुझाव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये औद्योगिक सुझाव कौन-कौन से हैं।

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना बनाते समय योजनावधि में राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये सभी राज्य सरकारें औद्योगिक तथा खनिज विकास के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इन प्रस्तावों पर वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना बनाते समय योजना आयोग में गठित कार्यकारी दल विचार करते है और इन्हें योजनाओं में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्णय लेते है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में राज्य सरकारों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्यकारी दलों द्वारा विचार किया गया था और उनकी सिफारिशो पर आगे फिर योजना आयोग ने विचार किया था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारुप के पृष्ठ 65 से 74 पर दिये गये राज्य वार परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राजकीय क्षेत्र में बड़े तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों के लिये 154.27 करोड़ रुपये तथा खनिज उद्योग के लिये 22.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। संघीय क्षेत्रों में बड़े तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों के लिये 3.29 करोड़ रुपये की तथा खनिज पदार्थों के लिये 0.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राज्य केन्द्रीय राजकीय क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं तथा उन पर किये जाने वाले प्रस्तावित विनियोजन के बारे में जानकारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ 253-260 पर दी गई है।

बांडल जंक्शन के सहायक स्टेशन मास्टर के साथ दुर्व्यवहार

1252. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 जनवरी, 1970 की रात को यात्रियों ने बांडल जंक्शन, पूर्व रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर धावा बोला, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और रेलवे सम्पति को क्षति पहुंचाई और कार्यालय के रिकार्ड को आग लगा दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त घटना की जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) 200 रुपये (लगभग)

(ग) और (घ). बण्डेल की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी छानबीन की जा रही है। अब तक इस मामले में 16 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

विधि मंत्री का कथित वक्तव्य कि निर्वाचन आयोग विधि मंत्रालय का भाग है

1253. श्री न० सांघी :

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब वह हाल में केरल गये थे, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि निर्वाचन आयोग विधि मन्त्रालय का एक अंग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) यह सच नहीं है कि मैंने इस प्रकार का कोई बयान दिया था जैसा कि प्रश्न के इस भाग में निर्दिष्ट है । मैंने तो यही कहा था कि निर्वाचन आयोग प्रशासनिक रूप से विधि मन्त्रालय के साथ सम्बद्ध है, जो तथ्य है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन

1254. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयत्र के सब एककों में उत्पादन उसकी निर्धारित क्षमता से कहीं कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कमी कब से हुई है ;

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण है और उसमें कितनी कमी हुई है ; और

(घ) उत्पादन को सामान्य स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) इस्पात के उत्पादन में 1966-67 से कमी शुरु हुई ।

(ग) उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :

औद्योगिक अशांति, कम श्रम-उत्पादन, कुछ आवश्यक पुर्जों की अनुपलब्धि के कारण यंत्रों की खसता हालत, आदि ।

पिछले पांच वर्षों में उत्पादन निम्नलिखित था :

वर्ष	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
(उत्पादन मिलियन टन)	1.0	0.75	0.74	0.82	0.83 (अनुमानित)

(घ) कारखाने के उत्पादन में सुधार के लिये विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं । ग्रुप प्रोत्साहन क्रियान्वित किया जा रहा है । पुर्जों के लिये काफी मात्रा में भारत तथा विदेश में

आदेश दे दिये गये हैं और वे पहुंचने लगे हैं। औद्योगिक सम्पर्क सुधारने के लिये राज्य सरकार की सलाह से मान्यता प्राप्त यूनियनों से द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय वार्ता की जाती है। प्रबंध को समुन्नत करने के के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रमुख उपकरणों की पूंजीगत मरम्मत करने के कार्य को 3 वर्ष के अन्दर पूरा करने का कार्य-क्रम तैयार कर लिया गया है।

आसाम में अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल, जोगीगोपा के निकट रेलवे यार्ड पर व्यय

1255. श्री सत्यनारायण सिंह : श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल, जोगीगोपा के समीपतम रेलवे यार्ड बनाने पर 1967 से अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) वहां पर माल डिब्बों के सामान उतारने तथा उनमें सामान लादने के लिये उत्पन्न की गई क्षमता का व्यौरा क्या है ;

(ग) 1967, 1968, 1969 में, मास-वार, वास्तव कितने माल डिब्बों से माल उतारा गया कितने माल डिब्बों में भरा गया ;

(घ) क्या यह काम किसी बाह्य ठेकेदार को दिया गया है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन का वहां पर अपना बेड़ा भी है ;

(च) यदि भाग (घ) और (ङ) का उतर स्वीकारात्मक हो तो वाह्य ठेकेदार को ठेका दिये जाने के क्या विशेष कारण हैं ;

(छ) क्या यह सच है कि स्थानीय लोग आसाम में जोगीगोपा में हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ज) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

रेलवे मंत्री (नंदा) : (क सीधे जाने वाले यातायात के रेल-नदी यानान्तरण की सुविधा के लिये जोगीघोपा घाट साईडिंग और स्पर के निर्माण और अनुरक्षण पर 1967 से आजतक 2,10,647 रुपये की रकम खर्च की गई है।

(ख) इस साइडिंग पर माल यातायात चढ़ाने-उतारने के लिये उत्पन्न की गई क्षमता 30 मालडिब्बा (बड़ी लाइन) प्रतिवेदन है।

(ग) 1967 में हर महीने चढ़ाये-उतारे गये बड़ी लाइन के मालडिब्बों की संख्या, चौपहियों के हिसाब से, इस प्रकार हैं : जनवरी-201, फरवरी-363, मार्च-220, अप्रैल-150, मई-16 और जून से दिसम्बर, 1967 तक कुछ नहीं। कुल जोड़ 850; और 1968 तथा 1969 में कुछ नहीं।

(घ) जोगीघोपा घाट पर रेल से स्टीमर और स्टीमर से रेल पर मालडिब्बे चढ़ाने-उतारने का काम रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी। सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा किया जाता है।

(ङ) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के पास जोगीघोपा में 10 फ्लैट और एक स्टीमर है।

(च) रेल से नदी यानान्तरण यातायात को चढ़ाने-उतारने का काम रिवर्स स्टीम नेवीगेशन। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा किया जाता है जो कि सामान्य व्यवस्था के अनुसार सरकार द्वारा नियन्त्रित कम्पनी है।

(छ) ऐसी कोई मांग नहीं की गई है, क्योंकि जोगीघोपा रेलवे स्टेशन पहले से ही सब तरह के माल और कोचिंग यातायात के लिये खुला हुआ है जिसमें स्थानीय और सीधे जाने वाले यात्रियों की बुकिंग शामिल है।

(ज) सवाल नहीं उठता।

Belthara Bridge on Ghagra River

*1257. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Belthara Bridge on the Ghagra River located between Ballia and Deoria district which connects the North-Eastern Railway has become weak ;

(b) whether it is proposed to construct another bridge there ; and

(c) if so, whether feasibility of constructing a Rail-cum-road bridge there is being considered ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The girders of Turtipar Bridge between Turtipar and Belthara Road stations are over-stressed necessitating imposition of speed restriction on the bridge.

(b) Not for the present.

(c) Does not arise.

बोकारो इस्पात कारखाने में मस्टर रोल के कर्मचारी

1258. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री मोहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में मस्टर रोल के कुछ कर्मचारी स्वीकृत नियमित पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों को इन पदों पर खपाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी, हां। मस्टर रोल के 143 कर्मचारी नियमित पदों पर नियुक्त किये गये हैं और इनके अतिरिक्त 138 मस्टर रोल कर्मचारी हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि० में स्वीकृत नियमित पदों पर काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लि० इन कर्मचारियों को नियमित पदों में खपाने की योजना को पहले से ही क्रियान्वित कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Incidents of Loot, Murders and Dacoities on North-Eastern Railway

*1259. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting, murders and dacoities that took place in the North-Eastern Railway in 1967, 1968, 1969 and 1970 till now separately ;

(b) the number of such incidents registered ;

(c) the number of persons arrested and of those against whom prosecutions were launched in this connection, separately ;

(d) the number, among them, of those persons who were convicted by courts and of those who were acquitted, separately ; and

(e) the number of those cases which are at present pending with the Courts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The number of robbery, dacoity and murder cases reported from Passenger trains and Railway premises was as follows :

Year	Murder	Dacoity	Robbery
1967	6	8	37
1968	12	20	45
1969	11	12	49
1970	Not readily available.		

(c) to (e). This information is not readily available.

Incidents of Loot, Murders and Dacoities on Northern Railway

*1260. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting, murders and dacoities that took place in the Northern Railway in 1967, 1968, 1969 and 1970 till now, separately ;

(b) the number of such incidents registered ;

(c) the number of persons arrested and of those against whom prosecutions were launched in this connection, separately ;

(d) the number, among them, of those persons who were convicted by the Courts and of those who were acquitted, separately ; and

(e) the number of those cases which are at present pending with the Courts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The number of robbery, dacoity and murder cases reported from Passenger trains and Railway premises was as follows :

Year	Murder	Dacoity	Robbery
1967	28	22	50
1968	17	13	54
1969	22	8	57
1970	Not readily available.		

(c) to (e). This information is not readily available.

Incidents of Loot, Murders and Dacoities on Western Railway

*1261. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of looting, murders and dacoities that took place in the Western Railway in 1967, 1968, 1969 and 1970 till now, separately ;

(b) the number of such incidents registered ;

(c) the number of persons arrested and of those against whom prosecutions were launched in this connection separately ;

(d) the number, among them, of those persons who were convicted by the Courts and of those who were acquitted, separately ; and

(e) the number of those cases which are at present pending with the Courts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The number of robbery, dacoity and murder cases reported from Passenger trains and Railway premises was as follows :

Year	Murder	Dacoity	Robbery
1967	10	1	28
1968	—	5	36
1969	14	4	24
1970 (Upto 15-2-1970)	1	—	1

(c) to (e). This information is not readily available.

Mixed System of Booking and Reservation at Allahabad Railway Station

1262. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4042 on the 16th December, 1969 regarding mixed system of Booking and Reservation at Allahabad Railway station and state :

(a) whether any alteration has been made in the building of Enquiry Office with a

view to intronucing the mixed system of Booking and Reservation at Allahabad Railway Station in order to remove the difficulties of the public ;

(b) whether the mixed system of Booking and Reservation has been introduced at the Allahabad Railway Station ;

(c) if so, the date since when the said mixed system was introduced there ; and

(d) if not, the action taken so far and proposed to be taken by Government to get this work completed at an early date ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) 2nd February, 1970.

(d) Does not arise.

उद्योगों में गवेषणा कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही

1263. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनवरी, 1970 के पहले सप्ताह में हुए प्रेस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें लार्ड टाड ने यह संकेत दिया था कि भारतीय उद्योगों में गवेषणा कार्य को महत्व नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक उद्योग में गवेषणा कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का कुछ उपाय करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय उद्योगों में गवेषणा कार्य को महत्व नहीं दिया जाता । प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिये अपने गवेषणा एककों की स्थापना करना आर्थिक दृष्टि से अब अधिक आवश्यक होता जा रहा है और गैर-सरकारी व सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में गवेषणा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है । भारतीय उद्योग में गवेषणा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) जबकि पहले सरकार 10 वर्षों की अवधि के लिये सहयोग सम्बन्धी करारों से सहमत हो जाया करती थी किन्तु अब उसकी नीति यह हो गई है कि करार की अवधि को उत्पादन आरम्भ होने के समय से सामान्यतः 5 वर्षों तक के लिये सीमित कर दिया जाये । ऐसे करारों के लिये मंजूरी देते समय यह बताया जाता है कि सहयोग की अवधि के भीतर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय कम्पनी को एक डिजाइन व गवेषणा संगठन की स्थापना करनी चाहिये ।

(2) वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का एक मुख्य कार्य भारत में औद्योगिक गवेषणा को प्रोत्साहन देना तथा उसका मार्गदर्शन करना है । वैज्ञानिक व

औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् कई प्रकार से गैर-सरकारी व सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को सहायता दे रही है। सहायता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

(क) ऐसे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो औद्योगिक गवेषणा संघों की स्थापना करते हैं।

(ख) उद्योगों की समस्यायें हल करने के लिये उन्हें तकनीकी सहायता दी जाती है।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा उद्योगों के लिये विशिष्ट अनुसंधान कार्य किया जाता है।

(घ) उद्योग के निवेदन पर प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा अध्ययन किये जाते है व परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

(ङ) उद्योगों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनके हल के लिये उपाय करने के हेतु उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाती हैं।

(3) उद्योगों द्वारा स्थापित की गई वैज्ञानिक गवेषणा संस्थायें आयकर अधिनियम के खण्ड 35 (1) (2) के अन्तर्गत गवेषणा संस्थायें मानी जाती हैं जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि गवेषणा संस्थाओं को जो दान प्राप्त होगा वह दान देने वालो की कर देय आय में से घटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इस खण्ड के अन्तर्गत मान्य गवेषणा संस्थाओं की आय भी अधिनियम के खण्ड 10 (21) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है।

(4) वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये लगाई गई मशीनों और संयत्रों पर विकास सम्बन्धी छूट की दर वर्ष 1967-68 से 20 प्रतिशत की सामान्य दर से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की प्राथमिकता दर तक कर दी गई। इसके अलावा, 31 मार्च, 1967 से वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली आस्तियों पर किया गया सारा पूंजीगत व्यय उस वर्ष की आय में से घटा दिया जाता है जिसमें वह किया गया हो।

(5) उद्योग को अपने प्रयासों में सहायता देने के लिये सरकार ने प्रशिक्षण व अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, बंगलौर तथा ढलाई और गढ़ाई संस्थान, रांची जैसे अनेक संस्थान व डिजाइन केन्द्र स्थापित किये हैं।

केन्द्रीय राजस्व में रेलवे के अंशदान की दर के बारे में जांच

1264. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व में रेलवे अंशदान की दर के बारे में फिर से जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे अंशदान की दर में वृद्धि करना चाहेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों द्वारा देय लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों की रेल अभिसमय समिति, 1968 समीक्षा कर रही है ।

(ख) समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Lokanathan Committee's Recommendations Re : Licensing of Small Scale Industries and Advance of Loans to them

1265. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Industries Development, Internal Trade nnd Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lokanathan Committee has recommended that the licensing procedure might be scrapped in the case of small scale industries and that these industries should be advanced adequate amount of loans by the nationalised banks ;

(b) whether Government propose to implement the said recommendations ; and

(c) if so, by when ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir. There is at present no licensing procedure for Small Scale Industries. The Lokanathan Committee has not made any specific recommendation about advance of loans by nationalised banks.

(b) and (c). Do not arise.

Russian Assistance for Bokaro and Heavy Engineering Corporation

1266. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Dass :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Russia has given an assurance for economic co-operation in the construction of the Bokaro Steel Plant and for making the Heavy Engineering Corporation of Ranchi more profitable ;

(b) whether it is also a fact that some special measures have been suggested for the better prospects of the Indian engineers working there ; and

(c) if so, the nature of corporation likely to be received from Russia, the time by which it will be received and the likely increase in production thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (c). *Bokaro Steel Plant :* It has been agreed that the Governments of India and the U.S.S.R. will co-operate in the expansion of the Bokaro Steel Plant to 4 million tonnes of steel per year. The Government of U.S.S.R. will provide credit to meet the cost of equipment and services to be obtained from the U.S.S.R. The concerned Soviet Organisations will also render assistance to the Indian Organisations in attaining the rated capacities of the Steel Plant as expeditiously as possible ;

Heavy Engineering Corporation : It hae been agreed that in order to ensure more effective utilisation of the capacity of the Heavy Machine Building Plant of Heavy Engineering Corporation, which has been set up with Soviet co-operation, the possibilities of co-operation in manufaturing certain types of products in the plant for supply to the Soviet

Union on a long term basis should be examined. Further discussions at expert level would take place to settle the details.

(b) No, Sir.

मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में स्थानों का आरक्षण

1257. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री मिथिला एक्सप्रेस रेल गाड़ी में स्थानों के आरक्षण के बारे में 11 मार्च 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति में 24 दिसम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री से किस स्थान पर सम्पर्क स्थापित किया गया था और यह सम्पर्क रेलवे के किन अधिकारियों द्वारा किस तारीख को किया गया था ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों को सम्पर्क स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(ग) क्या उन अधिकारियों ने यात्री पर दबाव डाला था कि वह स्थिति के बारे में लिखित रूप में दें ;

(घ) यदि उन्होंने दबाव डाला था, तो क्या रेलवे अधिकारियों द्वारा उनको ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ; और

(ङ) यदि उनको ऐसा करने के लिये प्राधिकृत नहीं किया गया था, तो अधिकारियों द्वारा यात्री को स्थिति के बारे के लिखित रूप में देने के लिये कहे जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 31 जुलाई, 1969 को पूर्वोत्तर रेलवे के एक निरीक्षक ने यात्री से उसके निवास स्थान, गाँव मलेगिया (मधुबनी) में सम्पर्क स्थापित किया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता ।

उत्तरी बिहार का औद्योगिक विकास

1268. श्री शिव चन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर को उत्तरी बिहार का सर्वेक्षण करने और उसके औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो चौथी योजना की अवधि में उत्तरी बिहार के औद्योगिक विकास के लिये विशिष्ट योजनाएँ कौन सी हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इस मंत्रालय को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंपा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक विकास के लिए योजनागत एक प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र को एक इकाई के रूप से लिया ,जाता है सम्पूर्ण बिहार प्रदेश में स्थापित की गई स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाएं ये हैं : सिन्दरी पर्टीलाइजर्स, बरौनी रिफानरी, भारी इन्जीनियरी निगम की प्रायोजना बोकारो इस्पात संयंत्र बरौनी फर्टीलाइजर्स, पाइराइट्स पर आधारित सिन्दरी रेशनेआइजेशन तथा सल्फयूरिक एसिड । इन परियोजनाओं में से बरौनी रिफाइनरी तथा बरौनी फर्टीलाइजर्स उत्तरी बिहार में है । बरौनी रिफाइनरी पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है तथा बरौनी फर्टीलाइजर्स के 1971 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है । साथ में, चतुर्थ योजना में बरौनी आटोमैटिक प्लान्ट पर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर देने का भी प्रस्ताव है ।

भारतीय रेलों में छुटपुट चोरियां

1269. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में 31 जनवरी तक प्रत्येक रेलवे जोन में कितनी छुटपुट चोरियां हुई और जोनवार कितनी मूल्य की सम्पत्ति की चोरी हुई ; और

(ख) गत वर्ष इसी अवधि में जोनवार कितनी चोरियां हुई थीं और कितने मूल्य की सम्पत्ति की चोरी हुई थी ।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). उठाईगिरी के कारण भुगतान किये गये दावों की क्षतिपूर्ति की रकम ही उठाईगिरी की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त रकम की वास्तविक सूचक है। यह सूचना, जैसी कि इस समय उपलब्ध है, 1967-68 की तुलना में 1968-69 के वर्षों के सम्बन्ध में है । यह सूचना अलग रेलों के अनुसार नीचे दी गयी है :

1968-69

रेलवे	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की रकम	
	पूरे पैकेजों/परेषणों की चोरी के कारण रु०	पैकेजों/परेषणों की उठाईगिरी के कारण रु०
1	2	3
मध्य	98,363	48,68,909
पूर्व	3,08,964	1,31,35,144
उत्तर	95,953	43,97,073

1	2	3
पूर्वोत्तर	8,320	31,76,961
पूर्वोत्तर सीमा	15,041	50,99,008
दक्षिण	43,836	34,52,612
दक्षिण मध्य	24,837	1[illegible],67,294
दक्षिण पूर्व	1,39,090	31,45,927
पश्चिम	17,103	41,38,443

1967-68

1	2	3
मध्य	62,139	47,73,614
पूर्व	2,35,753	86,12,687
उत्तर	1,05,206	32,08,927
पूर्वोत्तर	22,608	26,30,106
पूर्वोत्तर सीमा	9,453	29,82,673
दक्षिण	89,268	37,74,684
दक्षिण मध्य	53,187	20,34,949
दक्षिण पूर्व	1,33,988	28,88,570
पश्चिम	36,051	38,71,815

रेलवे में गुम हुये सामान के दावे

1270. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में तथा जनवरी, 1970 के अन्त तक रेलवे में गुम हुए सामान के लिये प्राप्त दावों की संख्या कितनी है और वे दावे कुल कितनी राशि के हैं ;

(ख) इससे पूर्व के वर्ष की इसी अवधि में ऐसे कितने दावे प्राप्त हुए थे और वे कितनी राशि के थे ; और

(ग) कितने मामले उसी वर्ष में निपटाये गये और कितने मामले आगे ले जाये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट एजेंसियां

1271. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री रेलवे आउट एजेंसियों के बारे में 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाग्रेट भारवैन, प्राधुर, ज्वालामुखी रोड, नादौन की बाह्य एजेंसियों और कांगड़ा स्थित सिटी बुकिंग एजेंसी को काम सौंपने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश परिवहन को कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं।

लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि मण्डी कुल्लू सड़क परिवहन निगम ने परीक्षण के रूप में अभी 6 महीनों के लिए इन आउट एजेंसियों का बारी-बारी से सप्ताह में एक बार परिचालन करना स्वीकार कर लिया है। ये आउट एजेंसियां पठानकोट और होशियारपुर स्टेशनों से सम्बद्ध होंगी। इस काम के लिए सड़क परिवहन निगम ने निम्नलिखित शर्तें रखी हैं जिनपर उत्तर रेलवे विचार कर रही है :

(i) केवल पार्सलो की बुकिंग की जायेगी।

(ii) प्रभार की दर प्रति मन प्रति मील यात्री किराये और यात्री कर तथा माल चढ़ाने-उतारने के प्रभार के आधे के बराबर होगी।

(iii) इन एजेंसियों पर काम करने के लिए एक आउट एजेंसी क्लर्क का खर्च रेलें देंगी।

Publication of "Agro-Industries" in Regional Languages

1272. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the publication "Agro-Industries", Volume I, Part I, published in English by the Development Commissioner, Small Scale Industries has also been published in regional, languages and despatched to each Gram Panchayat ; and

(b) if not, whether Government consider that agro-industries can be developed only through English-knowing people living in the urban areas ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The publication has been brought to the notice of the State Directors of Industries. who may translate necessary portions into the regional languages for circulation with the State.

(b) No, Sir.

Manufacture of Machines at Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1273. **Shei Maharaj Singh Baarati :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Heavy Engineering Corporation, Ranchi charges the market price for the machines manufactured by them or a price equivalent to the landed cost of the imported machines ; and

(b) if so, the reasons for the loss being incurred by the said Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Most of the items of equipment manufactured by the Heavy Engineering Corporation have to be tailor-made to suit the specific requirements of the customers. It is for the company to determine the price in each case, after such negotiations as may be necessary, subject to the general pricing policy prescribed by Government. According to this policy the prices of those items of equipment which are produced by other manufacturers within the country are allowed to be determined by the prevailing market prices. For items not produced within the country by other producers, landed cost of comparable imported goods is to be taken as the guide.

(b) The losses hitherto incurred by the Corporation were due to :

(i) gradual built-up of capacity ;

(ii) under-utilisation of the capacity built-up ;

(iii) inadequate productivity at the initial stages ;

(iv) fixed charges on account of townships, interest on capital etc.

Projects of this size normally take a number of years to be built-up to an economic level.

Complaint against Railway Employees regarding giving of Seats to Passengers after accepting bribe

1274. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to to state :

(a) whether any facility has been provided by his Ministry to the first class passengers to take one Attendant alongwith them ;

(b) whether any Attendants' compartment is attached with First class compartment ;

(c) if so, whether Government are aware that the Railway staff get the seats in such compartments occupied with the help of the lower staff, before the train starts and then provide the seats to the passengers after accepting bribe from them and thus the money goes into the pockets of these employees : and

(d) whether it is a fact that such malpractice is usually going on in the trains going to east from Delhi and if so, the action likely to be taken to end the corruption among the Railway staff and to provide facility to the attendants ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. Each passenger in First Class carriage can take one attendant on payment of Third Class fare, Mail or Ordinary as the case may be. But the attendant should travel in Third Class only. However, attendants in sole charge of children below 12 years but above 3 years in age are allowed to travel in the same compartment as that of the children, on payment of Second Class fare. Similarly a lady travelling alone or with children under 12 years of age at night in a First Class compartment reserved for ladies may take with her in the same compartment one female attendant holding a Third Class ticket for that portion of the journey which is performed between the hours of 8 P.M. to 6 A.M.

(b) No. A limited number of seats are generally earmarked in a third class compartment for attendants of first class passengers.

(c) No.

(d) Does not arise.

Removal of Restrictions on Factories Manufacturing Motor Spare Parts

1275. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that restrictions on factories manufacturing motor spare parts have been removed ;

(b) if so, what will be the number of such factories in the Fourth Five Year Plan ;

(c) how many such factories were existing at the end of each of the last three Five Year Plans and what was the extent of production, Plan-wise ; and

(d) the progress likely to be made after the removal of the said restrictions and the quantity of goods which would be manufactured ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The ban on establishment of new units in respects of all items of automobile ancillaries, with the exception of "Radiators" which is reserved exclusively for the small scale sector, was removed on the 25th October, 1969 and interested parties were invited to submit applications by the 31st January, 1970.

(b) It is not possible to given an estimate of the number of new factories that will be set up in the Fourth Five Year Plan as the applications received till the 31st January, 1970 are still under examination. The number of new units to be licensed will depend upon the gap between the existing capacities and the capacities required to be developed for various items of automobile ancillaries by the end of the Fourth Plan, and the extent to which the existing units may be allowed to expand their capacities.

(c) At present there are about 125 factories manufacturing automobile ancillaries in the large scale sector. In addition, a large number of factories in the Small Scale Sector are also producing automobile ancillaries. Information about the exact number of such factories existing at the end of the last three Five Year Plans is not available.

The production of automobile ancillaries in the large scale sector from the year 1956-57 onwards is as under :

Year	Production
	(Rs. in millions)
1956-57	23
1957-58	30
1958-59	50
1959-60	75
1960-61	90
1961-62	120
1962-63	26
1963-64	90
1964-65	403
1965-66	528
1966-67	641
1967-68	652
1968-69	7.77
1969-70 (estimated)	900

(d) The ban on the establishment of new units for automobile ancillaries has been removed keeping in view the targets fixed for the various types of automobiles during the Fourth Five Year Plan and the requirements of ancillaries to sustain production of vehicles to reach these targets. These targets have been fixed at 85,000 Nos. per annum for commercial vehicles, 85,000 Nos. per annum for motor cars, 15,000 Nos. per annum for Jeeps, 2,10,000 Nos. per annum for scooters, motor cycles, three-wheelers and mopeds. The substantial increase in the production of tractors, power tillers, diesel engines etc. expected in the country over the Fourth Plan period will also have to be sustained by the production of a larger volume of automobile ancillaries and planning of additional capacities for ancillaries has to take into account all these requirements.

ढोल निर्माण उद्योग

1276. श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ढोल निर्माण उद्योग के बारे में 18 नवम्बर, 1969 से अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित स्थिति की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ इस विषय पर विचार न करने और उन पर इस बात के लिये बल न देने के क्या कारण हैं कि वे फालतू क्षमता को अन्य राज्यों में, जहां ढोलों की अत्यन्त आवश्यकता हो, ले जाने की अनुमति दें जिससे मशीनों के आयात में बहुमुल्य विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). तमिलनाडु सरकार से यह सुनिश्चित कर लिया गया हैं कि मैसर्स गैलवेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कं० प्रा० लि० ने लघु एकक के रूप में मद्रास में ढोल संयंत्र स्थापित करने के लिए मशीनों का कोई स्थानान्तरण नहीं किया है।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये उपाय

1277. श्री स० मो० बनर्जी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये और कल्याण-उपाय लागू किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए चतुर्थ योजना में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के अधीन 60 करोड़ रुपये के तथा केन्द्र द्वारा सहायता पाने वाले कार्यक्रमों के अधीन 74 करोड़ रुपये के परिव्ययों की व्यवस्था की गई है, जबकि तृतीय योजना के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 37 करोड़ रुपये तथा 6? करोड़ रुपये का खर्च हुआ था। पिछड़े वर्ग क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों को 'शिक्षा', 'आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य', आवास और अन्य परियोजनाओं के वर्गों के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त स्तर पर मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने को, आदिम जातीय विकास खण्ड कार्यक्रम के द्वारा आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास को, अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सहकारी कार्यक्रमों को, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कोचिन्ग-एवं-निर्देशक केन्द्रों को स्थापित करने को तथा मेहतरों और संमार्जकों की रहने-सहने और कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने को प्राथमिक कार्यक्रमों के रूप में मान्यता दी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस में कानपुर स्टेशनों तथा गाड़ी रुकने के अन्य स्टेशनों से यात्रा करने की अनुमति

1278. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस में हावड़ा तक बहुत सी "सीटें" (वातानुकूलित स्थान) खाली रहती हैं क्योंकि यात्रियों को कानपुर तथा गाड़ी रुकने के अन्य स्टेशनों से इस गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में वातानुकूलित कितनी "चेयरों" की व्यवस्था है ;

(ग) अक्तूबर, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक इन स्थानों में कितने लोगों ने यात्रा की ; और

(घ) क्या कानपुर तथा गाड़ी रुकने के अन्य स्टेशनों से लोगों को इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए निर्णय कर लिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). राजधानी एक्सप्रेस में 292 वातानुकूलित चेयर-कार सीटों की व्यवस्था की गई है। भारी भीड़-भाड़ के समय 73 अतिरिक्त चेयरकार सीटों की व्यवस्था कर दी जाती है। अक्तूबर, 1969 से जनवरी 1970 तक वातानुकूलित चेयरकार स्थानों के उपयोग का औसत 88.6 प्रतिशत था। चूंकि राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली और हवड़ा के बीच, एक अन्तर्नगरीय गाड़ी के रूप में चलाया गया है क्योंकि इन स्थानों के बीच भारी मात्रा में यातायात होता है मध्यवर्ती स्टेशनों अर्थात् कानपुर सेन्ट्रल, मुगलसराय और गोमा से यात्रियों को बुक करने की अनुमति न देने का विनिश्चय किया गया है जहां कि इस गाड़ी को परिचालनिक कारणों से ठहराया जाता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उद्योग की स्थापना

1279. श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में वहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनायें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ 253-260 पर दी गई हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली परियोजनायें भी वहीं दी गई हैं। नई परियोजनाओं के स्थापना स्थल के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। हरिद्वार के भारी विद्युत कारखाने तथा नैनी के भारी ढाँचों के कारखाने के पूर्ण किये जाने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था कर दी गई है। चतुर्थ योजना में नैनी में पम्प तथा कम्प्रेसरों की स्थापना तथा गैस सिलेंडरों के कारखाने की स्थापना का भी निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त नैनी में टेलीफोन के उपकरणों के निर्माण का कारखाना भी स्थापित किया जाना है। राजकीय क्षेत्र में उक्त सीमेंट के कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ होने वाला है।

वार्षिक योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय सभी राज्य सरकारें योजना अवधि में राज्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा वार्षिक योजना अथवा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाते समय निर्णय किये जाते हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिये गये प्रस्ताव उक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त तैयार किये गये हैं।

Employment of Harijans by Ministers as Cooks

1280. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government would suggest and direct the Central and State Ministers that they should employ Harijans for cooking food in their houses and that they should take meals or breakfast in a Harijan basti at least once during their tours in order to eradicate untouchability ;

(b) if so, the period by which the directive would be issued ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (c). There is no such proposal under consideration.

Purchase of Coal from Big Coal Mine Owners

1281. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government purchase coal for their use from the owners of some big coal mines only ;

(b) whether it is also a fact that Government do not get cheap and good quality of coal as a result of this wrong policy ;

(c) if so, whether Government propose to purchase coal from the owners of both small and big coal mines so that they could get cheap and good quality of coal at competitive rates ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Tenders for the purchase of coal by Railways include a clause that offers of only those tenders will be considered who are producing coal from their own mines and whose average production during the last six months is not less than 3,000 tonnes per month for all grades tendered.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Collieries producing less than 3,000 tonnes of coal per month are excluded in order to limit the number of collieries so as to facilitate the Railway Inspection Organisation to control quality of supply and also loading of BOX wagon rakes. Besides, most of the smaller collieries produce lower grades of coal which are not required by the Railways. Many of them do not also have Railway sidings and have to transport coal by road and as such, check of quality at source cannot be ensured.

प्रबन्ध अध्यक्षों को पारिश्रमिक

1282. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री रविराय :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आय में अन्तर को कम करने के लिए प्रबन्ध अध्यक्षों को पारिश्रमिक देने से सम्बन्धित नियमों को और कड़ा बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह योजना क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख) तथा (ग). प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर संशोधित प्रशासनिक अधिकतम सीमा के प्रश्न पर, जिसकी हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है, इस मंत्रालय के लिये संसद के परामर्श समिति के सदस्यों द्वारा भिन्न प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई हैं। कुछ वाणिज्य मंडलों ने, इस अधिकतम सीमा के उदारीकरण के सुझाव दिये हैं। यह संपूर्ण सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में नई कम्पनियों का कार्यकरण

1283. **श्री समर गुह :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मध्यावधि चुनावों से लेकर अब तक पश्चिमी बंगाल में कितनी नई कंपनियाँ स्थापित की गई हैं ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितनी कंपनियों ने काम करना बन्द कर दिया है और पश्चिम बंगाल से अन्य राज्य में स्थानांतरित हो गई है ; और

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में पश्चिम बंगाल में स्थित कंपनियों ने कितने रुपयों का व्यापार किया था ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत मध्यावधि चुनाव से, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, हिस्सों द्वारा सीमित, 201 नवीन कंपनियां, पश्चिमी बंगाल में, पंजीकृत हुई थीं ;

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर उन कंपनियों की संख्या, जिन्होंने इस अवधि के मध्य अपने पंजीकृत कार्यालयों के स्थान परिवर्तित किये, 4 थी । फरवरी, 1969 से जनवरी 1970 तक अवधि के मध्य, 54 कंपनियों के परिसमापित हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है, तथा 52 कंपनियों, कंपनी अधिनियम की धारा 560(5) के अन्तर्गत, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा हटा दी गई थीं ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में, कंपनियों को प्रदत्त पूंजी, 1966-67 में 555.6 करोड़ रुपया, 1967-68 में 581.0 करोड़ रु० तथा 1968-69 में 603.6 करोड़ रु० थी । पश्चिमी बंगाल में कार्यरत, लगभग 9000 कंपनियों के व्यापारावर्त के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गोमोह रेलवे स्टेशन पर फलक प्लेक

1284. **श्री समर गुह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भारत से निकल जाने के लिए गोमोह स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठने की घटना की याद में बिहार स्थित इस स्टेशन पर एक फलक (प्लेक) लगाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त अनुरोध सरकार के विचाराधीन था जैसा कि भूतपूर्व मंत्री महोदय ने बताया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) 1968 के शुरू में गोमो में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए नेताजी स्मारक समिति, धनबाद से अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे इस शर्त पर स्वीकार किया गया था कि उपयुक्त स्थान का चुनाव पूर्व रेल-प्रशासन के परामर्श से किया जायेगा और प्रतिमा

ग्रौर उसकी स्थापना की लागत समिति वहन करेगी। समिति से इस सम्बन्ध में फिर कोई पत्र नहीं मिला है सितम्बर, 1969 में रेलवे द्वारा प्रतिमा ग्रौर शिलालेख लगवाने की व्यवस्था करने का एक ग्रौर ग्रनुरोध प्राप्त हुग्रा है जिस पर ग्रभी विचार हो रहा है।

निजी-ठेकों के ग्रन्तर्गत रेलवे-रेस्तराग्रों में घटिया भोज्य पदार्थों का परोसा जाना

1285. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी ठेकों के ग्रन्तर्गत रेलवे के ग्रनेक रेस्तराग्रों में घटिया किस्म के भोज्य पदार्थ परोसे जाते हैं जैसा कि ग्रनेक संसद सदस्यों तथा यात्रियों का ग्रनुभव है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो रेलवे रेस्तराग्रों द्वारा भोजन ग्रादि के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कभी-कभी इस बात की शिकायत मिलती है कि ठेकेदार खराब किस्म का भोजन, नाश्ता ग्रादि देते हैं।

(ख) खान-पान के स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) ग्रधिकारी ग्रौर निरीक्षक ठेकेदारों द्वारा दिये जाने वाले भोजन ग्रौर उनकी सेवा के स्तर का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।

(ii) एक ठेकेदार द्वारा संचालित खानपान यूनिटों की संख्या सीमित कर दी गई है ताकि ठेकेदार उन पर वैयक्तिक ध्यान दे सके।

(iii) जो शिकायतें मिलती हैं, उन सबकी पूरी-पूरी जांच की जाती है ग्रौर जहां-कहीं उचित होता है, ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

लघु उद्योग विकास संगठन

1286. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या ग्रौद्योगिक विकास, ग्रांतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार लघु उद्योग विकास संगठन को सुदृढ़ बनाने का है ताकि वह इलैक्ट्रोनिक्स, रसायन तथा प्लास्टिक उद्योगों में तकनीकी सहायता दे सके ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रौद्योगिक विकास, ग्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) जी, हाँ। सरकार का विचार लघु उद्योग विकास संगठन को सुदृढ़ बनाने का है ताकि वह इलैक्ट्रोनिक्स रसायन तथा प्लास्टिक उद्योगों सरीखे सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सके।

(ख) इस दिशा में विशिष्ट प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

Shares held by Ministers, Class I Gazetted Officers in Companies

*1287. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Narayan Swaroop Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of companies in which shares are held by the Prime Minister, Central Ministers and Deputy Ministers as also Class I Gazatted Officers ;

(b) the names of Ministers and Class I Gazatted Officers whose sons and daughters are employed in these companies ;

(c) the names of Ministers and Members of Parliament who own their companies ; and

(d) the capital invested in each of those companies and the amount out of it which has been raised by way of loans ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A Ahmed) : (a) to (d) The information sought is not available. Its collection in respect of Ministers, Members of Parliament and well over twenty thousand Class I Gazatted Officers of the Central Government, their sons and daughters in relation to about 28,000 companies at work in India would be a laborious and very lengthy process not commensurate with the results likely to be achieved.

Engineers in Steel Plants

1288. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the total number of Indian and foreign engineers in the Bhilai, Durgapur, Rourkela and Bokaro Steel Plants ;

(b) the details of the posts held by them and the pay scales attached to each post :

(c) the number out of them who received training abroad and the expenditure incurred on this account ;

(d) whether Government propose to promote able and efficient Mistries and Mechanics to the posts of Engineers ; and

(e) if not, whether this is because of Government's policy of giving preference to those possessing theoretical knowledge over those having practical knowledge ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Engineers start in the scale of pay of Rs. 400 950. Technical hands working below this grade are eligible for promotion to about 50% of the posts in that grade according to the rules prescribed in this behalf.

(e) Does not arise.

Running of Direct Train Service from Delhi to Bulandshahr

1289. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that District Bulandshahr in Uttar Pradesh has

been a big Recruiting Centre for military jawans and is the largest wheat producing district in the country ;

(b) if so, whether it is a fact that there is no direct train for Bulandshahr from Delhi ;

(c) if so, whether Government are also aware that the people of the District are experiencing great difficulty on this account and there is a great dissatisfaction among the army personnel also ;

(d) whether Government propose to run a direct train from Delhi to Bulandshahr ; and

(e) if so, the time by which it would be run and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (e). An analysis of traffic offering at stations on Hapur-Khurja section for stations on Ghaziabad-Delhi section both *via* Khurja and *via* Hapur has revealed that the daily average number of these passengers is only about 25. These are too few to justify introduction of a direct train or even one couch between Delhi and Bulandshahr. Convenient train connections are, however, available both at Khurja and Hapur for journey between Bulandshahr and Delhi.

दिल्ली से खुरजा होकर बुलन्दशहर तक रेल लाइन का बिछाया जाना

1290. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने 30 दिसम्बर, 1966 को यह वक्तव्य दिया था कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली से बुलन्दशहर तक एक सीधी रेल लाइन बनाने का निर्णय किया था जैसा कि 31 दिसम्बर, 1966 के दैनिक 'हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित न करने का कारण यह है कि रेलवे प्रशासन कुछ राजनैतिक कारणों से उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखना चाहता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली से बुलन्दशहर तक बरास्ता खुर्जा सीधी रेल-लाइन बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग). बुलन्दशहर के कुछ निवासियों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने केवल बुलन्दशहर से दिल्ली तक एक सीधी गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच करने का आश्वासन दिया था न कि इन दोनों स्टेशनों के बीच एक सीधी रेलवे लाइन बनाने का। सीधी गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इस समय दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच एक नई सीधी रेलवे लाइन बनाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ये पहले से ही दो भिन्न मार्गों द्वारा रेल से जुड़े हैं।

Mudaliar Committee Report on Foreign know-how

1291. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee was appointed under the Chairmanship of Dr. Ramaswamy Mudaliar in February, 1966 to go into the malpractice of taking undue advantages by Foreign Collaborators of Indian Companies and to suggest ways and means to dispense with the import of technical know-how ;

(b) if so, whether the report of the Committee has been received and, if so, the details thereof ;

(c) whether it is proposed to scrap the agreements since ratified by the Foreign firms in connection with the import of technical know-how ; and

(d) if not, the amount of foreign exchange expenditure incurred annually as a result of such agreements ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, (Shri F. A. Ahmed) : (a). The Government of India had set up a Committee in February 1966 under the Chairmanship of Dr. A. Ramaswamy Mudaliar, to recommend to Government some guidelines regarding the utilisation of indigenous know-how and the types of cases in which foreign collaboration may be allowed.

(b) The Committee submitted its report to the Government on 4th May, 1967, wherein it had suggested, *inter-alia,* that a positive approach was needed to the problem of import of know-how, particularly of process know-how or product design, and that a distinction might be made for that purpose between the well-established industries and the newer and more sophisticated industries. Copies of the 'Report of the Committee on Foreign Collaboration' containing the recommendations of the Committee and the decisions of the Government thereon, are available in the Parliament Library.

(c) No, Sir.

(d) The 'Survey Report on Foreign Collaboration in Indian Industry' published by the Reserve Bank of India gives, *Inter-alia,* the remittances of dividends, royalties and technical fees on account of various collaboration agreements. Copies of the Survey Report are available in the Parliament Library.

ट्रैक्टरों की मांग

1292. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ट्रैक्टरों की कुल मांग कितनी है और इस मांग को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ;

(ख) गत कुछ वर्षों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने का कोई कारखाना स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रूस के साथ नवीनतम सौदे सहित ट्रैक्टर आयात करने पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1969-70 के चालू वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग द्वारा अनुमानित कृषि ट्रैक्टरों की (गत वर्षों की बच रही मांगों सहित) कुल मांग 1,25,000 है। इस आवश्यकता की पूर्ति आंशिक रूप में सम्भव सीमा तक आयात करके देशी उत्पादों से की जा रही है।

(ख) चतुर्थ पचवर्षीय योजना (1966-67—1970-71) तैयार करते समय कृषि ट्रैक्टरों की 1970-71 तक की अनुमानित मांग केवल 40,000 नग प्रति वर्ष आंकी गई थी। इसके निमित्त गैर-सरकारी क्षेत्र में 5 एककों को 30 000 नग ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने की क्षमता का लाइसेंस दिया गया था और सरकारी क्षेत्र में 12,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बना सकने की क्षमता का एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव था। इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त एककों द्वारा 40,000 नगों की मांग को पूरा किया जा सकने की पूरी आशा थी। ग्रीन रिवोल्यूशन के परिणामस्वरूप मांग आशातित गति से बढ़कर 1973-74 तक के लिए 90,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष हो गई। दुबारा आंकी गई मांग की पूर्ति के लिये गत दो वर्षों में 68,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की क्षमता वाली 8 योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार की कुछ और योजनायें भी विचाराधीन हैं। सरकारी क्षेत्र में 12,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की प्रारम्भ क्षमता के एक और प्रस्ताव है।

(ग) 1968-69 की अवधि में कुल 13,57,02,500 रुपयों के मूल्य के 15,500 ट्रैक्टरों का आयात करने का निश्चय किया गया था। 1969-70 की अवधि में 35,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का निश्चय किया गया है जिसमें से अब तक 22,85,47,000 रुपये की कीमत के 18,500 ट्रैक्टरों को आयात के विषय में समझौते कर लिये गये हैं।

चौथी योजना में योजना आयोग द्वारा छोटी कार परियोजना को शामिल करने सम्बन्धी कथित आपत्ति

1293. श्री सु० कु० तापड़िया : डा० रानेन सेन :
श्री अदिचन : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रवि राय : श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छोटी कार परियोजना को अन्तिम रूप से निकाल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस प्रस्ताव पर और आगे कार्यवाही करना नहीं चाहता ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप में छोटी कार निर्माण प्रायोजना अभी तक सम्मिलित नहीं की गई है।

(ख) फिर भी, इस विषय को चलाया जा रहा है।

सिकंदराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के ग्रंकाई तथा नगरसौल स्टेशनों के बीच लाइट इंजन के साथ लारी की टक्कर

1294. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन के मनमाड-जलना सेक्शन पर ग्रंकाई तथा नागरसोल स्टेशनों के बीच 22 जनवरी, 1970 को जब एक लारी चौकीदार वाले बन्द फाटक को तोड़ती हुई उसके अन्दर चली गई थी और उसकी एक लाइट इन्जन के साथ टक्कर हो गई थी तो कुछ व्यक्ति मारे गये थे तथा कुछ को गम्भीर चोटें आई थीं;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना होने के क्या कारण थे ;

(ग) कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा हताहत हुए ; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 21-1-1970 को लगभग 17.35 बजे एक मोटर ट्रक ने ग्रंकाई और नागरसोल स्टेशनों के बीच चोकीदार वाले समपार फाटक नं० 6 की समपार फाटक की चैन तोड़ डाली और वह एक अप खाली इन्जन से टकरा गया। इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये और 4 घायल हो गये जिनमें से एक को गम्भीर चोट पहुंची।

(ख) प्रकटतः यह दुर्घटना मोटर ट्रक के बन्द फाटक में दाखिल होने के कारण हुई।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 175 रुपये की क्षति का अनुमान है।

Appointment of Coach Clerks, Tally Clerks and Ticket Collectors

*1295. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5012 on the 23rd December, 1969 regarding appointment of Coach Clerks, Tally Clerks and Ticket Collectors and state :

(a) whether thr requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). A statement giving the required information is Attached at Annexure 'A'. [*Placed in Library. See* No. LT-2678/70.]

Conversion of Reserved Posts into Unreserved Ones on Railways

*1296. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4076 on the 16th December, 1969 regarding the conversion of reserved posts into unreserved ones on Railways and state :

(a) whether a final decision on the orders referred to therein which were under consideration, has since been taken after consultation with the Ministry of Home Affairs ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The matter is still under consideration in consultation with the Ministry of Home Affairs.

Strengthening of Hindi Organisation of North-Eastern Railway

1297. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 014 on the 23rd December, 1969 regarding a letter to the Editor of daily *Aj* under the caption "*Poorvottar Railway and Hindi*" (North-Eastern Railway and Hindi) and state :

(a) whether Government have since considered and decided the question of augmenting the strength of the employees of the Hindi Organisation of the North Eastern Railway ;

(b) if so, the complete details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of Railway (Shri Nanda) : (a) The question has since been examined and a decision is expected to be taken shortly.

(b) and (c). Do not arise.

Equipments required for Factories during Fourth Plan

1298. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2299 on the 2nd December, 1969 regarding equipments required for factories during the Fourth Plan and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Government did not undertake any specific survey to assess the requirement of the equipments to be installed in the factories to be established during the Fourth Five year Plan. The financial requirements in this regard have been worked out in the light of the studies conducted by Development Councils, Industrial Associations, Directorate General of Technical Development and Planning Groups set up by the Planning Commission.

तकनीकी जानकारी के आयात के बारे में नीति

1299. **श्री प्रबिचन** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "तकनीकी जानकारी का आयात उद्योग की प्रगति में बाधा डालता है" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार तकनीकी जानकारी का आयात हमारे उद्योग की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा हमारे इंजीनियरों को केवल ऐसे नक्शा नवीस बना रहा है जो विदेशी निर्माताओं द्वारा दिये गये नक्शों का अनुसरण मात्र करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान तकनीकी जानकारी के आयात करने सम्बन्धी प्रश्न पर पुनर्विचार किया है, तथा इस सम्बन्ध में मोटे तौर से क्या नीति निर्धारित की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार विदेशी टेकनालाजी के प्रश्न पर बराबर विचार करती रही है । जबकि विदेशी सहयोग के बारे में आधारभूत नीति अब तक मोटे तौर से एक समान ही रही है किन्तु अब उसमें इस बात को देखते हुए काफी परिवर्तन किया गया है कि भारत में जो उद्योग आरंभ किये गये हैं उनका आधार मजबूत बनाना है और हमारे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा साथ ही देशी अनुसंधान व टैकनालाजी के विकास की भी आवश्यकता है । विदेशी सहयोग के जो प्रस्ताव आते हैं उनको मंजूर करने के मामले में केवल बहुत सोच-विचार ही नहीं किया जाता वरन उनके मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट बातें भी निर्धारित कर दी गई हैं । एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिये बार-बार टेकनालाजी का आयात न किया जाये उसको रोकने के लिए उस समय समुचित बातचीत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं जबकि एक ही समय एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए कई कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव होता है । अब तकनीकी सहयोग के करार सामान्यत: उत्पादन आरम्भ होने के समय से पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किये जाते हैं ताकि एक तो यथाशीघ्र भारतीय कारखाने विदेशी जानकारी को आत्मसात कर सकें और साथ ही भारतीय कारखानों को गवेषणा व अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके । इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यथा सम्भव इन सहयोग के करारों से निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय और करारों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे यदि आवश्यक हो तो विदेशी सहयोगी सहित सभी सम्बन्धित लोगों द्वारा आपस में मिलकर तय की गई शर्तों पर सरकार की मंजूरी लेकर उस जानकारी को दूसरी भारतीय कम्पनी को दिया जा सके । यह सुनिश्चित पाने के लिए कि भारतीय परामर्श सेवाओं को यथा सम्भव अधिक से अधिक उपयोग हो सके यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी भारतीय परामर्श सेवा उपलब्ध हो तो उसका पूरी तौर से उपयोग किया जाना चाहिए । यदि विदेशी परामर्श सेवा की भी आवश्यकता हो तो भारतीय परामर्शदाताओं को भी उनके साथ मिला लेना चाहिए और इस प्रकार परामर्श सेवा के लिए एक प्रारम्भिक एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए । विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को जल्दी से निबटाने के लिए दिसम्बर, 1968 से एक विदेशी निवेश मंडल भी बनाया गया है ।

हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण

1301. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग, जिस पर राजधानी एक्सप्रेस चलती है, के 4/5 भाग का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष 1/5वें भाग का

विद्युतीयकरण करने के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, हालांकि यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि विजयवाड़ा-मद्रास मार्ग का विद्युतीकरण करने की परियोजना को प्राथमिकता देनी है, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से दबाव डाला जा रहा है, जैसा कि 31 जनवरी, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार दिया गया है ; और

(ग) यदि यह समाचार सच नहीं है तो दिल्ली-टूंडला परियोजना पर तुरन्त कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग के हावड़ा से कानपुर खण्ड पर 25 किलोवाट ए० सी० प्रणाली की बिजली लगायी जा चुकी है। कानपुर-टूंडला खंड में बिजलीकरण का काम जारी है और आशा है, 1970-71 में यह काम पूरा हो जायेगा। जहाँ तक शेष भाग यानी टूंडला-दिल्ली खण्ड के बिजलीकरण का सम्बन्ध है, उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाने वाले बिजलीकरण के कार्यक्रम में अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए मद्रास विजयवाड़ा खण्ड का भी बिजलीकरण रेल मण्त्रालय के विचाराधीन है। टूंडला-दिल्ली खण्ड के बिजलीकरण का आर्थिक अध्ययन हाथ में लिया जा चुका है ताकि इस योजना के वित्तीय औचित्य का मूल्यांकन किया जा सके और आशा है 1970 के मध्य तक यह अध्ययन पूरा हो जाएगा। जब यह अध्ययन पूरा हो जायेगा तब दोनों योजनाओं के गुणदोष के आधार पर उनकी जांच की जायेगी।

रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें

1302. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) किन-किन पदों के बारे में इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने दो भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पहला भाग नवम्बर, 1968 में और अंतिम भाग अगस्त, 1969 में। रिपोर्ट के इन दोनों भागों को प्राप्त होने के थोड़े समय बाद ही सभा-पटल पर रख दिया गया था।

रिपोर्ट के भाग 1 पर रेल मन्त्रालय के विचारों की पुस्तिका फरवरी, 1969 में रेलवे बजट प्रलेखों के साथ दी गयी थी। रिपोर्ट के इस भाग में 139 विचार और 90 सिफारिशें हैं। समपार पर चौकीदार रखने अथवा समपारों का दर्जा बढ़ाने के मानदण्ड निर्धारित करने से सम्बन्धित एक सिफारिश को छोड़कर रिपोर्ट के इस भाग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर लीं।

गयी हैं । पहले स्वीकार न की गई एक सिफारिश पर भी रिपोर्ट के भाग II में समिति द्वारा व्यक्त विचारों के संदर्भ में फिर से विचार किया जा रहा है । स्वीकृत सिफारिशों में से 26 पर पहले ही अमल किया जा चुका है और बाकी सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । इनमें से कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिनपर धन उपलब्ध होने पर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही अमल किया जा सकता है अथवा जिन पर राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है ।

रिपोर्ट के दूसरे और अन्तिम भाग में रेल संचालन के कई पहलुओं का उल्लेख किया गया है और इसमें 46 विचार और 454 सिफारिशें हैं । इनकी जांच की गयी है और इन पर रेल मन्त्रालय के विचार 24-2-70 को सभा-पटल पर रख दिये गये थे । रेल मन्त्रालय द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

प्रबन्ध संवर्ग के वेतनों की सीमा निर्धारित करने का प्रभाव

1303. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध-प्रतिभा की कमी के बारे में मालूम है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा अभी हाल नवम्बर, 1969 में प्रबन्ध कर्मचारियों के वेतनो की सीमा निश्चित करने का प्रबन्ध संवर्ग को उन्नति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) प्रबन्ध-कार्य में कौशल प्राप्त करने की भावना को पुन: जागृत करने के लिए तथा सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुशल प्रबन्धक कर्मचारियों के विकास के लिए सरकार क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रबन्धकीय व्यक्तियों के नियुक्ति के लिये मार्गदर्शक नियमों, तथा उनके पारिश्रमिक को निश्चित करने, जिसको नवम्बर में घोषणा की गई थी, से निगम क्षेत्र में, कार्यदक्ष एवं व्यावसायकीय प्रबन्ध के विकास में सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र परियोजना

1304. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (E.C.A.F.E.) ने पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां तो ऐसा पत्तन-आधारित संयंत्र कहां स्थापित करने का विचार है, और क्या गोआ में भी इस प्रकार का संयंत्र स्थापित हो सकता है ; और

(ग) उक्त पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कारखाने की क्षमता तथा उत्पादन स्वरूप क्या होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (इकाफे) के पश्चिमी एशिया क्षेत्र के लिए इस्पात सर्वेक्षण दल ने, जिसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट इस वर्ष जनवरी में इकाफे को प्रस्तुत की है, इस क्षेत्र में पत्तन आधारित इस्पात कारखानों की सिफारिश की है और यह संकेत किया है कि इस क्षेत्र के अन्य स्थानों के साथ साथ गोआ और विशाखापतनम भी इस सम्बन्ध में विचार करने योग्य स्थान है ।

(ख) इस्पात की अतिरिक्त क्षमता के लिये नये कारखाने लगाने और उनके लिए स्थान के चुनाव पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कागज उद्योग का विकास

1305. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज के निर्यात की अत्यधिक सम्भावनाओं को देखते हुए कागज उद्योग का तुरन्त विकास करने के लिए एक योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितनी क्षमता मंजूर करने का विचार है तथा उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). कागज की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान कागज संयंत्रों को कुछ सन्तुलन उपकरण देकर तथा मशीनों की गति बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कागज, लुगदी तथा एलाइड उद्योगों वाली विकास परिषद के पास कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं । उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

Prohibition During Gandhi Centenary Year

1306. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the further progress made in the direction of enforcing prohibition in the country ;

(b) whether it is a fact that during the Gandhi Centenary Year more contracts for wine-shops have been given in certain States as compared to those given in previous years ; and

(c) if so, whether it has been done in consultation with the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) As prohibition is a State subject, individual States make their own decisions with regard to the enforcement of prohibition.

(b) As the details of the information with regard to the sanctioning of countracts for wine-shops in different States are not easily available, it could not be indicated whether more contracts were issued during Gandhi Centenary Year.

(c) Consultation by the State Governments with the Government of India in enforcement of prohibition is not required.

Shares Held by foreigners in Wazir Sultan Tobacco Co. Hyderabad

*1307. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of shares still held by foreigners in the Wazir Sultan Tobacco Company, Hyderabad ;

(b) whether payment of income earned from the said shares is being made in foreign exchange ;

(c) whether any efforts are being made to convert the said foreign shares into Indian ones ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) As on 30-9-1969 M/s. Wazir Sultan Tobacco Co. Ltd. had paid up capital of Rs. 2,29,54,300. Of this Rs. 2 crores represented equity capital and the balance represented the value of 29,543 cumulative redeemable preference shares of Rs. 100/- each. According to the available information, 67.7 per cent of the equity capital is held by non-resident shareholders.

(b) The non-resident shareholders of the company are allowed to make remittances abroad out of the dividend received by them.

(c) Not yet.

(d) Does not arise.

Loss Incurred by Industries on Accound of Uncertainty in West Bengal

1308. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether some estimates have been prepared in connection with the loss caused to the industries due to uncertainty created in the industrial organisations of West Bengal ;

(b) whether it is a fact that it has affected adversely the expansion of the industrial organisations and the establishment of new industries ; and

(c) the number of workers affected due to the decrease in the working capacity or the closure of industrial organisations ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा चोर बाजार में पोलीथीन का बेचा जाना

1309. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री मैसर्स एशियन केबल्स के बारे में 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चोर बाजार में पोलीथीन की बिक्री सम्बन्धी मामले की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख). मामले की अभी तक जांच चल रही है ।

कागज की कमी

1310. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री विश्व नारायण शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मुद्रण तथा लेखन के क्राफ्ट और एम० जी० कागजों की कुल श्रेणियों के सिवाय सामान्य रूप से कागज की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) लुग्दी कागज तथा एलाइड उद्योगों वाली विकास परिषदें विद्यमान कागज मिलों में मशीनों की गति बढ़ाकर तथा सन्तुलित उपकरण देकर उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ।

कई मिलों की स्थापना के मुकाबले ऐसा कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर अपेक्षाकृत कम अवधि में उत्पादन वृद्धि में सहायता करेगा । इस बारे में परिषद की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है । सरकार ने कागज बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने का निश्चय किया है । आशा की जाती है कि निगम अखबारी कागज तथा छपाई व लिखाई कागज के उत्पादन के लिए कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारम्भ करने वाला है ।

Requirements and Production of Steel

1311. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the annual requirement and the actual production of steel at present ;

(b) the extent to which the requirement of steel is likely to be increased in the next five years ; and

(c) the action taken to meet the said requirement ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The indigenous consumption which is also indicative of the requirement of steel during 1968-69 was around 4.5 million tonnes.

The production of saleable steel during the first 10 months of the year 1969-70 was 3.960 million tonnes.

(b) The domestic requirement of steel by 1973-74 has been estimated at 7.12 million tonnes.

(c) Plans are being drawn up to meet the requirement of steel as far as possile.

The proposals approved/under consideration include :—

1. Completion of the projects already in hand, and attainment of optimum output from the existing facilities through introduction of technological improvements, additional balancing and finishing facilities to be progressively implemented over the next 10 years.
2. Continuation of Bokaro to 4 million Tonnes stage ;
3. Bhilai's expansion to 4.2 million tonnes for the production of billets and plates.
4. Additional capacity in steel of about 4 million tonnes in new steel plants ;
5. Stainless steel cold rolling complex at ASP, Durgapur and doubling the capacity of the plant.
6. Cold rolled grain oriented sheet plant at Rourkela.

मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

1312. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; तथा कब तक उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार, तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख) और (ग). देश में मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने जैसी सरकार की कोई सामान्य नीति नहीं है । किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर निर्णय अर्थ प्रबन्ध की आवश्यकताओं तथा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है ।

चुनावों के खर्च पर अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव

*1313. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री एन० शिवप्पा : श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि संसदीय तथा विधान सभा दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम सीमा कितनी बढ़ायी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

कटिहार जाने वाली मालगाड़ी का टैल्टा स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर पटरी से उतर जाना

1314. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार की जाने वाली मालगाड़ी के कुछ डिब्बे 2 जनवरी, 1970 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे स्टेशन के बारसोई-किशनगंज सैक्शन के टैल्टा रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गये थे ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है ;

(ग) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दुर्घटना के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना, गर्म पेटी (हाल्ट-बाक्स) के कारण गाड़ी के इंजन से 17वें माल डिब्बे का जर्नल टूट जाने की वजह से हुई ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 28,200 रुपये मूल्य की क्षति होने का अनुमान है ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार

1315. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस स्टेशन पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के दूसरी श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के रूप में चयन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने पदोन्नति को लेने से इंकार कर दिया है ताकि वे कदाचार धन इकट्ठा कर सके ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जो मामले नोटिस में आये हैं उनकी संख्या को देखते हुए ऐसा नहीं मालूम होता ।

(ख) और (ग). नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को दिसम्बर, 1969 में द्वितीय श्रेणी की राजपत्रित सेवा में पदोन्नति के लिये चुन लिया गया था और दिल्ली से बाहर तैनात कर दिया गया था लेकिन घरेलू कारणों से उन्होंने पदोन्नति से इन्कार कर दिया ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

डिवीजनल लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे नई दिल्ली के पेंशन अनुभाग में भ्रष्टाचार

1316. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, के पेंशन अनुभाग में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा सेवानिवृत कर्मचारियों से उनकी बकाया राशि का निपटारा करने के लिये घूस ली जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा-निवृत कर्मचारियों को जब उन्हें बकाया राशि मन्जूर की जाती है तो उनके पतों पर तुरन्त सूचना नहीं दी जाती है जिसके फलस्वरूप अदा न किये गये बिलों के कारण 10 लाख रुपये इकट्ठे हो गये हैं ;

(ग) क्या दोषी कर्मचारियों का इस अनुभाग से तबादला कर दिया गया है ; और

(घ) भुगतान न किये गये ऐसे बिलों का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) किसी सेवानिवृत कर्मचारी से इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं। अन्तिम पावनों की भुगतान के लिए पास करने के साथ-साथ रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भूतपूर्व कर्मचारियों को सूचना भी भेजी जाती है। 1-1-68 से 30-11-68 तक की अवधि में 29.44 लाख रुपये के बिल भुगतात के लिए पास किये गये जिनमें से निर्वाह निधि। मृत्यु-एवं सेवा-निवृति उपदान के पद में न भुगताये गये विशेष अंशदान की रकम केवल 28,000 रुपये थी।

(ग) मद (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) ऐसे मामलों की सूचियां मण्डल कर्मिक अधिकारी कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाती हैं जो कल्याण संगठनों के माध्यम से भुगतान पाने वालों का पता लगाकर भुगतान का प्रबन्ध करते हैं।

रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों की वेतन-वृद्धि रोकना

1317. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री रेलवे वाणिज्य लिपिकों से सम्बन्धित 25 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में ऐसे वाणिज्यिक लिपिकों की संख्या कितनी है जिनको वेतन-वृद्धियां दस वर्ष और उससे अधिक समय तक के लिये रोकी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे के हाथ से यातायात इस कारण निकलता जा रहा है कि कर्मचारियों की अपने कार्य में रुचि नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की वेतन-वृद्धियां रोकने का शोक है तथा उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने, तथा जिन लोगों को पिछले पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय वेतन-वृद्धियां नहीं मिली हैं उन्हें वेतन-वृद्धियां देने के लिये कारगर कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 10 वर्ष और अधिक की अवधि वह कुल अवधि है जिसके लिए कर्मचारियों को विभिन्न अवसरों पल कुल मिलाकर दण्ड दिया गया है । यह आवश्यक नहीं है कि वह 10 वर्षों की निरन्तर अवधि हो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड दोष की मात्रा पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और आचार एवं अपील नियमों में निर्धारित कार्य-विधि का पालन करने के बाद दिया जाता है । यह दण्ड देने का उद्देश्य यह है कि यह न केवल निवारक सिद्ध ही बल्कि शोधक भी हो ।

दक्षिण तथा उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्क

1318. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री दक्षिण पूर्व तथा उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों के बारे में दिनांक 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के (ख) तथा (घ) भाग में वर्णित सभी स्टेशनों पर मास जनवरी, 1969 से मास दिसम्बर, 1969 तक, प्रत्येक मास, प्रत्येक स्टेशन पर निम्नलिखित मदों में कुल कितनी क्षमता का यातायात हुआ :

(1) बुक किये गये यात्रियों की संख्या तथा उससे प्राप्त आय ;

(2) कितने पार्सल चढ़ाये या उतारे गये तथा उससे प्राप्त आय ;

(3) कुल कितने माल का यातायात हुआ तथा उससे प्राप्त आय ;

(4) प्रत्येक स्टेशन की कुल कितनी आय हुई ; और

(5) वहाँ कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क थे ;

(ख) उपरोक्त (क) भाग में वर्णित सभी स्टेशनों के कार्य-भार का क्षेत्रीय रेलवे द्वारा क्या हिसाब लगाया गया है ;

(ग) क्या समान कार्य भार रखने वाले उन सभी स्टेशनों को 335 रुपये तथा इससे ऊपर के ऊंचे वेतनमानों वाले पद आबंटित किये गये हैं ।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार समान कार्य-भार रखने वाले सभी स्टेशनों को समान सुविधायें देने के बारे में विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मान्यता-प्राप्त संघों से प्राप्त भिन्न संघों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही

1319. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों के सभी महा-प्रबन्धकों को इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि मान्यता प्राप्त संघों से भिन्न संघों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही न की जाय ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे आदेश जारी करने के क्या कारण हैं जिन्होंने सभी अन्य संघों को कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत गारन्टीकृत उनके जायज अधिकार से वंचित किया गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ये आदेश मान्यता-प्राप्त संघों की ओर से बोर्ड पर दबाव डाले जाने के कारण जारी किये गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) . सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में उपरी पुल

1320. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर में ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं ;

(ख) किन-किन मामलों में निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा इसके कब पूरा होने की संभावना है और दूसरे मामलों में निर्माण-कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली में ऊपरी-पुलों के निर्माण सम्बन्धी कौन से मामले अभी तक विचाराधीन हैं तथा इनके बारे में अन्तिम रूप से कब निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1968-69 में दिल्ली में पटेल नगर के पास एक ऊपरी सड़क पुल के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त निर्माण कार्य जारी है और दिसम्बर, 1970 तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ; [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2679/70]

तैवान रेलवे प्रशासन के लिये भारतीय रेल-डिब्बे

1321. श्री म० ला० सोंधी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैरम्बूर इन्टैग्रल कोच फैक्टरी ने तैवान रेलवे प्रशासन के लिये 100 भारतीय रेल डिब्बों का एक क्रयादेश पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अगले कुछ वर्षों में भारत द्वारा तैवान में किस सीमा तक रेल डिब्बों का निर्यात बढ़ाने की सम्भावना है ; और

(ग) रेलवे ने अन्य देशों से प्रतियोगिता का सामना करने हेतु तैवान में बिक्रय संबंधी अनुसंधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अधिकतर देश रेलवे चलस्टाक की खरीद के लिए विश्वटेन्डर आमंत्रित करते हैं। ताइवान में भी यही परिपाटी है। ताइवान रेल प्रशासन द्वारा पूछताछ किये जाने पर भारतीय रेलें दरें बताती रहेंगी। लेकिन ताइवान को और चल-स्टाक निर्यात करना इस बात पर निर्भर है कि हम तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य और प्रतियोगी दरें बतायें जिसके लिए प्रयास किया जायेगा। रेलवे उत्पादन यूनिटें जो दरें बताती हैं, उनपर राज्य व्यापार निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में वाणिज्यिक पहलुओं पर ध्यान रखने के साथ-साथ राज्य व्यापार निगम विदेशों में विपणन-अनुसंधान भी करता है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कर्मचारी प्रबन्ध नीति

1322. श्री म० ला० सोंधी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अभी हाल ही में कर्मचारी प्रबन्ध संबंधी एक नई नीति अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). यद्यपि हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्राधिकारियों ने कोई नई कार्मिक संपर्क-प्रबन्ध नीति नहीं अपनाई है, नीति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और उसपर जो सुधार और परिवर्तन आवश्यक समझे जाते है किये जाते हैं। हाल में कम्पनी ने यथा सम्भव मात्रा में एक कारखाने से दूसरे कारखाने में बदली और कम्पनी के आधार पर उच्च प्रबन्धक पदों के लिए वरण-प्रणाली को पुनः आरम्भ किया है। प्रबन्ध-कर्मचारियों के योजनाबद्ध विकास के लिए भी एक योजना बनाई जा रही है।

सिंगापुर में बिलेट मिल की स्थापना

1323. श्री म० ला० सोंधी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाईन विभाग द्वारा, सिंगापुर के एक बिलेट मिल

स्थापित करने संबंधी संभावनाओं का अध्ययन पूरा करने के बाद, इस बारे में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस्पात टैक्नोलाजी के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शक्यता प्रतिवेदन सिंगापुर की सरकार को भेज दिया गया है और उसके विचाराधीन है।

(ख) एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग के तत्वावधान में दक्षिण लोहा और इस्पात संस्थान (साउथ एशिया आयरन एण्ड स्टील इंस्टीट्यूट) की स्थापना की जा रही है। भारत ने इस संस्थान का सहायक सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के डिजाइन संगठनों का विस्तार

1324. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनिरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के डिजाइन सम्बन्धी संगठनों का विस्तार करने का है जिससे चौथी योजना में कार्य बढ़ जाने पर उसको पूरा किया जा सके ;

(ख) क्या वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन दोनों ही अपने डिजाइन संबंधी संगठनों का विस्तार करने की योजना बना रहें हैं, जिस से वे चतुर्थ योजना अवधि में प्रत्याक्षित अतिरिक्त कार्य कर सकें।

(ख) जी, हां। भिलाई इस्पात संयंत्र की वर्तमान 2.5 मिलियन टन की क्षमता को बढ़ाकर 4.2 मिलियन टन करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भिलाई के 4.2 मिलियन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 680,000 टन बिलेट और 700,000 टन प्लेटों की उत्पादन क्षमता बनाने का प्रस्ताव है।

भारत में विधान का स्तर

1325. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति

जे० सी० शाह द्वारा अखिल-आसाम वकील संघ के आठवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये दिये गये इस आशय के वक्तव्य की जानकारी है कि भारत में जो विधान बनाया जाता है वह "दोषपूर्ण, परस्पर विरोधी तथा विसंगत" होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकारी विधेयकों का प्रारूपण तैयार करने में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को शामिल करने के लिये उन्हें आमंत्रित करने का विचार करेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कागज की चोरबाजारी

1326. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जनवरी, 1970 को उन्होंने हैदराबाद में दिये गये अपने वक्तव्य में उपभोक्ता उद्योग को यह चेतावनी दी थी कि या तो यह उद्योग सही तरीके से कार्य करे अन्यथा सरकार उन्हें अपने हाथ में ले लेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वक्तव्य को सरकार की धमकी समझा जाये ;

(ग) पिछले दो वर्षों में सरकार ने कागज की चोरबाजारी के कितने मामले पकड़े और उनमें क्या कार्यवाही की ; और

(घ) प्रस्तावित कागज विकास निगम का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश व्यापार तथा उद्योग मंडल संघ की दिनांक 8 जनवरी, 1970 को हुई बैठक में सदस्यों को सम्बोधित करते हुये इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर उपभोक्ता उद्योगों ने गलत रवैये अपना कर स्वार्थ साधन करने की कोशिश की तो सरकार उनकी इस प्रकार की कार्यवाहियों को सहन नहीं करेगी ।

(ग) मई, 1968 में सरकार ने सभी प्रकार के कागजों के बिक्रय मूल्य पर से नियंत्रण उठा लिया है । अतः चोर बाजारी की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने के लिये एक निगम की स्थापना करने का निश्चय किया है । इसकी पूंजी आदि के विषय में विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

भावनगर और अजमेर में मशीन टूल संयन्त्र

1327. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भावनगर तथा अजमेर में साथ-साथ मशीन टूल संयंत्र स्थापित करने का पहले निर्णय लिया था और तदनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूचित किया गया था ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने भावनगर में मशीन टूल संयंत्र स्थापित करने के लिए 14.28 लाख रुपये की लागत पर 321 एकड़ भूमि अर्जित की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जबकि अजमेर में इस परियोजना को क्रियान्वित करने में काफी प्रगति हुई है भावनगर में मन्दी के कारणों से इस परियोजना के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(घ) यदि हा, तो यह धारणा बनाने के क्या कारण है कि मन्दी का केवल भावगगर संयंत्र पर ही प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) खुद सरकार ने इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 20.00 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के मशीन टूलों का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या भावनगर परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 321 एकड़ 26 गुन्धा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और इस हेतु कुल रु० 9,94,127.66 पैसे की राशि मुआवजे तथा उससे संबन्धित कार्य में व्यय की जा चुकी है।

(ग) तथा (घ). सरकार ने चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स टेकनोएक्सपोर्ट, प्राहा को 5 अप्रैल, 1965 को बुलाया और उन्हें भावनगर में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित मीडियम हेवी मशीन टूल संयंत्र जिसमें ग्रे आयरन फाउन्ड्री भी होगी और अजमेर में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित घिसाई की मशीनों के संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया था। घिसाई मशीन संयंत्र, अजमेर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। घिसाई मशीन संयंत्र, अजमेर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1966 में प्राप्त हो गई थी और उसे कुछ संशोधनों के पश्चात् स्वीकार कर लिया गया था। घिसाई मशीन टूल परियोजना, अजमेर के कार्यान्वयन के लिए 'मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कम्पनी का गठन किया गया है। अजमेर की घिसाई मशीन संयंत्र ने अजमेर में परीक्षण के तौर पर उत्पादन दिसम्बर, 1969 में आरम्भ कर दिया था।

भावनगर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1967 में प्राप्त हुई थी। उस समय तक आर्थिक ढांचे में मन्दी की प्रवृत्तियों के कारण मशीनी औजारों की मांग में भारी गिरावट आ गई। अतः स्थिति पर नये रुप से पुनः विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था। कि मशीनी औजारों की मांग में भारी गिरावट को देखते हुए और मशीन उद्योग के लक्ष्य का पुनरीक्षण कर उसके लक्ष्य कम किये जाने को ध्यान में रखये हुए इस बात की पुनः जाँच की जानी चाहिये कि विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण के लिये किसी नये कारखानों की स्थापना करने का प्रथम दृष्टि में कोई औचित्य है या नहीं अथवा इन औजारों को सरकारी क्षेत्र के किसी वर्तमान एकक में निर्मित किया जा सकता है। अग्रेतर अध्ययन से पता चला कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर दोनों मिलकर प्रस्तावित भावनगर परियोजना में निर्मित किये जाने वाले सभी मशीनी औजारों का निर्माण कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में भावनगर परियोजना की स्थापना को स्थागित कर दिया गया था।

(ङ) 1973-74 के अन्त तक आयात किये जाने वाली 20 करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी औजार मुख्यतः जटिल तथा अत्यंत विशिष्ट प्रकार के होंगे। इन जटिल तथा अत्यन्त विशिष्ट प्रकार के सभी मशीनी औज़ारों का निर्माण करना आगामी कुछ वर्षों तक आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा और कई मामलों में तो तकनीकी दृष्टि से सम्भव भी नहीं होगा।

जब भी कभी मशीनी औजार की मांग पर्याप्त रूप से बढ़ेगी और आर्थिक परिस्थितियों में एक नये मशीनी औजार बनाने के कारखाने की स्थापना करना औचित्यपूर्ण होगा तो भावनगर मशीनी औजार परियोजना के बारे में आगे पुनर्विचार किया जायेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के ह्वील्स एण्ड एक्सिल्स (पहिये तथा धुरियाँ) एकक का उत्पादन

1328. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिये तथा धुरियां एकक क्षमता कितनी है जबसे वह चालू हुआ उसके वास्तविक उत्पादन के वर्ष वार आँकड़े क्या हैं और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) उस अवधि में जबकि इस एकक का उत्पादन चल रहा था, देश में पहियों तथा धुरियों का वर्ष वार कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि इस पहिये तथा धुरियां एकक को स्थापित करने का मूल उद्देश्य बहुत हद तक अधूरा रहा है क्योंकि देश को एक ओर इस एकक के स्थापित करने तथा उसके रख-रखाव पर और दूसरी ओर, विदेशों से पहियों तथा धुरियों के आयात पर भारी राशि खर्च करनी पड़ी है ; और

(घ) क्या इस एकक की कार्य प्रणाली सुधारने के लिये कोई समय निर्धारित कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पहिये और धुरों के कारखाने की निर्धारित क्षमता 1 मि० टन अवस्था में 45,900 पहियों के जोड़े और 1.5 मिलियन टन अवस्था में 75,000 पहियों के जोड़े तैयार करने की है।

वर्ष-वार उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	बनाये गये जोड़ों की संख्या
1962-63	5,769
1963-64	18,660
1964-65	23,736
1965-66	23,241
1966-67	16,210
1967-68	15,420
1968-69	12,732

उत्पादन में कमी का कारण औद्योगिक सम्पर्क की दुरवस्था, कम श्रमिक उत्पादन, और पुर्जों की कमी आदि रहा है।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह बात किसी सीमा तक सही है।

(घ) पाण्डे समिति और ब्रिटिश विशेषज्ञ मेसर्स मौकहाउस एण्ड किर्क समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। नई वेतन प्रोत्साहन योजना को चालू करना, संतुलन सुविधाओं की स्थापना, मशीनों तथा यंत्रों की मरम्मत करना, फालतू पुर्जों को प्राप्त करना; आदि उठाये गये कदमों में से प्रमुख हैं। कम उत्पादन का प्रमुख कारण श्रमिक अनुशासनहीनता है। ऐसी आशा है कि वार्ता के फलस्वरूप उत्पादन में सुधार होगा और इस संयंत्र की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्लेट बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

1320. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की चपटी चादरों से बनी वस्तुओं की भारी कमी है और यह कमी और कई वर्षों तक बनी रहेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने एक और इस्पाती चादर मिल स्थापित करके इस्पाती चादरें (प्लेट) बनाने की अपनी क्षमता में प्रतिवर्ष 3 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया था ;

(ग) यदि हां, तो यह आवेदन पत्र कब प्राप्त हुआ था ;

(घ) क्या उक्त आवेदन पत्र पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० ने अपनी वर्तमान प्लेट मिल के पुनःस्थापन के लिए प्रस्ताव रखा था परन्तु अभी तक कोई औपचारिक आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के निर्मित धातुपिंडों और बिलेटों का निर्यात

1330. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यकरण की सरकारी समीक्षा में जिसके अंश 21 जनवरी, 1970 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में उद्धृत किये गये थे, बताया गया है कि इस कारखाने ने 1969 में माल की निकासी में विशेषतः निर्यात में कीर्तिमान स्थापित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त निर्यात में अधिकतर प्रतिशतता धातुपिंडों तथा बिलेटों की थी ;

(ग) क्या प्रथम अथवा मध्य उत्पादों का निर्यात करने का अपेक्षा तैयार माल का निर्यात करना अधिक लाभदायक रहता है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार समझती है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपने काम पर गौरव महसूस करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वह अब भी अपनी निर्धारित क्षमता से कम पर काम कर रहा है और निर्यात अधिकतर धातु पिण्डों तथा बिलेटों का किया गया है जिन्हें उसके परिष्करण एककों के असन्तोषजनक काम के कारण खुद कारखाने में पेला नहीं जा सका ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। 1969 में इस्पात और दूसरे उत्पादों के कुल प्रेषणों तथा निर्यात के लिये प्रेषणों ने नये कीर्तिमान स्थापित किये थे।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी उद्योगों के लिए कच्चे माल के नियतन के बारे में पश्चिम बंगाल के मन्त्री द्वारा आलोचना

1331. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जनवरी 1970 को कलकत्ता में श्रम कल्याण अधिकारी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र वितरित करने के लिए आयोजित समारोह में बोलते हुए बंगाल के लघु उद्योग मंत्री श्री शम्भू घोष ने केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने बंगाल में इंजीनियरी उद्योगों के लिये कच्चे माल का विशेषतः लोहे तथा इस्पात का अपर्याप्त नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक वर्ष-वार तथा राज्य वार, बड़े तथा छोटे इंजीनियरी एककों के लिए वस्तुतः कितने कच्चे माल का नियतन किया था ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में कलकत्ता में दिनांक 18 जनवरी, 1970 को दिये गये श्री शम्भू घोष के वक्तव्य को देखा है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल को उपलब्ध कच्चे मालों से उसका अंश नियतन किया जाता रहा है और वास्तविकता तो यह है कि 1969-70 में अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य को बी० पी० शीटों का अधिकतम नियतन किया गया । लघु क्षेत्र के लिए 1970-71 में 10 करोड़ रुपये मूल्य का लोहा और इस्पात आयात करने का निर्णय भी किया गया है जिसमें से पश्चिमी बंगाल को उसका हिस्सा आवंटित किया जायेगा ।

(ग) सूचना इकट्ठी करके सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"जैसप एण्ड कम्पनी" कलकत्ता, का राष्ट्रीयकरण

1332. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जैसप एण्ड कम्पनी", कलकत्ता पर भारत के किस व्यापार समूह का स्वामित्व और नियंत्रण है ;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस कम्पनी के कार्य के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) सरकार द्वारा इस कम्पनी का लोकहित में राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार ने कम्पनी के आधे से अधिक इक्विटी शेयरों को खरीद कर कम्पनी पर नियंत्रण के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

(ख) कम्पनी के विगत तीन वर्षों के कार्यों के परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लाभ हानि (रु० लाखों में)	इक्विटी शेयरों पर अंश लाभ प्रतिशत	आरक्षित (रु० लाखों में)
1966	94.68	12.50	493.07
1967	41.56	12.50	520.87
1968	84.38 (हानि)	—	435.20

31-10-69 को समाप्त होने वाले कंपनी के वित्तीय वर्ष का हिसाब अभी प्रकाशित नहीं हुआ।

(ग) सरकार ने पहले ही कंपनी पर नियंत्रक अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, के कार्यकरण का परिणाम

1333. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेलवे मंत्री डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी और एक अमरीकी फर्म के बीच सहयोग के बारे में 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी की स्थापना से लेकर अब तक उसके कार्यकरण का क्या परिणाम रहा है ;

(ख) विदेशों फर्मों के साथ हुए करारों के अनुसार प्रत्येक विदेशी फर्म को स्वामित्व, तकनीकी शुल्क, परामर्श शुल्क, ब्याज तथा अन्य प्रभारों के रूप में कुल कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ग) उक्त कारणों से प्रत्येक विदेशी फर्म को आज तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०—2680/70]

समवाय विधि बोर्ड द्वारा निन्दित बिड़ला सार्थ समूह

1334. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला सार्थ समूह के उन समवायों के नाम क्या हैं जिनको गत 3 वर्षों में समवाय विधि, 1956 के उपलब्धों का पालन न करने पर समवाय विधि बोर्ड द्वारा निन्दा की गई है अथवा जिनको चेतावनी दी गई हो ;

(ख) गत तीन वर्षों में समवाय विधि बोर्ड ने अनियमितताओं के आरोप पर बिड़ला सार्थ समूह के नियन्त्रणाधीन कितने समवायों को दण्ड दिया है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या दण्ड दिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

रेल के डिब्बों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था

1335. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेलवे मन्त्री रेल डिब्बों में साफ किये हुए पानी की व्यवस्था के बारे में 25 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में पानी के टैंकों की और अधिक जल्दी बार-बार साफ न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) रेल के डिब्बों में पीने तथा आन्तरिक प्रयोग के लिये स्वच्छ तथा साफ किये हुए पानी की व्यवस्था करने की योजना के कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ; और

(ग) सभी दूरगामी रेलगाड़ियों में इस योजना को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सवारी डिब्बों में पानी की टंकियां महीने में एक बार साफ की जाती हैं और महीने में एक बार उनकी सफाई पर्याप्त पायी गयी है ।

(ख) और (ग). पहले दर्जे के गलियारेदार सवारी डिब्बों और तीसरे दर्जे के शयन यानों में कंटेनरों में पीने का ठण्डा पानी दिया जाता है । लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में क्रमशः इस तरह की सुविधा देने का प्रस्ताव है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम में संशोधन

1336. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि एकाधिकार पर कड़ी रोक लगाना ज्यादा सरल हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्तावित संशोधन संसद् के सपक्ष कब तक लाये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली के उन्मूलन के पारिणामिक कुछ संशोधन, औद्योगिक लाइसेंस नीनि जांच समिति की शिफारिशों तथा मूलपाठीय प्रकृति के कुछ अन्य (सुझाव) विचाराधीन है । वह समय बताना संभव नहीं होगा, जिसको यह, संसद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होंगे ।

नियन्त्रण तथा लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने की नीति

1337. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण तथा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने की नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशों और आर्थिक शक्ति के कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि कुछ विशिष्ट उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली से छूट देने के स्थान पर, ऐसी छूट विनियोजन देने के आधार पर, ऐसी छूट विनियोजन के आकार पर तथा अन्य कुछ बातों पर आधारित होनी चाहिये। तदनुसार, कुछ शर्तों के अधीन अब छूट की सीमा जीवन, इमारत तथा मशीनों में विनियोजित 1 करोड़ रु० तक कर दी है बहुत से उद्योगों को, जिन्हें पहले लाइसेंस प्रणाली से छूट दे दी गई थी, उपर्युक्त विनियोजन की उच्चतम सीमा के अन्दर स्थापित किया जा सकता है। औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा किए गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति लोक सभा में दिनांक 24 फरवरी, 1970 को दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 270 के उत्तर के साथ संलग्न कर दी गई थी।

आसाम में सीमेंट फैक्टरी

1339. श्री विश्व नारायण शास्त्री :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में सीमेंट की कमी है ;

(ख) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने आसाम में एक सीमेंट कारखाना खोलने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) जी, हां, आसाम में सीमेंट का उत्पादन कम है और इस कमी को राज्य से बाहर के सम्भरण से पूरा किया जाता है।

(ख) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा 2 लाख मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता के सीमेंट के बोकाजन (आसाम) में स्थापित किये जाने की सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है। निगम

द्वारा प्रस्तुत कारखाने की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान करने का मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) लगभग 4 वर्ष ।

टाटाओं द्वारा अपने जर्मन साझेदारों के सहयोग से कारों का निर्माण करने का प्रस्ताव

1340. **श्री बलराज मधोक** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है कि वे टाटा मर्सीडिस बैंज ट्रक्स तथा लारियों में अपने जर्मन साझेदारों के सहयोग से कारों का निर्माण करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा प्रबन्ध निदेशकों को वैयक्तिक गारन्टी पर जोर दिया जाना

1341. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थायें और बैंक प्रबन्ध निदेशकों को वैयक्तिक गारन्टी लाने का आग्रह करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इस पर कमीशन मिलता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पद्धति में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् कुछ विषयों में ।

(ग) यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

कम्पनियों के साथ प्रबन्धक अभिकर्ताओं के करार का विनियमन

1342. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन करारों को विनियमित करने पर विचार कर रही है जो प्रबन्धक अभिकर्ता कम्पनियों के साथ कर रहे है, जैसा कि विक्रय अभिकर्ताओं के मामले में किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). कुछ संख्या में ऐसे दृष्टान्त है, जहां कम्पनियों ने अपने भूत-पूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ, वाणिज्यिक सेवाओं, तकनीकी तथा प्रशासनिक सेवाओं, तथा अन्य परामर्श सेवाओं के लिए समझौते किये है। यद्यपि, एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति, से भिन्न, भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ इस प्रकार के समझौते के लिये, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता, अतः इसकी बाबत, उपनति पर दृष्टि रखी जा रही है, एवं कम्पनी अधिनियम में, इस प्रकार के समझौतों के विषय में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन को अपेक्षित बताने वाले उपबन्धों को जोड़ने की आवश्यकतायें, विचाराधीन है।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

1343. **श्री रवि राय** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाना विज्ञापन देने में अंग्रेजी के दैनिक पत्रों के साथ पक्षपात करता है ;

(ख) यदि हां, तो अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के उन दैनिक समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें 1969 में विज्ञापन दिए गए ; और

(ग) इन विज्ञापनों से प्रत्येक समाचार-पत्र को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा दिये गए विज्ञापन अधिकांशत: सामग्री के क्रम अथवा निर्माण के बारे में थे। इनका उद्देश्य देश के व्यापारी केन्द्रों को सूचना देना होता है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समाचार पत्रों को बड़ी सावधानी से आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन द्वारा प्रमाणित सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्रों के आधार पर किया जाता है।

जिन समाचार पत्रों को 1969 में विज्ञापन दिये गये उनके नाम, उनको दी गई राशि और जितने स्थान के लिये विज्ञापन दिया गया सम्बन्धी विवरण संलग्न है। समान स्थान के लिये अंग्रेजी समाचार पत्रों की दर भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों की दरों से सामान्यत: अधिक है।

विवरण

क्रम संख्या	समाचार-पत्र का नाम	दी गई राशि (रुपयों में)	कालम की लम्बाई (सैंटीमीटरों में)
1.	स्टेट्समैन, कलकत्ता	13,149	594
2.	अमृत बाजार पात्रिका, कलकत्ता	12,539	464

3.	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	4,914	314
4.	इण्डियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली	2,395	27
5.	स्टेट्समैन, नई दिल्ली	729	32
6.	टाइम्स श्राफ इण्डिया, बम्बई	6,788	418
7.	इण्डियन एक्सप्रैस, बम्बई	4,194	406
8.	हिन्दू, मद्रास	7,957	491
9.	इण्डियन एक्सप्रैस, मद्रास	6,758	391
10.	प्रजातन्त्र, कटक	989	306
11.	मातृभूमि, कटक	803	397
12.	कलिंग, कटक	744	276
13.	समाज, कटक	1,253	256

अखिल भारतीय सिलाई मशीन निर्माता संस्था, लुधियाना से अभ्यावेदन

1344. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय सिलाई मशीन निर्माता संस्था लुधियाना से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें सिलाई मशीन उद्योग को छोटे पैमाने के क्षेत्र में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को अखिल भारतीय सिलाई उत्पादक संघ (दरम्याने पैमाने के उत्पादकों का संघ) लुधियाना से एक अभ्यावेदन मध्यम पैमानों के औद्योगिक एककों को प्रोत्साहित करने के बारे में प्राप्त हुआ है न कि सिलाई मशीनों के निर्णय को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के बारे में ।

(ख) इस अभ्यावेदन में उठाई गई बातों को इस उद्योग को लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

शाहद यात्री संस्था उल्हासनगर मध्य रेलवे

1345. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहद यात्री संघ उल्हासनगर ने 19 नवम्बर, 1969 को मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य मांगों तथा शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांग यह है कि कल्याण और टिटवाला के बीच अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाई जायें ।

(ग) एक, ऐसी गाड़ी चलाने का विचार है जो टिटवाला 13.40 बजे पहुंचे और वहां से 14.40 बजे वापस आये ताकि 11.41 बजे से 14.45 बजे के बीच 3 घन्टे के अन्तराल में गाड़ी सेवा उपलब्ध हो जाये । बिजली गाड़ी के डिब्बों आदि के रूप में जब और जैसे अपेक्षित साधन उपलब्ध होंगे, इस खण्ड पर और अधिक उपनगरीय गाड़ियां चलाने के बारे में विचार किया जायेगा ।

रेलवे बोर्ड के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया समयोपरि भत्ता

1346. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के अराजपत्रित कर्मचारी वर्ष भर अधिकतम समयोपरि भत्ता प्राप्त करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य कार्यकाल में कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन कर्मचारियों को प्रतिवर्ष दिये गये समयोपरि भत्ते का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में रेलगाड़ियों का समय पर चलना

1347. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में गाड़ियां समय पर चलने के मामले में विश्व भर में सबसे पीछे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1969-70 में रेल गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति का ब्यौरा क्या है और उनके समय पालन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) संसार की विभिन्न रेल प्रणालियों में यात्री ले जाने वाली गाड़ियों के समय-पालन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1969 तक 9 महीनों में बड़ी लाइन और मीटर लाइन खंडों पर समय न खोने वाली यात्री गाड़ियों के समग्र प्रतिशत नीचे दिये गये हैं :-

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
अप्रैल, 1969	84.2	84.3
मई, 1969	84.0	81.9
जून, 1969	82.4	82.5
जुलाई, 1969	83.8	84.1
अगस्त, 1969	85.8	86.4
सितम्बर, 1960	86.0	85.8
अक्तूबर, 1969	86.3	86.5
नवम्बर, 1969	85.1	85.7
दिसम्बर, 1969	84.6	86.3
अप्रैल से दिसम्बर 1969 तक	84.7	84.9

क्षेत्रीय रेलों में सभी स्तरों पर यात्री ले जाने वाली गाड़ियों के चालन पर प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है। क्षेत्रीय रेलों से गाड़ियों के समय पालन के सम्बन्ध में 10 दिवसीय रिपोर्टों और मासिक विवेचन रिपोर्टों के जरिये समग्ररूप से गाड़ियों के समय पालन के रुख की जानकारी प्राप्त की जाती है। रेलवे बोर्ड के निदेशकों की मासिक बैठकों में परिचालन की समीक्षा की जाती है और उसे ठीक करने के लिए कार्रवाई की जाती है। जिन गाड़ियों का चालन अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं होता, उन पर समय-समय पर समय-पालन अभियान चलाये जाते हैं।

सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार

1348. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के वरिष्ट प्रबन्धकों, प्रमुख प्रशासकों तथा विद्याविद अर्थशास्त्रियों को हाल ही में सम्बोधन करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सचिव ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों को उत्पादन लागत को घटाकर उचित स्तर पर लाने, कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा संगठन तथा प्रबन्ध की त्रुटियों को दूर करने के लिये आग्रह किया था ;

(ख) क्या सरकारी उद्यम विभाग के सहयोग से उनके मन्त्रालयों गरबमरी क्षेत्र के कारखानों के लिये इस मामले में कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है : और

(घ) यदि ऐसे कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बताने का विचार है तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में मंत्रिमण्डल के सचिव द्वारा बताई गई त्रुटियों को कैसे दूर किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) सरकारी उपक्रमों के विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए बराबर कुछ बातें बताई जा रही हैं ताकि उनकी कार्य कुशलता में सुधार हो, उत्पादन लागत उचित स्तर पर आ जाये और अन्य बातों की साथ साथ संगठन व प्रबन्ध की कमियाँ भी दूर हो जायें।

बोकारो परियोजना के लिये रूसी उपकरणों की सप्लाई

1349. श्री नंजा गौडर : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के भारी विद्युत तथा परिवहन उद्योगों के मंत्री ने अपनी हाल की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान बोकारो विकास परियोजना के लिये उपकरणों की सप्लाई शीघ्रता से करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) (क) और (ख). 21 जनवरी, 1970 को रूस के भारी, शक्ति एवं यातायात उद्योगों के मन्त्री श्री वी० एफ० जिगालिन के बोकारो इस्पात परियोजना के दौरे के समय बोकारो स्टील लि० के प्रबन्ध निदेशक ने उनसे अनुरोध किया था कि बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भारी इंजीनियरी निगम द्वारा बनाये जा रहे उपकरणों के लिये रूस से पुर्जे की सप्लाई में तेजी लाई जाय। भारी इंजीनियरी निगम के होने वाली सप्लाई के काम में तेजी लाने के लिये हर सम्भव उपाय करने के लिये श्री जिगालिन सहमत हो गये।

केरल में एर्नाकुलम से क्विलोन तक तटीय रेलवे लाइन

1350. श्री ई० के० नायनार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्नाकुलम से क्विलोन तक एक तटीय रेलवे लाइन की योजना स्वीकार करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष तटीय रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने की कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). जी नहीं। एर्नाकुलम लाइन के निर्माण के समय रेलवे लाइन को समुद्रतट के निकट ले जाने के प्रश्न की जांच की थी। यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया क्योंकि इसके लिये वेम्बनाद झील के आर-पार बहुत बड़ा पुल बनाना पड़ता। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति जल-मार्ग और सड़क परिवहन द्वारा अच्छी तरह हो जाती है।

रेलवे सुरक्षा दल द्वारा इंटेग्रल कोच फैक्टरी के कर्मचारियों पर गोली चलाई जाना

1351. श्री नाम्बियर : श्री पी० राममूर्ति :
श्री के० रमानी : श्री उमानाथ :
श्री मंगलाथुमाडम : श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जनवरी, 1970 को इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर के द्वार पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा फैक्टरी के कर्मचारियों पर गोली चलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों की मत्यु हुई और कितने जख्मी हुए ;

(घ) क्या मृतकों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ती दी गई है ;

(ङ) गोली चलाने में अन्तर्गस्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) क्या उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया है ;

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बा कारखाने के एक कर्मचारी श्री ए० कृष्ण स्वामी को, 8-1-70 को कारखाने के फाटक पर अपनी नेमी तलाशी देने से इन्कार करने पर, रेलवे सुरक्षा दल चौकी के सब-इंसपेक्टर के सामने पेश किया गया। वह बिना गेट पास के एक फाइल में अल्मूनियम का एक छड़ छिपाकर ले जाते पकड़े गये। जब उस कर्मचारी की जांच की जा रही थी, तो उसने यह आरोप लगाकर शोर मचाया कि रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी उन्हें मारपीट रहे हैं। कुछ दूसरे कर्मचारी वहां आ गये और वे हिंसा पर उतर आये। उन्हें शांत करने के प्रयास विफल रहे। वे, रेल सुरक्षा दल चौकी में जबरन घुस गये और उन्होंने रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। उन्होंने रिकार्ड जला दिये, पथराव किया और शास्त्रागार गार्ड कमरे पर हमला बोल दिया। उन्होंने गार्ड कमरे के अन्दर रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों से बन्दूकें छीनने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से रेल सुरक्षा दल के उन कर्मचारियों को चोटें आयीं जिनमें से खून बहने लगा। जान और रेल सम्पत्ति के आसन्न खतरे की आशंका से जानमाल की वैयक्तिक रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये गोली चलायी गई।

(ग) गोली चलने के फलस्वरूप राजामानिकम नाम का कामगार मारा गया और तीन अन्य कामगारों को चोटें आयीं।

(घ) जी हां। मृत कर्मचारी की पत्नी को मुआवजे के रूप में 11,920 रुपये का भुगतान किया गया।

(ङ) इस घटना के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट ने जांच पूरी कर ली है और जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

(च) पुलिस ने मामले दर्ज कर लिये हैं और वह मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रही है।

भूतपूर्व सदर्न इण्डियन रेलवे तथा भूतपूर्व एम० एण्ड एस० रेलवे के कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची

1352. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सदर्न इन्डियन रेलवे तथा भूतपूर्व एम० एण्ड० एस० रेलवे का विलय करते समय कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए हुए समझौते का उल्लंघन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या भूतपूर्व सदर्न रेलवे के 22 वाणिज्यिक क्लर्कों को दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन में बाद में रखे गये क्लर्कों से कनिष्ट श्रेणी में रखा गया है ;

(ग) क्या इस गलती को ठीक करने के लिए 1964 में वरिष्ठता सूची में शुद्धि-पत्र जारी करने हेतु किये गये प्रयास को बाद में छोड़ दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जी नहीं। ऐसा पाया गया है 1958 में जो वरिष्ठता-सूची बनायी गयी थी उसमें मद्रास मंडल के कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी स्थिति ठीक-ठीक नहीं दिखायी गई थी। इस सूची को 1964 में संशोधित किया गया। 1967 में इसमें फिर कुछ आशोधन किया गया ताकि वार्षिक समीक्षा के परिणामस्वरूप होने वाली पदोन्नतियां दिखायी जा सकें। अन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची पर अभी हाल में अमल किया गया है।

Changes in Company Law

1353. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a majority of members of the Consultative Committee for his Ministry have recommended to Government to bring some changes in the Company Law ; and

(b) if so, the details of the changes recommended and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Some members of the Consultative Committee of this Ministry have made some suggestions to bring about changes in the law mainly to regulate the appointment and remuneration of Directors and executives of companies. The more important of such suggestions are as follows :

(1) Regulate managerial remunerations in private limited companies also especially in those engaged in production.

(2) Regulate appointment of Executives drawing remuneration of above a certain level and of those who are related to directors of such companies.

(3) Persons like Solicitors or legal advisers rendering professional services to Companies should be debarred from taking up directorship in such companies.

These suggestions are under considerations.

Nationalization of Scooter Industry

*1354. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have emphasised the need for nationalisation of Scooter Industry in the country and have urged Government to take steps in this direction ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड

1355. **डा० कर्णी सिंह** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड, कलकत्ता के सम्बन्ध में अंशों पर दावों के निपटारों की प्रस्तावित योजना का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार को निकट पूर्व में दावों के समाधान को कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सरकार कम्पनी के पुनर्गठन के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है।

Ancillary Industries Around Public Sector Undertakings in Madhya Pradesh

1356. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to the effect that a large number of special subsidiary industries be set up nearabout the sites of public sector undertakings in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The desirability of the Public Sector Undertakings including those in Madhya Pradesh, promoting the development of ancillary industries to meet their requirements of spare parts and components etc. is well recognised and detailed guidelines for developing these have been issued to all the public sector undertakings under the control of this Ministry. The guide-lines issued in this connection include :—

(i) that all project reports of large scale undertakings in the public sector should be cleared with the Development Commissioner, Small Scale Industries so that manufacture of parts and components which are being made or can be made

competently by the small scale sector are not provided for in the schemes so that room is left for ancillary units to participate in production of these components and accessories.

(ii) all undertakings in the public sector should explore the possibility of setting up ancillary industrial estates on the lines of the Hindustan Machine Tools, Bangalore.

(iii) all the existing public sector undertakings should undertake a through scrutiny of parts and components required for each assembly with a view to determining the items that can be conveniently manufactured by ancillary units in and around the undertakings and also the items which can be farmed out to the proposed ancillary units in the industrial estates.

(iv) all the public sector undertakings should also examine the question of providing technical assistance, tooling and testing facilities to the ancillary units as it will ultimately be more economical for these undertakings to get parts and components manufactured to their specifications in the ancillary units in their vicinity.

(v) to remove the uncertainity about the flow of the orders on a regular and continuing basis the public sector undertakings should as far as possible enter into long term purchase arrangements with the small scale ancillary units to give them a sense of security and encourage them to develop new items.

The above guidelines were further emphasised in a high level meeting in which the top executives from the public sector undertakings participated towards the end of last year.

Coming specifically to Madhya Pradesh, there are already 25 ancillary units registered with the Heavy Electricals Innia Ltd. Bhopal for supply of goods according to their orders. Out of these 19 are in actual production and are supplying goods to this Public Undertaking.

Shuttle Service between Bhusawal and Itarsi (Central Railway)

1357. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of the towns located between Itarsi and Bhusawal Stations have submitted several representations to Government demanding the introduction of a Shuttle train between Bhusawal and Itarsi with stoppages at small stations so that the inconvenience caused by the withdrawal of Bhusawal-Itarsi Passanger train could be overcome ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The demand has been examined, but reintroduction of 349 Dn/350 Up Bhusaval-Itarsi Passanger trains which were cancelled in August, 1968, has not been found feasible at present in the context of the strained line capacity on Bhusaval-Itarsi main line section, nor has it been found justified having regard to utilisation of the existing two pairs of stopping Passanger trains *viz.* 357 Dn/358 Up and 387 Dn/388 Up, running on the section.

Having regard to the offering of traffic at Khirkiya, Banapura, Bir and Harsud stations of Bhusaval-Itarsi section, 41 Dn/42 Up Bombay-Allahabad-Howrah Janata Express, or 27 Dn/28 Up Bombay-Varanasi Express, trains have been provided stoppage to make up for the loss consequent on concellation of 349 Dn/350 Up Passengers.

Attendants in Passenger Trains on Central Railway

*1358. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Attendants working in all the Passanger trains on the Central Railway ;

(b) the nature of their work and whether training is given to them for such work ;

(c) the details of their duty-hours, pay-scales and allowances ;

(d) whether some of the Attendants are working temporarily at present and, if so, the number of days for which they are given the work ;

(e) whether Government have received some complaints regarding the malpractices in the selection of the temporary employees ; and

(f) if so, whether Government have taken any action against such appointing authorities ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Machinery to Check Complaints Against Staff of Vigilance Department and Railway Employees

*1359. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of ticketless travellers detected last year by the Vigilance staff of the Central Railway and the total amount being spent on the Vigilance staff by that Railway ;

(b) the number of complaints received by the Vigilence Department during the last year about the irregularities committed by the Railway employees and the action taken by Government thereon ;

(c) whether Government have received any complaints against the Vigilance staff also and, if so, the number and nature of the complaints ;

(d) the action taken by Government in this regard and whether any other machinery has been set up to enquire into the complaints ; and

(e) if so, the terms of reference of the high power machinery and its opinion in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Checking of passenger tickets is normally done by the ticket checking staff. Vigilance staff do such checking only occassionally. Information regarding the number of ticketless-travellers apprehended by the Central Railway Vigilance staff is not separately available. However, the amounts realised as a result of checks by the Vigilance Branch on irregular/ticketless travel during 1968-69 and from 1.4.1969 to 31.12.1969 are Rs. 13,863 and Rs. 8,975 respectively.

Expenditure incurred on Vigilance staff on the Central Railway is approximately Rs. 4.50 lakhs per annum.

(b) During 1968-69, 11,366 complaints were received including 2,690 complaints carried over from the previous year. Out of these, 2,568 were dropped without enquiry and 4,368 were dropped after enquiry. Of the remaining, in, 1,712 cases, action was taken either departmentally or through a court of law and 2,717 were under enquiry at the end of the year.

(c) and (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House. However, it may be stated that no separate machinery has been set up to enquire into the complaints against Vigilance staff, except for instructions that such enquiries should be done by an officer of appropriate rank.

(e) Does not arise.

Posts of Telegraph Clerks/Train Clerks/Commercial Clerks in Central Railway

*1360. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of the posts of Telegraph Clerks, Train Clerks, Commercial Clerks and other categories in the Central Railway, category-wise, and the percentage of Ticket Collectors and Travelling Ticket Inspectors in comparison to the said percentage ;

(b) the reasons for the discrimination ;

(c) whether Government propose to remove this descrimination ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2681/70].

(b) to (d). As the duties and responsibilities, pay structures as well as channel of promotion of each of these categories are different, it is not possible to adopt a uniform percentage distribution of posts in various grades for all these categories of staff.

ओलवाकोट (दक्षिण रेलवे) क्रिओसोट कारखाने का विस्तार

1361. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में ओलवाकोट (दक्षिण रेलवे) में क्रिओसोट कारखाने का विस्तार करने का विचार किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केरल राज्य की उन्नति करने के लिए रेलवे बोर्ड इस पर विचार करेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) फिलहाल ओलवाकोट में क्रिओसोट लगाने वाले कारखाने का विस्तार करने का औचित्य नहीं है ।

भारतीय रेलों में कंटेनर सेवा

1362. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर सेवा का विस्तार सब रेलों में किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में और किन सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कंटेनर-सेवा उन मार्गों पर भी चालू की जायेगी जहां इसके लिए औचित्य है ।

(ख) मद्रास और बम्बई, मद्रास और बेंगलूर और बेगंलूर और बम्बई के बीच कन्टेनर सेवाएं पहले से चालू हैं। इनके अलावा मद्रास और कलकत्ता के बीच भी कन्टेनर सेवा चालू करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

मैसर्स नवकेतन इण्टरनेशनल फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड

1763. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स नवकेतन इण्टरनेशनल फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1969 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी को वर्ष 1969 तक सरकारी बैंकों से या अन्य फर्मों से ऋण के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और ऋण देने वाले बैंकों और फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया था ;

(घ) इस कम्पनी के निदेशकों और अंशधारियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(ङ) उक्त अवधि में कम्पनी द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा क्या है और वर्ष 1969-70 के इस बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स नवकेतन इन्टरनेशनल फिल्म्स प्राइवेट लि० 10 लाख रुपयों की अधिकृत पूंजी सहित, 10 अप्रैल 1963 को सम्मेलित हुई थी। इसकी अभिदत्त पूंजी इस तिथि तक केवल 200 रु० थी। 31-3-1969 को कम्पनी की अधिकृत में कोई परिवर्तनन नहीं हुआ, परन्तु इसकी प्रदत्त पूंजी 10,000 रु० थी।

(ख) चूंकि कम्पनी ने, अपना नवीनतम वार्षिक लेखा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया हैं ; अतः अनेक प्रसाधनों से प्राप्त ऋण, तथा 31 मार्च 1968 तक शेष, की बाबत सूचना नीचे दी जाती है :

ऋण की प्रकृति	राशि
प्रतिभूत राहत ऋण	
एक फर्म से, जिसका प्रबन्ध निदेशक भागीदार है	66,3 149.22
प्रबन्धक निदेशक के स्वामित्व को एक फर्म से	86,329.19
एक निदेशक से	23,581.00
योग	773,059.41

(ग) गत तीन वर्षों के मध्य, कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज की बाबत सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	राशि
31-3-1969	कुछ नहीं
31-3-1967	1,373.00 रु०
31-3-1968	4,357.00 रु०

(घ) कम्पनी के केवल दो निदेशक है, श्री देव आनन्द एवं श्रीमती मोना देव आनन्द। उनका पता है : 2, आयरिश पार्क, जूहू, बम्बई-54। 10,000 रु० के मूल्य के सभी 100 हिस्से, इन दोनों निदेशकों के पास हैं।

(ङ) कम्पनी ने 1966-67 में, 2, 750 रु० तथा 1967-68 में 27, 100 रु० की हानियां उठाई। 31-3-1969 के वर्ष समाप्ति की नवीनतम, सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स चित्रालय (प्राइवेट) लिमिटेड

1364. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स चित्रालय (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास की स्थापना के समय और 13 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी ने वर्ष 1969 तक सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से अलग-अलग कितना ऋण प्राप्त किया था तथा सम्बन्धित बैंकों तथा अन्य फर्मों के नाम क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने कितना ब्याज दिया है ;

(घ) उपर्युक्त कम्पनी के निदेशकों तथा उनके अंशधारियों में नाम एवं पते क्या है ; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि में इस कम्पनी के कार्य का ब्योरा क्या है और वर्ष 1969-70 के लिये क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स चित्रालय (प्रा०) लि० 21 नवम्बर, 1966 को समामेलित हुआ था। इस तिथि को इसकी अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 71 सहस्त्र रुपये थी। 31-3-1969 को नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, इसको प्रदत्त पूंजी एक लाख रुपये दिखाई गई है, इसको अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपये, अपरिवर्तित रही।

(ख) विभिन्न प्रसाधनों से प्राप्त ऋण, तथा 31-8-67 व 31-8-68 को वर्ष समाप्ति

को शेष, की बाबत सूचना, नीचे दी जा रही है। यह 3 -8-69 को वर्ष समाप्ति की बाबत अभी उपलब्ध नहीं है।

ऋण की प्रकृति	31-8-67 तक शेष	31-8-68 तक शेष
1. प्रतिभुति ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. प्रतिभूति रहित ऋण		
(1) बैंक	594.54	कुछ नहीं
(2) अन्य प्रकार से	4,3 ,630.50	10,44,488.62
योग	4,35,225.04	10,44,488.62
3. अन्य ऋण तथा अग्रिम		
(1) बैंकों से	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(2) प्रबन्ध निदेशक से	1,09,201.00	35,647.03
(3) अन्यों से	10,000.00	655,917.00
	1,19,201.00	691,564.03

(ग) कम्पनी ने 18-11-66 से 31-8-67 तक की अवधि से 31,209.84 रु० की राशि ब्याज तथा बैंक खर्चे के रूप में दी। 31-8-69 की अवधि समाप्ति की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) निदेशकों के नाम तथा पते इत्यादि तथा साथ ही उनको हिस्सेधारिता, संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2682/70]

(ङ) 31 अगस्त, 1967 को वर्ष समाप्ति के लिये कम्पनी का व्यापारावर्त 11,22,617 रु० का था, तथा उसने 1,22,323 रु० की हानि उठाई। 31 अगस्त, 1968 की वर्ष समाप्ति में, कम्पनी के व्यापारावर्त में 1,97,767 रु० की कटौती रही, तथा कम्पनी ने पुनः इस वर्ष में, 20,835 रु० हानि उठाई।

मैसर्स फिल्मिस्तान डिस्ट्रिब्यूटर्स इंडिया लिमिटेड और फिल्मिस्तान एग्सिबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड

1365. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फिल्मिस्तान डिस्ट्रिब्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड और फिल्मिस्तान एग्सिबिटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1969 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी को वर्ष 1969 तक सरकारी बैंकों से या अन्य फर्मों से ऋण के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि प्राप्त हुई और ऋण देने वाले बैंकों और फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने ब्याज के रूप में कितनी धन राशि अदा की ;

(घ) इन कम्पनियों के निदेशकों और अंशधारियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(ङ) उक्त अवधि में इन कम्पनियों द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1969-70 में इस बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री **फखरुद्दीन अली अहमद** : (क) से (ङ). संलग्न विवरण-पत्र में, मैसर्स फ़िलिमस्तान डिस्ट्रब्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदर्शित है एवं संलग्न विवरण-पत्र 2 में, मैसर्स फिलिमस्तान एग्सिबिटर्स प्रा० लि० की बाबत, उसी प्रकार की सूचना दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० –2683/70]

फिल्म कम्पनियों द्वारा दिया गया आयकर

1366. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री फिल्म कम्पनियों द्वारा दिये गये आयकर के बारे में 23 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री **फखरुद्दीन अली अहमद**) : (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित सात फिल्म कम्पनियों के निदेशकों, तथा साथ साथ हिस्सेधारियों के नाम दिखाता हुआ, एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2684/70]

1. बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज लि०
2. एसोसियेटेड फिल्म इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
3. मोतीमहल थियेटर्स प्रा० लि०
4. चित्र लोक प्रोडक्शंस लि०
5. फिल्मालय प्रा० लि०
6. फिल्मिस्तान प्रा० लि०
7. जोहर फिल्म्स प्रा० लि०

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Instructions for Collection of Fines from Ticket Travellers

1367. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that instructions have been issued to each Ticket Inspector or Ticket Collector to realise certain amount as fine to be deposited by him every month in the Railway coffers consequent on the introduction of the Indian Railways (Amendment) Act, 1969 regarding ticketless travelling ;

(b) if so, the amount realised as fine in each Zonal Railway, month-wise since the enforcement of the said Act ;

(c) whether it is also a fact that the Ticket Checking staff harasses the passengers in different ways due to the lesser number of ticketless travellers ;

(d) whether Government propose to bring about some improvements in this connection ; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). No such instructions, as referred to, have been issued by the Zonal Railways. The ticket checking staff are required to deal with passangers detected travelling without tickets or with improper tickets in accordance with extant rules for recovery of railway dues.

(c) No.

(d) and (e). Do not arise.

Charging of Fine from Passangers not in Possession of Season Tickets

1368. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers travelling by the local trains running in the cities like Bombay and Calcutta include mostly students and Railway employees ;

(b) whether it is also a fact that these local trains run between specific points due to which no outsider other than those specific points is expected to travel without ticket ;

(c) whether Government have received any complaint from places like Bombay to the effect that a season ticket holder is charged Rs. 10/- as fine whenever he forgets to bring his season ticket in hurry and informs the guard to this effect ;

(d) whether Government would look into the question again and bring about some improvement ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : No. Students and Railway Employees do not constitutute a major part of the suburban passangers.

(b) Yes, these trains run between specific points, but no body is expected to travel without ticket.

(c) Yes.

(d) The excess charges is correctly recovered from the passangers. The question of improvement, therefore, does not arise.

(e) In view of the answer to part (d) of the question, this does not arise.

Decline in Ticketless Travelling on Railways

1369. **Shri Nathu Ram Ahirwar : Shri N. R. Deoghare : Shri Hem Raj :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the extent to which the number of ticketless travellers declined during the last three months after the enforcement of the Indian Railways, (Amendment) Act ;

(b) the number of ticketless travellers apprehended during the said period :

(c) the amount received from the ticketless travellers in the form of fare and fine ; and

(d) the number of persons imprisoned in default of payment of fare and fine ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Information is available at present only upto December, 1969.

The number of persons detected travelling without tickets or with improper tickets on Zonal Railways during the period October to December 1969 was 3,86,954 as compared to 20,60,282 in the corresponding period of 1968, thus recording a decline of about 81%.

(c) The amount collected from ticketless travellers were as under :—

	Rs.
Fare	14,26,052
Excess charges	31,13,756
Fines imposed by Courts and recovered	2,27,191

(d) 26,937.

Express Train from Jhansi to Allahabad Via Varanasi

1370. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made to provide an Express train from Jhansi to Allahabad or Varanasi *via* Manikpur ;

(b) whether it is also a fact that the passangers travelling from Agra, Delhi to Allahabad and Varanasi *via* Jhansi have to wait at Manikpur for catching another train ;

(c) whether Government would consider to run an Express train direct from Jhansi to Varanasi keeping in view the difficulties of the people ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes, for about $1\frac{1}{2}$ hours.

(c) and (d). The demand has been considered in detail but introduction of the proposed Express train between Jhansi and Allahabad *via* Manikpur has not been found justified on consideration of the traffic offering on this route. For want of requisite line and terminal capacity, it is operationally also not feasible to introduce the train.

Introduction of Mail/Express and Passenger Trains

1371. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Mail, Express and Passenger trains introduced with effect from the 1st October, 1969 ; and

(b) the number of such trains in each Zone and the names of Stations between which these have been introduced ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) 63 Express/Passenger trains were introduced/extended in the time table which came into force from 1-10-1969.

(b) A statement giving the information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2685/70].

इस्पात के वायदे व्यापार पर रोक

1372. **श्री अदिचन :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के वायदे व्यापार पर रोक लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अत्यावश्यक वस्तु के सट्टे को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वायदा सौदा (विनियमन) अधिनियमन के उपबन्धों के अधीन इस्पात का वायदा व्यापार करने की स्वीकृति नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री द्वारा किए गए टेलीफोन

1373 **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई और अगस्त, 1969 में उन्होंने विभाग कार्यालयों के अतिरिक्त, संसद सदस्यों और विधायकों को अग्रता, तुरन्त, शीघ्र, साधारण तथा स्थानीय टेलीफोन कालों पर सरकारी धन व्यय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इन कालों पर प्रत्येक मास में कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ऐसे टेलीफोन काल बिलों का भुगतान करती है जो सरकारी कार्य के लिए किए जाते हैं भले ही जिस व्यक्ति से बात की गई है वह सरकारी या गैर-सरकारी हों। जहां तक स्थानीय कालों पर हुए व्यय का सम्बन्ध है जिस व्यक्तियों से बात की गई है उसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

इंजनों तथा रेल डिब्बों का निर्माण

1374. श्री अब्दुल गनी दार :
　　　श्री न० रा० देवघरे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने इंजन, रेल डिब्बे-पहले दर्जे के वातानुकूलित, तीसरे दर्जे के वातानुकूलित, तीसरे दर्जे के शयन यान तथा तीसरे दर्जे के अन्य डिब्बे-बनाये गये ;

(ख) क्या उपर्युक्त मदों के लिए किन्हीं देशों ने कोई क्रयादेश दिए हैं ; और

(ग) किन-किन देशों ने किन-किन मदों के लिए कितने कितने मूल्य के क्रयादेश दिये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) पिछले तीन वर्षों में बनाये गये इंजन और सवारी डिब्बे ।

(I) रेल इंजन	1966-67	1967-68	1968-69
भाप	180	155	121
बिजली	57	30	48
मुख्य लाइन डीजल	55	66	70
डीजल शंटर	—	19	21
जोड़	292	270	260
(II) रेलवे के सवारी डिब्बे :			
वातानुकूल पहला दर्जा	4	1	2
वातानूकूल तीसरा दर्जा	16	5	3
तीसरे दर्जे के शयन यान	14	336	281
तीसरा दर्जा	325	167	236

(ख) और (ग). बरमा रेलवे द्वारा जारी किये गये विश्वव्यापी टैंडर पर कलकत्ता के मैसर्स जैसप्स एण्ड कम्पनी लिमि० ने मीटर लाइन के तीसरे दर्जे के 33 सवारी डिब्बों का आर्डर प्राप्त किया जिनकी कीमत 87.44 लाख रुपये थी । इन्टीग्रल सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर, मद्रास द्वारा सप्लाई की गयी बोगियों से यह आर्डर 1968 में पूरा किया गया । पूरे रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के लिए कोई और आर्डर नहीं मिला है ।

वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों का आन्तरिक व्यापार पर प्रभाव

1375. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊंचे मूल्यों का हमारे आन्तरिक व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुओं के मूल्यों में कमी के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है : और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक वस्तुओं का अनावश्यक आयात हमारे आंतरिक व्यापार के लिये बहुत बाधक सिद्ध हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी नहीं फिर भी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के रुख पर निरन्तर ध्यान रख रही है। इसके मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गये हैं, जैसे :

(1) मांग को पूरा करने के लिये कृषि संबंधी एवं औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहना ;

(2) जन साधारण के उपभोग वाली वस्तुओं जैसे खाद्यान्न चीनी तथा दूध के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठन करना ;

(3) वनस्पति जैसी वस्तुओं के मामले में सांविधिक मूल्य नियंत्रण लागू करना अथवा टायरों और ट्यूब, दियासिलाई सूखी बैटरी तथा साबुन आदि पर अनौपचारिक नियंत्रण लगाना ;

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियमनकारी नियंत्रणों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का उचित तथा समान वितरण करना ;

(5) जैसे सुपर बाजारों, सहकारी उपभोक्ता भंडारों आदि जैसे सहकारी माध्यमों के जरिये आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराना तथा ;

(6) अधिक मांगों पर वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों के द्वारा रोक लगाना जैसे मूल्य वृद्धि में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बैंक द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि देने में कठोरता बरतना ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि बहुत सी वस्तुओं का आवश्यक आयात किया गया है ।

Production of Scooters, Motorcycles and Three-wheelers

1376. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total production of scooters, motor cycles and three-weelers in the country during the year 1968-69 and the estimated production thereof in 1970-71 : and

(b) the annual estimated demand of each of the said vehicles in the country ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The total production of scooters, motorcycles and three-wheelers in the country during the year 1968-69 and estimated production thereof in 1970-71 are as under :—

Name of the item	Production 1968-69	Estimated production 1970-71
Motor cycles	31,164	47,500
Scooters	39,609	65,500
Three-wheelers	4,727	4,800

(b) The annual demand for each of these vehicles has not been estimated separately. However, the Planning Group on Machinery Industries has estimated the demand for scooters, motor-cycles, and mopeds at 2,00,000 Nos. per annum and 3-wheelers at 10,000 Nos. per annum by 1973-74.

नई दिल्ली तथा नागपुर के मध्य राजधानी एक्सप्रेस का चलना

1378. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली तथा नागपुर के बीच अथवा नई दिल्ली से नागपुर होती हुई राजधानी एक्सप्रेस जैसी कोई रेलगाड़ी चलाना आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मार्ग पर ऐसी गाड़ी चलाना आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) इस मार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

छोटी कार परियोजना

1379. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अविचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हेम बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार परियोजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उन आवेदकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त योजना के लिये सरकार से लाइसेंस मांगा है ;

(ग) उन व्यक्तियों-समवायों के नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन पत्र इस परियोजना की स्थापना के लिये सरकार की अधिकाधिक शर्तों की पूर्ति करते हैं ; और

(घ) छोटी कार के कब तक बाजार में आ जाने की सम्भावना है तथा उसकी कीमत कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना काल में छोटी कार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए परिश्रम किया जा रहा है अथवा नहीं, इस आधारभूत प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

(ख) उन पार्टियों के नाम नीचे दिए गये हैं जिन्होंने छोटी कार बनाने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन दिये हैं :—

(1) मे० मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऐण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, बंगलौर

(2) मे० इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेबलपमेंट ब्यूरो, नई दिल्ली।

(3) मे० रेजी नेशनल केनाल्टा, फ्रांस।

(4) मे जवोदी क्रवेना जस्ताव, यूगोस्लाविया, मे० फिएट आफ इटली संयुक्त रूप से।

(5) मे० हिन्दुस्तान आटो प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली।

(6) मे० प्रीमिया आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई।

(7) मे० एसोसिएटेड कारपोरेशन आफ इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, बम्बई।

(8) मे० पुरी इण्डस्ट्रीज, यमुना नगर।

(9) मे० मनुभाई एच० ठाकर, बड़ौदा।

(10) मे० श्री एच० एम० जोनेजा, नई दिल्ली।

(11) मे० अरबिन्द आटोमोबाइल्स, त्रिवेंद्रम।

(12) मे० हीट्रूल्स, नई दिल्ली।

(13) श्री एस० डी० कुल्कर्णी, कोल्हापुर।

(14) श्री एस० सी० दास,गुप्त, कलकत्ता।

(15) श्री संजय गांधी, नई दिल्ली।

(16) मे० केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेबलपमेंट कारपोरेशन लि०, त्रिवेंद्रम।

(17) मे० एस० मदन मोहन दास, मद्रास।

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु

शामिल किया जा रहा है । जब तक इन आधारभूत प्रश्न पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक गैर सरकारी पार्टियों से प्राप्त आवेदनों की विस्तृत रूप से जांच नहीं की जा सकती ।

(घ) इस स्तर पर यह बता सकना संभव नहीं है कि छोटी कार कब तक और कितने मूल्य में बाजार में उपलब्ध हो सकेगी ।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए उच्च पदों की न्यूनतम प्रतिशतता

1380. **श्री राज देव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य श्रेणी के पदों की तुलना में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की प्रतिशतता अधिकतम होते हुए भी स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए उच्च पदों की प्रतिशतता न्यूनतम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें स्टेशन मास्टरों सहायक स्टेशन मास्टरों और कर्मचारियों की कुछ अन्य कोटियों के पदों का वितरण दिखाया गया है । इससे यह पता चलेगा कि विभिन्न पदक्रमों में पदों के वितरण का प्रतिशत एक कोटि से दूसरी कोटि का भिन्न है । चूंकि इन कोटियों में प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों की ड्यूटी और दायित्व, वेतन का ढांचा और पदोन्नति सरणि भी अलग-अलग हैं इसलिये पदों के वितरण के प्रतिशत के संबंध में विभिन्न कोटियों की तुलना उचित नहीं है । इसके अलावा, सहायक स्टेशन मास्टरों का प्रारम्भिक पदक्रम यानी 130-240 रुपये अन्य प्रारम्भिक पदक्रमों यानी 110-180 रु० या 100-200 रु० की अपेक्षा स्वयं अधिक ऊंचा है, साथ ही स्टेशन मास्टरों का 205-280 रु० का प्रारम्भिक पदक्रम, वास्तव में, 130- 240 रु० में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पदोन्नति पदक्रम है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 2686/70]

लगातार ड्यूटी न लगने (ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर) के विरुद्ध दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों का अभ्यावेदन

1381. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से दिल्ली डिवीजन के 300 सहायक स्टेशन मास्टर अधिकारियों को लगातार ड्यूटी न लगाये जाने सम्बन्धी आदेश (ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर) के विरुद्ध अभ्यावेदन देते रहे हैं ;

(ख) क्या सहायक स्टेशन मास्टरों का उक्त "ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर" रोजगार के घण्टे नियमों, 1961, जिनका रेलवे बोर्ड के दिनांक 23 दिसम्बर, 1961 के पत्र संख्या ई(एस) 1-57/ ए०डी०जे०/8 के द्वारा जारी किया गया था, के विरुद्ध है और इससे सहायक स्टेशन मास्टरों को 10 घण्टे का पूरा आराम नहीं मिलता है जैसा कि उक्त नीति में अपेक्षित है ;

(ग) क्या यह "ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर" उत्तर रेलवे के दिल्ली, बीकानेर तथा इलाहाबाद डिवीजनों में लागू है तथा इस रेलवे के अन्य सब डिवीजनों और अन्य सब रेलों में लागू नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस "ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर" को कर्मचारियों को राहत देने तथा रेलवे बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में समाप्त कर दिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (घ). उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों पर "ब्रोकन ड्यूटी रोस्टर" शुरू किया गया है । इस प्रश्न की कि क्या यह रोस्टर कार्य घण्टा विनियमों के अनुसार है, जांच की जा रही है ।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों (उत्तर रेलवे) की वरिष्ठता

1382. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) द्वारा दिनांक 14 जनवरी को एक स्थानांतरण पत्र संख्या 941/ई/29 आई जारी किया गया था, जिसमें स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता की अवहेलना की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि कनिष्ठ स्टेशन मास्टरों को बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन पर सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है तथा वरिष्ठ स्टेशन मास्टरों को दूर दराज के गैर-महत्वपूर्ण स्टेशन दिये गये हैं ;

(ग) क्या इस नीति से कार्यालय कर्मचारियों में कदाचार पैदा नहीं हो जायेगा तथा इससे वरिष्ठ कर्मचारियों को उपलब्ध शैक्षिक, चिकित्सा, तथा अन्य सुविधाओं पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और वे अपने कार्य में बिना किसी आकर्षण के दूर दराज के स्टेशन से ही सेवा निवृत्त हो जायेंगे ; और

(घ) क्या डिवीजन में दर्जा ब दर्जा पदोन्नति करने की पुरानी नीति को, जो कि सन्तोष जनक थी, उसमें कुछ संशोधन अथवा उसका सरलीकरण करके पुनः लागू किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) उल्लिखित स्थानांतरण पत्र मुख्यतः लीव रिजर्व और रैस्ट रिजर्व कोटियां दिल्ली मंडल के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की तैनाती को नियमित करने के लिए जारी किया गया था और स्थानान्तरण या तो कर्मचारी की अपनी प्रार्थना पर या कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण किये गये थे । अतः वरिष्ठता की उपेक्षा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) यातायात की दृष्टि से स्टेशनों के महत्व के अनुसार उनके वर्गीकरण, वहां शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता आदि के आधार पर कुछ रेलों में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण की जो परिपाटी है, उसे सामान्य आवधिक स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध के दौरान रोक दिया गया है ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए और व्यक्त धारणा के समर्थन में निर्दिष्ट उदाहरणों के अभाव में सवाल नहीं उठता। केवल यह अभिप्रेत है कि खर्च में किफायत करने की अपरिहार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कम से कम स्थानातरण किये जायें।

(घ) ऊपर भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता। फिर भी, पदोन्नति, स्थाई तैनाती के कारण, सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों का स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में रेल प्रशासनों ने संशोधित कार्यविधि निर्धारित कर दी है।

रेलवे कर्मचारियों के सर्वाधिक अस्थानांतरण के आदेशों का निलम्बन

1383. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोर्ड द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वर्ष 1970 में समय-समय पर किये जाने वाले तबादले न किये जायें और ऐसा करना मितव्ययता के लिये भी अपेक्षित है तथा रेलवे बोर्ड के उस आदेश के पालन में नई दिल्ली के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट ने दिनांक 31 अक्तूबर, 1968 को पत्र संख्या 847 ई० 69 (ई०आई०) परिचालित किया था ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा बाद में 14 जनवरी, 1970 को पत्र संख्या 941 ई० (29) ई० आई० के०, जिसमें कई तबादलों का आदेश दिया गया है तथा जिससे उक्त आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, जारी किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार के परस्पर विरोधी आदेशों को समाप्त किया जायेगा तथा इनके द्वारा की गई गलतियों को ठीक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ;

(ख) उल्लिखित स्थानान्तरण आदेश मुख्यत: "लीव रिजर्व और रैस्टगिवर" कोटियों में आने वाले दिल्ली मंडल के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की तैनाती को नियमित करने के लिए जारी किया गया था और स्थानान्तरण या तो कर्मचारी की अपनी प्रार्थना पर या कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण लागू किये गये थे।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि रेलवे बोर्ड के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

चीनी लदाने के लिए खराब माल डिब्बों का आवंटन

1384. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टरों के लिये यह जरूरी है कि वे चीनी के लदान के लिए ऐसे माल डिब्बे अलाट करें जिनका फर्श लोहे का हो, तथा जिन में पानी नहीं जा सकता हो ;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन मास्टरों को खराब माल डिब्बे अलाट करने के लिये बाध्य

क्यों किया जा रहा है जबकि मिल अधिकारियों ने उनको अस्वीकार कर दिया होता है; और

(ग) क्या मंसूरपुर और दौराला के स्टेशन मास्टरों को बार-बार बदला गया था तथा उनको डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट (मूवमेंट) नई दिल्ली द्वारा अपने कार्यालय में बुलाया गया था और तंग किया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चीनी और खराब होने वाले दूसरे माल के लदान के लिये यथा-सम्भव जलरोक बंद माल डिब्बे देने का प्रयास किया जाता है। जब कभी सप्लाई किये गए खाली डिब्बे चीनी के लदान के लिये उपयुक्त न होने के कारण व्यापारियों द्वारा अस्वीकार कर दिये जाते हैं, तो न तो उन्हें इन माल डिब्बों से लदान के लिए बाध्य किया जाता है और न ही सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों को उन माल डिब्बों को फिर से अलाट करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि नवम्बर, 1969 से जनवरी, 1970 की अवधि में दौराला और मंसूरपुर स्टेशनों पर सप्लाई किये गये 230 बंद डिब्बों में से 10? डिब्बे स्वीकार नहीं किये गये और उनमें लदान नहीं हुआ।

(ग) जी नहीं। मंसूरपुर के वर्तमान स्टेशन मास्टर पिछले दो वर्षों से वहां लगातार काम कर रहे हैं और दौराला में इनके पूर्ववर्ती स्टेशन मास्टर भी 14-12-1969 को अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व पिछले तीन वर्षों से वहां लगातार काम कर रहे थे। सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों को उनके स्टेशनों के बेहतर कार्य संचालन के संबंध में आवश्यक हिदायतें देने के लिए कभी कभी मण्डल कार्यालय में बुलाया जाता है। उन्हें व्यापारियों को अनुपयुक्त माल डिब्बों के उपयोग के लिये बाध्य न करने के कारण परेशान नहीं किया जाता।

Programme for Abolition of Beggary

1385. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state the programme adopted by Government to eradicate the evil of beggary existing in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : As the implementation of the Anti-Beggary programme is within the sphere of the responsibility of the State Governments, it is for the State Governments to allocate funds for the eradication of beggary. Besides, the programme of Social Defence, including beggary, has been transferred to the State sector in the Fourth Five Year Plan.

Electrification of Railways during Fourth Five-Year Plan

*1386. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** **Shri Atam Das :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Railways be pleased to state the programme being chalked out for the electrification of Railways in the country during the Fourth Five-Year Plan period ?

The Minister of Railway (Shri Nanda) : Electrification of approximately 2,000 route km. is proposed to be taken up during the Fourth Five Year Plan period. Of this, electri-

fication of Virar-Sabarmati section (route km. 442) has already been sanctioned. Electrification of the sections Kirandul—Waltair (route km. 471) and panchkura-Haldia (route km. 7I) has also been approved for commencement in 1970-71. Other sections are under consideration based on studies of economic viability.

मैसूर में वृद्धावस्था पेंशन

1387. **श्री स० अ० आगड़ी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 23 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5089 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत जिला-वार कितने पुरुषों तथा महिलाओं को इस समय पेंशन मिल रही है ; और

(ख) यदि कोई आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये हैं, तो उनकी संख्या कितनी है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) पुरुष तथा स्त्री पेंशन पाने वालों की संख्या क्रमशः 1756 तथा 2851 है। जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1353.

इस्पात के मूल्य

1388. **श्री लोबो प्रभु** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 फरवरी के 'इकानामिक्स टाइम्स' में दिये गये आकड़ों के संदर्भ में धातु के बने डिब्बों और ट्रकों की मशीनरी कीमतों में 8.81 प्रतिशत की वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे सामान्य मुद्रा सफीति को रोका जा सके ; और

(ख) सरकार द्वारा उपभोक्ता सामान के लिए इस्पात को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर उपलब्ध न करने के कारण क्या हैं तथा उसका अनुमानित मूल्य क्या होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस्पात के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप इस्पात पर आधारित उद्योगों की लागत में कुछ वृद्धि होना अनिवार्य है। जिस सीमा तक उपरोक्त लागत वृद्धि की, वर्तमान मूल्यों में, खपत होती उस सीमा तक ऐसे उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि होगी। परन्तु इस्पात के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि के कारण ऐसी मूल्य वृद्धि होने की न तो संभावना है और न ऐसी वृद्धि वास्तव में हुई है जिससे भारी मुद्रास्फीति जनित बोझ पड़े।

(ख) सामान्यतः इस्पात का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित किये गए मूल्य से अधिक है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता माल का उत्पादन

1389. **श्री लोबो प्रभु** : **श्री राम चंद्र वीरप्पा** :
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री स० ल० प्रसाद** :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में किस किस उपभोक्ता माल का भारी मात्रा में उत्पादन निश्चत किया जायेगा, जैसा कि मंत्रालय के सचिव ने 31 जनवरी, 1970 को कहा था ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में इस समय किस किस उपभोक्ता माल का भारी मात्रा में उत्पादन किया जायेगा, जैसा कि मंत्रालय के सचिव ने 31 जनवरी, 1970 को कहा था ;

(ग) सरकारी क्षेत्र में इस समय किस किस उपभोक्ता माल का उत्पादन किया जा रहा है तथा उनपर कितना लाभ हो रहा है ;

(घ) उडीसा तथा आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा सरकारी क्षेत्र के किन किन उद्यमों को बन्द किया गया अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचा गया है तथा उनमें कितनी हानि हुई है ;

(ङ) उन क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी उद्यमों की कमी नहीं है सरकारी क्षेत्र में सरकारी पूंजी लगाने का क्या औचित्य है ; और

(च) क्या कोई ऐसे सहकारी उद्यम हैं जिनमें ऐसे ही गैर-सरकारी उद्यमों से लाभ की दर अधिक है, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन

1390. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग्रांड ट्रंक" रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस गाड़ी के मद्रास पहुँचने के समय को 11-00 बजे म० पू० की बजाय 2.00 बजे म० पू० किये जाने का क्या औचित्य है जिससे उस काम का नुकसान होता है जो उसी दिन किया जा सकता था ;

(ग) कोयम्बटूर तथा मंगलौर को जाने वाली गाडी के जो कि 12-00 बजे दोपहर को छूटती है इस गाड़ी से मिलान को समाप्त किये जाने का क्या औचित्य है ;

(घ) क्या सरकार का विचार पुनः पुराने समय को लागू करने का है ; और

(ङ) दिसम्बर में 'ग्रांड ट्रंक' गाड़ी कितने दिन मद्रास समय पर पहुंची ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1969 में काजीपेट-विजय वाड़ा और ओंगौल-गुदुर खण्डों पर टूट-फूट के कारण जो क्षति हुई उसके संबंध में पुनर्स्थापन कार्य और इस मार्ग के कुछ खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी के अन्य कामों के लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 16 अप । 15 डाउन नयी दिल्ली मद्रास जी० टी० । ए० सी० एक्सप्रेस गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने की जरूरत पडी ।

(ख) और (ख). इस गाड़ी के लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था के फलस्वरूप यह गाडी 11-00 बजे की बजाय 14·00 बजे पहुंचती है और मद्रास सन्ट्रैल में 27 डाउन मद्रास मंगलौर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस से इसका मेल नहीं हो पाता ।

(घ) 1-4-70 से 16 अप जी० टी० । ए० सी० एक्सप्रेस के समय में फिर परिवर्तन

किया जा रहा है ताकि वह नई दिल्ली से अपने पुराने समय पर अर्थात् 17-00 बजे छूटे और मद्रास 11-15 बजे पहुंचे। मद्रास-मंगलौर वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस के साथ मिलान की व्यवस्था के लिए भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ङ) 12 दिन यह सही समय पर और 2 दिन केवल 15 मिनट से कम लेट पहुंची।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ियों में खाद्य के नमूने लेना

1391. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे निदेश हैं कि रेलवे में सरकारी तथा गैरसरकारी भोजन व्यवस्था द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कभी कभी नमूने लिए जाया करें।

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1969 में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में कितने अधिकारियों ने भोजन के नमूने लिये ;

(ग) ग्रांड ट्रंक गाड़ी में प्रत्येक यात्रा (ट्रिप) में सप्लाई किये जाने वाले विभिन्न भोजनों के लिये भोजनों की सूची (मीनू) में कोई परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) ग्रांड ट्रंक गाड़ी में दोसे तथा बिरियानी क्यों नहीं सप्लाई किये जाते ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) भोजन के लिए मानक व्यंजन सूचि निर्धारित की गई है और उसका अनुसरण किया जाता है। लेकिन विभिन्नता लाने के लिए दिन प्रति दिन सुबह और शाम शाक भाजियों में परिवर्तन किया जाता है।

(घ) दोसा बनाने के लिए भोजन यान में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के भोजन यान में पहले बिरियानी भी दी जाती थी, लेकिन इसके ग्राहक बहुत कम थे इसलिए इस का देना बन्द कर दिया गया।

(ङ) आकस्मिक रूप से भोजन का नमूना लेने का प्रचलन नहीं है, लेकिन रेलवे के वाणिज्य और चिकित्सा विभागों के अधिकारी भोजन की किस्म जांचने के लिए समय-समय पर भोजनयानों की जांच करते हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी

1392. **श्री देवेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के बारे में 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में राज्यवार निदेशकों, उप-निदेशकों तथा सहायक निदेशकों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन अधिकारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या निर्धारित है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन में अधिकांश लोगों के पास न्यूनतम योग्यताएं हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुभाग में कुछ वरिष्ठ सेवा परीक्षक नियुक्त हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कृपया परिशिष्ट को देखें ।

(ख) तथा (ग). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि परिशिष्ट 'ख' में आयोग में भर्ती किये जाने वाले कुछ पदों के लिये न्यूनतम योग्यताओं का ब्यौरा दिया गया है। आयोग द्वारा भर्ती के नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक सीधे भर्ती किये जाने वाले अभ्यार्थियों को पदों के लिये निर्धारित आवश्यक योग्यता तथा अनुभव प्राप्त होना चाहिये। भूतपूर्व अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उन कर्मचारियों को जिनका खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० एण्ड वी०आई०सी०) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आयोग में स्थानान्तरण कर दिया गया था इस प्रकार की न्यूनतम योग्यताओं से छूट मिलती है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों के मामलों में न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यताओं पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि प्रमाणीकरण अनुभाग का केवल एक लेखा परिक्षक (1) ही दसवीं से कम पढ़ा है। उसे खादी जगत का विस्तृत ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होने के कारण, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1958 के उपबन्ध 3(7) के अधीन शैक्षाणीक योग्यता में छूट प्रदान की गई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 2687/70]

3 मार्च, 1970 को उत्तर दिये जाने के लिये

1393. **श्री देवेन सेन** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों को जमा करने के कारण खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, पश्चिम बंगाल को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या इस मामले में एक जांच कराने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के सेवा काल का बढ़ाया जाना

1394. **श्री देवेन सेन** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 58 वर्ष की आयु के बाद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं

कर्मचारियों के सेवा काल को बढ़ाया जाता है जिन्होंने चरखा संघ तथा गांधी आश्रम में सेवा की है ;

(ख) क्या यह सच है कि चरखा संघ अथवा गांधी आश्रम से प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र सेवा काल में वृद्धि करने का एक मात्र मानदण्ड बन गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नेपाल तथा अन्य देशों को नमक का निर्यात

1395. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम ने नेपाल को भारतीय नमक की बिक्री के लिये उस देश के राजकीय व्यापार निगम के साथ हाल में एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) नमक की बिक्री के लिए अन्य किन-किन देशों के साथ करार किये गये हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार नमक के निर्यात से कितनी आय हुई है और चालू वर्ष में कितनी आय होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारतीय राज्य व्यापार निगम ने नेपाल की लवण व्यापार निगम के साथ 6 जनवरी, 1970 को एक करार किया है जिस के अन्तर्गत नेपाल को 3 वर्ष के लिए 57,000 मी० टन प्रतिवर्ष नमक जिसका मूल्य लगभग 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा संभरित किया जायेगा ।

(ग) जापान, मलयेशिया, यूगांडा, तन्जानियां, दक्षिण कोरिया, तायवान, फिलिपीन तथा सिंगापुर ।

(घ) विगत तीन वर्षों में तथा 1970 की प्रत्याशित आय निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	(रुपये लाखों में)
1.	1967	90
2.	1968	128
3.	1969	137
4.	1970	214

नैनी (इलाहाबाद) में गैस सिलिंडर कारखाने की स्थापना

1396. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैनी (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश, में सरकारी क्षेत्र में एक गैस-सिलिंडर कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की जायेगी ; और

(ग) उस कारखाने की स्थापना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय जनवरी, 1970 में लिया गया था। आशा है कि करीब 24 महीनों के अन्दर 2 संयंत्र उत्पादन प्रारम्भ कर देगा।

(ग) प्रायोजना का अनुमानित पूंजी गत मूल्य 378.07 लाख रुपये हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत बोकारो इस्पात कारखाना

1397. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इस्टील लिमिटेड बोकारो इस्पात कारखाने को अपने नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में किसी परिवर्तन का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के लिये केंद्रीय सहायता

1398. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री को एक पत्र में लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय सहायता का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की पेशकश का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसी पेशकश अन्य राज्य सरकारों को भी दी गई है और यदि नहीं। तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्व बैंक के दल का पश्चिम रेलवे का दौरा

1399. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक दल ने पश्चिम रेलवे का हाल में दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का उद्देश्य क्या था ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख) जी नहीं। इस वर्ष भारतीय रेलों का दौरा करने का विश्व बैंक दल पश्चिम रेलवे पर नहीं गया था। फिर भी, फरवरी 1969 में, भारतीय रेलों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये आने वाले विश्व बैंक के एक अध्ययन दल ने भारत में अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में कुछ अन्य रेलों के साथ-साथ पश्चिम रेलवे का भी दौरा किया था तथा तत्पश्चात बात-चीत के बाद अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारतीय रेलों को 5.5 करोड़ डालर का ऋण दिया। यह उस सामान्य प्रक्रिया के अनुसार है जो विभिन्न देशों और परियोजनाओं को सहायता देने के लिये विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा अपनाई जाती है।

बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब

1400. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने को चालू करने में यदि एक महीने का बिलम्ब हो जाये, तो इससे सरकार को 2 करोड़ रुपये की हानि होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय 50 प्रतिशत निर्माण सामग्री तक प्राप्त नहीं की जा सकी है और इस सम्बन्ध में विलम्ब से निर्माण की लागत बढ़ने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इस्पात के मूल्य में हाल में हुई बृद्धि का इस कारखाने के निर्माण के प्राक्कलन पर प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, नहीं। प्रशासनिक एवं अन्य अतिरिक्त खर्चों की गणना के आधार पर कारखाने को चालू करने में होने वाले बिलम्ब के कारण 25 लाख रुपये प्रतिमाह की वास्तविक हानि का अनुमान है।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये आवश्यक विभिन्न उपकरणों, संरचनात्मकों उष्मसह आदि की सप्लाई का प्रतिशत प्रत्येक के लिये भिन्न-भिन्न है अतः एक औसत प्रतिशत का कुछ विशेष महत्व नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि कुछ उपकरणों और साज-समान की प्राप्ति के विषय में विलम्ब के कारण निर्माण की समय सूची को आगे बढ़ाना पड़ा है। इसके कारण निर्माण लागत में जितनी वृद्धि होगी वह भाग (क) के उत्तर में बताई गई है।

(ग), (घ) और (ङ). जीं, हां। पूर्व निर्धारित प्राक्कलन में अधिक वृद्धि नहीं होगी, बोकारो स्टील लि० ने ठीक ठीक ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया है किन्तु अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अन्तर्दलीय मुठभेड़ों में लगे व्यक्तियों को हथियारों की सप्लाई

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"कलकत्ता में विभिन्न दलों में मुठभेड़ बलात् अवरोध और रक्त पात पूर्ण दंगे करने वाले व्यक्तियों को चीन और पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर हथियारों का कथित संभरण जैसा कि कलकत्ता पुलिस ने बताया है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया,"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार, राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ता में विभिन्न दलो में मुठभेड़, बलात् अवरोध और अन्य प्रकार के दंगे करने वाले व्यक्तियों को चीन और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार को जानकारी है कि आसाम में उग्रवादियों को छिपे नागाओं से थोड़े से चीनी हथियार तथा गोला बारुद प्राप्त है और आसाम तथा पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के बीच ये कड़ियां विद्यमान हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : सरकार ने यह स्वीकार किया है कि आसाम और पश्चिम बंगाल के उग्रवादियों के बीच सम्पर्क विद्यमान है यह भी स्वीकार किया गया है कि कलकत्ता में अन्तर्दलीप संघर्षों में स्वचालित अस्त्रों तथा बमों का खुले आम प्रयोग किया गया। वस्तुतः ये हथियार चीन तथा पाकिस्तान की सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं कलकत्ता को आज "अराजकतापूर्ण शहर" कहा जाता है। स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कहा है :

"सबसे पहले उन्होंने धान लूटे, फिर मछली, अब कुछ नहीं बचा है इसलिए अब उन्होंने औरतों को लूटना शुरू कर दिया है।"

वहां इन माओ साम्यवादियों को चीन तथा पाकिस्तान से हथियार व गोला-बारूद मिल रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में हाल में जो घटनाएं हुई, "स्टेट्समैन" में उनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है :

"Bombs were certainly used, in profusion. Two. M. S. examinations were disrupted ; the student, union was sacked ; lights and furniture were smashed, some being set on fire, an uncompleted slogan crediting all this to the glory of Chairman Mao,"

इन माओवादी लोगों ने कलकत्ता में लूट-खसोट व उधम मचा रखा है। क्या केन्द्रीय सरकार चुप-चाप तमाशा देख रही है ? इसलिए मैं इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न पूछता हूँ। पहला यह कि, क्या राज्य गुप्तचर विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरों के बीच कोई समन्वय है ? दूसरा क्या सरकार देश को बतायेगी कि वह इस सम्बन्ध में क्या रवैया अपनाये हुए है ? पश्चिम बंगाल के नक्सवादियों तथा माओवादियों और नागाओं तथा मिजोओं के बीच विद्यमान कड़ियों को नष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सदस्य महोदय ने पश्चिम बंगाल में व्याप्त स्थिति की जो तस्वीर पेश की है और जो उद्धरण दिये हैं, वह, मैं समझता हूं, ठीक हैं । जहां तक अन्तर्दलीय मुठभेड़ों का सम्बन्ध है, यह सच है कि हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन मैं नहीं समझता कि उनमें से अधिकतर हथियार आयातित हैं। लेकिन यह एक गंभीर मामला है और यहां तक कि बंगाल के उन मुख्य मन्त्री ने कहा है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इस बारे में कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी...(अन्तर्बाधाएं), जहां तक राज्य तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभागों के बीच समन्वय का संबंध है जितना संभव हो सकता है, उतना है। लेकिन पूरा समन्वय है यह मैं नहीं कह सकता (अन्तर्बाधाएं) ।

आसाम उग्रवादियों तथा बंगाल उग्रवादियों के बीच जहां तक कड़ी-तोड़ने की बात है, कड़ी तहस-नहस करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वे सभी भारतीय नागरिक हैं (अन्तर्बाधाएं)। सरकार इन गतिविधियों तथा अन्य देशों से हथियार लाये जाने के प्रति बहुत जागरुक है ।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : क्या चीन से इस प्रकार हथियार आने 1956 से शुरू नहीं हुए हैं ? क्या आसाम, पश्चिम बंगाल तथा अन्ततोगत्वा समूचे भारत में इस प्रकार हथियारों के फैलाव के लिये नक्सलवादियों को साम्यवादी चीन द्वारा सबसे अधिक प्रिय तथा उपयुक्त एजेन्ट माने गए हैं ? क्या सरकार को पता है कि हाल में नक्सलवादी तथा माओ साम्यवादी दल के लोगों ने नेशनल प्रोफेसर श्री सुनीति कुमार चटर्जी के घर पर कब्जा किया था और उन्हें धमकी दी थी ? क्या यह सच नहीं है वे लोग बंगाल में स्त्रियों का शील भंग कर रहे हैं वहां खुले आम ऐसी घटनाएं हो रही हैं और श्री अजय मुकर्जी ने भी यह बात कही है।

चीन से भारी मात्रा में हथियार आ रहे हैं। मैं यदि मन्त्री महोदय चाहें, तो उन्हें सूची दे सकती हूं। मैं इसे सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस संबंध में सदस्य महोदय जो जानकारी देना चाहती हैं मैं उस बारे में जांच करने के लिये तैयार हूँ। जहाँ तक चीन तथा पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई का संबंध है, यह सिलसिला तब से जारी हुआ जब विरोधी नागाओं और मिजोओं ने पाकिस्तान और चीन जाना शुरू किया और 10-12 वर्ष से यह सिलसिला चल रहा है। यह एक अलग समस्या है जिससे हम पिछले 10 सालों से प्रभावशाली ढंग से निपट रहे हैं। लेकिन इस समय विशेष प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में चीन तथा पाकिस्तान से हथियार लाये जा रहे हैं। मैं अपना उत्तर उस विशेष जानकारी के आधार पर ही दे सकता हूं जो सरकार को

तथा मुझे प्राप्त है। उसका मैंने संकेत दे दिया है। यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ रही है जिससे केवल हमें ही नहीं अपितु वहां के मुख्य मन्त्री को भी बहुत चिन्ता है। मैंने इस बात को कई बार इस सभा में और इसके बाहर जनता में भी कहा है कि वहां की बिगड़ती स्थिति निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह सब को मालूम है। पाकिस्तान तथा चीन द्वारा नागाओं तथा मिजाओं को हथियारों की सप्लाई कोई नई बात नहीं है। चिन्ता का विषय तो यह है कि ये हथियार चीन तथा पाकिस्तान से या तो सीधे या फिर नागाओं तथा मिजोओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल में राजनैतिक तत्वों के पास पहुंच रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हो रही सैंकड़ों घटनाओं में नक्सलवादियों द्वारा पिस्तोलों, हथ गोलों, ब्रेन-गनों, स्टेन-गनों, रिवाल्वरों तथा बमों का प्रयोग किया जा रहा है? क्या सी० पी० एम० तत्वों द्वारा भी उनका खुले आम तथा बहुलता से प्रयोग नहीं किया जा रहा हैं। मुझे शंका है कि जिन्हें वहां आज विश्वसात्मक गतिविधियां बताया जाता है, वे किसी अन्य चीज का पूर्वाभ्यास है। क्या केन्द्रीय सरकार खुद अपनी एजेन्सी के माध्यम से इस बात का पता लगायेगी कि हथियारों की सप्लाई की कड़ी तथा स्त्रोत कहां है? क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी कि सैंकड़ों तथा हजारों बम जिन का प्रति दिन प्रयोग किया जा रहा है। बनाने के लिये इन विस्फोटक पदार्थों का आ ात कहां से किया जा रहा है? अन्त में क्या भारतीय सेना ने गंभीर शिकायत की है कि यदि पश्चिम बंगाल में इस किस्म की सशस्भ गतिविवियां अवाध रूप से चलने दी गई, तो चीन तथा पाकिस्तान से खतरे का सामना करने के लिये प्रतिरक्षा उपाय बेकार हो जायेंगे?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक हथियारों के प्रयोग का सम्बन्ध है उसके दो पहलू हैं पहला स्थानीय निर्मित हथियारों का प्रयोग, मैं समझता हूँ उनका वक्तव्य ठीक है कि अन्तर्दलीय मुठभेड़ों में उनका अबाध रूप से प्रयोग किया जाता है। जहां तक विस्फोटक पदार्थों तथा अन्य हथियारों का सम्बन्ध है, कभी-कभी उन्हें वहीं निर्मित किया जाता है चीनी और पाकिस्तानी हथियारों का अबाध प्रयोग की जहां तक बात है, मेरी जानकारी के अनुसार उग्रवादी दलों के पास जरूर कुछ छोटे हथियार हैं।

जहां तक सेना द्वारा सरकार को वहां की स्थिति के बारे में चेतावनी का प्रश्न है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ जानकारी खुद हमारे पास है और हमें राज्य सरकार तथा हमारी एजेन्सियों से भी सूचना प्राप्त होती रहती है। हमें संभाव्यता का पूरा पता है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : गृह-कार्य मन्त्री ने कहा है कि 'थोड़ी मात्रा' में हथियारों का आयात हो रहा है, किन्तु 27 फरवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस बारे में पूरा ब्यौरा प्रकाशित हुआ है कि कब तथा किन अवसरों पर कितने हथियारों का भारत में आयात किया जा रहा है। ये हथियार पहले मिजाओं तथा नागाओं के पास आ रहे हैं और फिर पश्चिम बंगाल में अन्य तत्वों के हाथ में पहुंच रहे हैं। नागा तथा मिजो क्षेत्रों के लिये इन हथियारों की सप्लाई की एक शर्त यह भी है कि उनका एक भाग पश्चिम बंगाल में कुछ तत्वों को दिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में आज किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। स्वयं वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि वहां सबसे ज्यादा असभ्य तथा बर्बर सरकार है। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ नहीं हो रहा है ? हत्याओं, बलात्कार लूट-पीट, आगजनी विध्वसात्मक, हथियारों की तस्करी आदि सभी घटनाएं वहां हो रही हैं, फिर भी गृह कार्य मन्त्री ने रायपुर में यह वक्तव्य कैसे दिया और उसका क्या औचित्य है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सच है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि विरोधी नागाओं तथा मिजाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के हाथ में हथियार पहुंच रहे हैं। जब कभी इस संबन्ध में प्रश्न पूछा गया हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित आकड़ों से बड़ आकड़े दिये हैं। जहां तक 'थोड़ी मात्रा में' का सम्बन्ध है मेरा अभिप्राय 'छोटे हथियारों' से था। जहां तक राज्य में हथियारों के प्रयोग का सम्बन्ध है, यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि वहां के मुख्य मन्त्री भी कई बार कह चुके हैं।

जहाँ तक भारत सरकाद द्वारा कार्यवाही किये जाने का सम्बन्ध है। यह राजनैतिक मामला है जिस पर किसी कार्यवाही के लिये अन्ततोगत्वा इस सभा का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। इस समय वहां, निर्वाचित सरकार तथा विधान सभा काम कर रही हैं, इस मामले में हमें वहां के मुख्य मन्त्री खुद को कार्यवाही करें उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्हें स्थिति का पता है।

जहां तक रायपुर में दिये गए मेरे वक्तव्य का सम्बन्ध है. मुझ से वहां पूछा गया था कि क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल कानून तथा व्यवस्था में गड़बड़ी को देखते हुए हस्तक्षेप करेगी? मैंने केवल हस्तक्षेप से संबन्धित भाग का उत्तर दिया सारी चीज इस तरह प्रकाशित हुई जैसे कि वहाँ कोई गड़बड़ी ही नहीं है। मैंने यह कहा था कि वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

रोडेशिया में घटनाओं के बारे में

RE : DEVELOPMENTS IN RHODESIA

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, रोडेशिया की एक गणतन्त्र के रूप में तथा कथित घोषणा के विरुद्ध इस सभा तथा भारत सरकार की भावनाओं से विश्व को अवगत कराया जाना चाहिए। इस घोषणा से अफ्रीकी लोगों के अधिकारों को हमेशा के लिए हानि पहुंचने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में प्रस्ताव देखा है और वैदेशिक कार्य मन्त्री यहाँ नहीं हैं। मैं समझता हूँ प्रधान मन्त्री इस बारे में वक्तव्य देंगी। अतः हम इस मामले को फिर लेंगे।

हरियाणा विधान सभा के स्थगन के बारे में

RE : ADJOURNMENT OF HARYANA ASSEMPLY

अध्यक्ष महोदय : जहां तक हरियाणा के बारे में स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं अपने निर्णय को, जो मैंने कल लिया था, बदल नहीं सकता। चूंकि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ और

विचार-विमर्श करना है अतः माननीय सदस्य श्री नाथपाई तथा श्री अटल बिहारी बाजपेयी मुझे आज कभी शाम को मेरे कक्ष में आकर मुझ से इस बारे में मिलें, तो अच्छा होगा। मैं इस विषय पर चर्चा के लिए कल शाम के समय कुछ समय नियत करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे चर्चा के दौरान हरियाणा विधान सभा की कोई निर्णय लेने की क्षमता का उल्लेख न करें क्योंकि वह उनका कार्य क्षेत्र है और वे स्वतन्त्र हैं। इसके साथ-साथ मैं सदस्यों को अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती देने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने उनके विनिर्णय पर फिर से विचार किया है। परिस्थितियाँ उससे भिन्न नहीं हो सकती थी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 –क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। एल० टी० संख्या 2674/70]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पच्चासीवां और नवासीवां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I present the following Reports of the Public Accounts Committee :

(1) Eighty-fifth report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fortieth Report on Appropriation Accouuts (P. and T.) 1966-67 and Audit Report (P. and T.) 1968.

(2) Eighty-ninth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-fourth Report on Appropriation Accounts (Civil), 1966-67 and Audit Report (Civil), 1968 relating to the Department of Mines and Metals.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, more than one hundred Members have made request to you in writing that Public Accounts Committee's Reports and Estimates Committee's Reports should not be printed in English alone as they cannot make use of them,

being non-English knowing Members and as such arrangement should be made to get their reports published in both the versions, English and Hindi so that such Members could also be allowed to be benifited by these reports. If the Government Press has not the adequate capacity to meet this requirement, the job can be given to private Presses.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I myself want to present these Reports in Hindi. But the Minister-in-Charge of the Press, has expressed his inability to meet our demand to publish them in Hindi due to inadequate Hindi printing capacity of the Government Press. So, I request you, Sir, to make some arrangement to get these Reports published in Hindi also.

Mr. Speaker : I will examine the matter. I cannot give a reply off hand.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस देश के करोड़ों लोगों में जो देश में शीघ्र ही समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं परिपक्व आशा का संचार होता है। उनका अभिभाषण देश के उन करोड़ों व्यक्तियों के लिये जो दयनीय स्थिति में हैं और जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में पिस रहे हैं नई आशा का संचार करती है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उस समय जब बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, निसंकोच कार्यवाही से अपनी गतिशीलता का परिचय दिया है। उस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय हम सब को मान्य है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है इस सम्बन्ध में मैं अमरीका के एक महान राष्ट्रपति वूडरो विलसन के कुछ शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्हों ने कहा था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है यह राष्ट्रीय जीवन की गाड़ी है। हम बिना किसी हिचकिचाहट के तथा उच्चतम न्यायालय की अलोचना किये बिना कह सकते हैं कि उच्तम न्यायालय ने संविधान को इस प्रकार अंगीकार किया है तथा उसका विस्तार किया है कि इससे 1787 के संविधान निर्माताओं को आश्चर्य होगा। ये शब्द राष्ट्रपति विलसन के हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकर की मांग एक राष्ट्रीय मांग थी। अतः हमारी सरकार जनता की इच्छा को पूर्ण करेगी। हमने राष्ट्रपति ने जन भावना की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता तथा सामाजिक अन्याय को दूर करने में हमारे रास्ते में जो बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, हमें उन को दूर करना होगा।

अतः हमें इस सभा में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर क्यों बातचीत करनी चाहिये जबकि समस्त देश में ही असंतोष की आग जल रही है। किसी राज्य सरकार पर अरोप लगाना की वह विधि तथा व्यवस्था की स्थिति कायम करने में विफल रही है, हमारी गलती होगी। पश्चिम बंगाल का प्रश्न एक भिन्न प्रश्न है, क्योंकि वह राज्य एक आतंकित राज्य है। उस राज्य की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि स्वंय मुख्य मंत्री अपनी सरकार की आलोचना कर रहा है और फिर भी पद पर बना हुआ है। हमें इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये, अपितु पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वंय निर्णय करने और कार्यवाही करने का मौका देना चाहिये। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक पश्चिम बंगाल

के लोग एक हो कर यह न कहें कि हम इस प्रकार की हिंसा तथा असुरक्षा को सहन नहीं करेंगे।

कोई भी राष्ट्र तथा लोकतंत्रात्मक समाजवाद हिंसा के वातावरण में पनप नहीं सकता है। हमें लोगों को उन की दैनिक आवाश्यकता की चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध करनी चाहियें। क्या हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं इतनी सस्ती कीमतों पर मिले जिन्हें वे आसानी से खरीद सकें। हमारे समक्ष यही समस्या है और हमें राजनीतिक कारणों से इस समस्या को नहीं भूलना चाहिये। राष्ट्र का हित हमारे लिये सर्वोपरि होना चहिये। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश का उस समय सही नेतृत्व किया है, जबकि कठिनतम परिस्थियों से गुजर रहा था।

श्री अमिय नाथ बोस (आरामबाग): मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना था और मुझे इससे बड़ी आशायें थी। परन्तु मुझे उन का अभिभाषण सुन कर निराशा ही हुई है।

मुझे ब्रिटेन के सबसे कम आयु वाले प्रधान मंत्री मिस्टर विलम पिट के उस प्रसिद्ध भाषण की याद आती है, जो वैस्टमिनस्टर की दीवारों तक सीमित नहीं था, अपितु राष्ट्र के हर कोने में पहुंचा था। मैं आशा करता था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी वैसा ही होगा।

(इस के पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थागित हुई।)

(The Lok Sahba then adjourned for lunch till fourteen of the clock.)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर पांच मिनिट पर पुन: समवेत हुई।)

(The Lok Sahba re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अमिय नाथ बोस अपना भाषण जारी रखें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): On a point of order, Sir. There is not a single minister present in the House. Minister are not showing proper respected to the House. You should pull them up.

श्री शिव नारायण (बस्ती): राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। सरकार को न केवल हमारा तथा इस सभा का अपितु राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह: यह हमारा अपमान है कि कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें सन्देश भिजवा रहा हूँ। यह बड़े खेद की बात है कि मंत्रिमंडलीय स्तर का अथवा राज्य स्तर का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है। मैं सभा की भावना उनके पास भिजवा रहा हूँ।

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया): जो कुछ हुआ है, मैं उस के लिये खेद प्रकट करता हूँ।

श्री अमिय नाथ बोस : मुझे जो थोड़ा सा समय दिया गया है, उस में मैं सरकार की तीन विफलताओं का उल्लेख करूंगा। सरकार की पहली विफलता तो यह है कि वह देश को समाजवाद के मार्ग पर ले जाने में सर्वथा असफल रही है। उस की दूर विफलता संविधान में इस प्रकार के मौलिक परिवर्तन न किया जा सकता है जिस से संविधान जनता की वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित कर सके। तीसरी बात यह है कि संसद् तथा भारत की जनता की सर्वसम्मत मांग होते हुए भी सरकार वर्ष 1945 में नेता जी के गायिब होने की परिस्थियों की जाँच करने के लिये न्यायिक आयोग नियुक्त करने की घोषना करने में असफल रही है।

बैंकिंग कम्पनियां (अधिग्रहण तथा उपक्रमों) का हस्तांतरण विधेयक पेश करते हुए कहा गया है कि इस का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण तंत्रों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। परन्तु केवल चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिये ऋण संस्थानों, परिवहन पद्धति, वैदेशिक व्यापार तथा बुनियादी उद्योगों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। मैं मानता हूँ कि पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में बदलने में समय लगता है। हो सकता है इस में 40 अथवा 50 वर्ष लगें। रूस में भी समाजवादी समाज की स्थापना में समय लगा है। परन्तु यदि सरकार समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है तो उसे साहस से काम लेना चाहिये और अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण तंत्रों को अपने हाथ में लेना चाहिये।

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, आज लोगों की संसद् में उस से भी अधिक आस्था है, जितनी की संविधान सभा में थी, जिस ने संविधान बनाया था। अब यदि संविधान सभा बनाई जाती है तो उस का भी स्वरूप संसद् से अधिक भिन्न नहीं होगा। संसद् को अपने अधिकाशों पर जोर देना चाहिये तथा मूलभूत अधिकारों सहित संविधान में मौलिक परिवर्तन करने चाहियें। समाजवादी विधान से पहले संविधान में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक हैं। आज देश में विचारधाराओं में घोर युद्ध चल रहा है। आज प्रातः पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वहां हथियारों तथा बमों का खुले आम इस्तेमाल हो रहा है। परन्तु यह स्थिति केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वह समस्त भारत में हो रहा है। यह विचारधाराओं की लड़ाई है। यदि समय रहते इस क्रांति को सहमति से न लाया गया, तो हिंसात्मक क्रांति आनी आवश्यक है। इस बारे में दूर दृष्टि से काम लिया जाना चाहिये।

तीसरी विफलता के बारे में मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि संसद् सदस्यों द्वारा बार बार मांग किये जाने तथा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की गृह-कार्य मंत्री के साथ 5 दिसम्बर को हुई बैठक के बावजूद भी सरकार नेता जी के बारे में न्यायिक जांच कराने के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकी है। श्री शाहनवाज खां तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा जो जांच की गई थी, वह तो केवल उपहास मात्र थी और बेहतर होगा, यदि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय। यह बड़े दुख की बात हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की किस्मत तथा उसके जीवन, जिस ने अपना सारा जीवन राष्ट्र के समर्पित कर दिया था, की जांच ऐसे व्यक्तियों को सौंपी जाय,

जो इस के बिल्कुल योग्य नहीं थे । मैं आप से कहना चाहता हूँ किसी भी स्वतंत्र देश में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जैसे सर्वमान्य व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी जांच इस प्रकार की समिति को नहीं सौंपी जाती । मैंने प्रधान मंत्री नेहरू से भी यह बात कही थी और मैं समझता हूँ कि यह बात उन की मृत्यु से एक मास पहले की है तथा उन्होंने कहा था कि नेता जी गायब हो जाने के प्रश्न को अन्तिम रूप से हल करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये । वह न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करने के लिये भी सहमत हो गये थे । मैं प्रधान मंत्री नेहरू की पुत्री से मांग करता हूँ कि वह उनके आश्वासन को पूरा करें ।

मैं आप को बताना चाहता हूँ कि इस जांच में क्या कठिनाइयां हैं । इस जांच के लिये न्यायिक कार्य के अनुभव वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में मैं आप के समक्ष दो अथवा तीन उदाहरण रखना चाहता हूँ । जुलाई, 1945 में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने जापान सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें टोक्यो स्थित रूसी राजदूत से बातचीत करने की अनुमति दी जाये, ताकि वह आजाद हिन्द फौज की अस्थायी सरकार को रूसी क्षेत्र में ले जा सकें । जापान सरकार ने ऐसी अनुमति देने से इंकार कर दिया था । परन्तु हीरासिमा में पहला अणुबम गिरने के बाद तथा जब रूसी सेना ने मंचूरिया में बढ़ना शुरू कर दिया था, तो जापान सरकार से पुन: अनुरोध किया गया था तथा जापान सरकार नेता जी को एक विमान देने को तैयार हो गई थी जो उन्हें डेरीन में उतार देगा । जापान सरकार के साथ यह भी तय हुआ था, मैं नहीं जानता कि इस के कारण क्या थे कि ज्योंहीं नेता जी डेरीन पत्तन में उतरे, जापान सरकार रेडियो पर यह घोषित करदे कि उन की मृत्यु हो गई । जापान सरकार कहती है कि हवाई दुर्घटना हो गई और तदुनासार रेडियों पर घोषणा की गई थी । परन्तु इस में जांच करने की आवश्यकता है और साक्ष्य लेने की जरूरत है तथा जापान सरकार के दस्तावेजों की जांच करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हवाई दुर्घटना हुइ थी ।

मैं आप को एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री नेहरू एक घड़ी लाये थे जिस के बारे में कहा जाता है कि दुर्घटना के समय नेता जी उस घड़ी को पहने हुए थे । यह घड़ी चकोर है और इसे श्री नेहरू को श्री भोला भाई देसाई द्वारा दिया गया था । श्री भोला भाई देसाई उस समय आजाद हिन्द फौज के कैदियों की वकालत कर रहे थे । उन की श्री हबीबुर रहमान से, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नेता जी के साथ उस विमान में यात्रा कर रहे थे, मुलाकात हुई थी और श्री रहमान ने वह घड़ी श्री देसाई को दी थी । श्री भोला भाई देसाई ने उस घड़ी को खोला था और उसमें तेल पाया गया था । वह घड़ी इस समय मेरे पास है । श्री भोला भाई देसाई के अनुसार उस घड़ी का चमड़े का फीता बहुत जला हुआ था । इस से यह पता चलता है कि वह घड़ी जल रही थी क्यों कि नेता जी के कपड़ों में उस बमबार्ट विमान की अतिरिक्त टंकी से तेल निकलने के कारण आग लग गई थी । परन्तु श्री भोला भाई देसाई के अनुसार वैज्ञानिक तौर पर यह संभव नहीं है कि आग के इतने अधिक निकट होने पर भी उसमें तेल रह सके । उस घड़ी के बारे में कई अन्य रोचक बातें हैं । कहा जाता है कि वह घड़ी दुर्घटना के समय बन्द हुई थी । उस घड़ी में 5 बज कर 11 मिनिट का समय है, जब कि दुर्घटना 2.30 बजे हुई थी । अतः बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन की जांच की जानी चाहिये ।

मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्ष 1957 में मैं जापान गया था। मुझे वहां पता लगा कि वह चीनी लड़की जिस के बारे में कहा जाता है कि नेता जी की मृत्यु के समय वह उन के पास थी, टाईहोको में थी और टोक्यो में साक्ष्य देने के लिये नहीं आना चाहती थी। यद्यपि श्री शाहनवाज खां को टाइहोको जाने के लिये जापान सरकार द्वारा विमान सहित सब सुविधायें दी गई थीं, परन्तु वह वहां नहीं गये और उस लड़की का साक्ष्य नहीं लिया गया। यद्यपि उस समय मैंने सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया था, परन्तु उस का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।

सिकागो टाइम्स के युद्ध संवाददाता मिस्टर अलफरेड वाग ने बापू जी को भंगी बस्ती में बताया था कि वे फोटो जिन्हें टाइहोको हावई अड्डे के बताया जाता है, संभवतः टाइहोको अड्डा इस समय मौजूद नहीं है और बहुत सा अन्य साक्ष्य बचा हुआ है उस से सच्चाई का पता लगाने में सहायता मिल सकती है। इस के लिये उच्च न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब मैं जापान गया था तो जपान सरकार ने मुझ से पुछा था कि भारत उस महान व्यक्ति की भस्मी की, जिस ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपनी आहुति दी थी, अवहेलना क्यों कर रहा है तथा उसे पूर्ण सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है और उसे टोक्यो के निकट एक मंदिर में क्यों छोड़ रखा है। उस समय मैंने कहा था कि जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि वह भस्मि नेता जी है, हम उसे नहीं ले जायेंगे। अत: यह जिम्मेदारी सरकार की है और मैं सरकार से मांग करता हूँ इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या विमान दुर्घटना में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई थी, एक न्यायिक जांच आयोग अविलम्ब नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : माननीय सदस्य ने सशस्त्र क्रांति तथा शांतिमय क्रांति लाने के बारे कहा था। हम इस बारे में सजग हैं। हम शांतिमय क्रांति लाना चाहते हैं, क्योंकि हम ने देख लिया है कि फ्रांस की क्रांति तथा अक्तूबर, 1917 की क्रांति में क्या हुआ था। इस लिये हम लोकतंत्रात्मक पद्धति से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। हमें भी पता है कि आवश्यकता किसी कानून को नहीं जानती। इस लिये हमने इस बारे में ध्यान किया है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण तंत्रों पर नियंत्रण करने के लिये ऋण संस्थानों, वैदेशिक व्यपार तथा परिवहन पर नियंत्रण करना जरूरी है। हम ने पहला कदम उठाया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंक ऋण देने वाली संस्थायें हैं और बैंक राष्ट्रीयकरण का हमारा उद्देश्य एकाधिकार को समाप्त करना था।

हम ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जैसा कि सभा को पता है, निहित हितों ने इसमें रूकावट भी डालनी चाही। श्री कूपर ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज कर दी और निहित स्वार्थों ने उन का साथ दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम भो अवैध घोषित किया गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप सरकर को प्रतिकर के रूप में बहुत अधिक राशि देनी पड़ी। हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा किये गये विशलेषण के अनुसार प्रतिकर के रूप में

पंजाब नेशनल बैंक को पांचगुनी तथा अन्य बैंकों को दुगनी अथवा तीगुनी राशि देनी पड़ी। हमारा गरीब देश प्रतिकर के रूप में इतनी अधिक राशि नहीं दे सकते हैं, परन्तु निहित हित इस बात को नहीं समझते हैं। उनका उद्देश्य तो प्रगति के रास्ते में रूकावट डालना है।

सिन्डीकेट के मुख्य प्रवक्ता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान मार्क ट्वीन के एक वाक्य का उदारहण करते हुए कहा था कि "तुम्हें जिस एक शव यात्रा में अवश्य शामिल होना चाहिये, वह तुम्हारी अपनी शव यात्रा है।" मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूं कि यह निहित स्वार्थों की शव यात्रा होगी और उन व्यक्तियों की शव यात्रा नहीं होगी जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव यह है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, ताकि विद्यमान सब एकाधिकारों को समाप्त किया जा सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस वर्ष ऐसा आय व्ययक पेश किया गया है, जिस से नई दशा मिलती है। तथापि देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये वित्तीय उपायों के अतिरिक्त कार्यवाही करने की भी जरूरत है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार द्वारा सामान्य बीमा अपने हाथ में लिया जाना चाहिये। स कार को पटसन तथा चाय बागान का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

आयात तथा निर्यात व्यापार को भी सरकारी क्षेत्र में लिया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि आय कर की बकाया राशि के रूप में बहुत अधिक राशि बकाया है। आयकर कौन नहीं देता है ? बड़े बड़े पूंजीपति ही आय कर नहीं देते हैं। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी ने कल ही सभा में बताया था कि आयकर की बकाया राशि के रूप में 556 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा कुछ कारगार कदम उठाये जाने चाहियें।

मेरा अगला सुझाव यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं तथा आम खपत की वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये, ताकि बिचौलिय बहुत अधिक लाभ न कमा सके।

बैंकों का पुर्नराष्ट्रीयकरण किया गया है तथा मैं आशा करता हूं कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक ही अपनी शाखायें खोलेंगे तथा छोटे उद्योगों और छोटे उद्योगियों को अधिक ऋण देंगे तथा इस से देश में सामाजिक परिवर्तन आयेगा।

मेरा अगला सुझाव यह है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिये जीवन बीमा अनिवार्य किया जाय। यह बहुत जरूरी है कि औद्योगिक श्रमिकों के जीवन का बीमा काराया जाय तथा परिनियम की राशि नियोजकों द्वारा दी जानी चाहिये। सरकार को ऐसा विधेयक सभा के सामने लाने के बारे में विचार करना चाहिये।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभषण में यह भी संकेत किया था कि जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि

श्रमिक विवादों को मध्यस्थ निर्णय को सौंप दिया जाना चाहिये, ताकि जहां तक हो सके हड़तालों तथा तालाबन्दी को रोका जा सके।

गैर-सरकारी क्षेत्र को ओर अधिक सहायता नहीं दी जानी चाहिये। इसने पहले ही काफी धन कमा लिया है। मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा उन को कोई सहायता दी जाने की जरुरत है।

अब मैं विदेश नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अरब के लोग हमारे मित्र हैं तथा उन्होंने हमारे देश की प्रगति में रूचि दिखाई है, क्योंकि अरब राष्ट्र तथा भारत दोनों ही देश समान परिस्थितियों से गुजरे हैं। दोनों परतंत्र थे और दोनों स्वतंत्र होने के बाद दोनों विकास करना चाहते हैं। दोनों की गुटनिरपेक्षता में आस्था है। मैं कुछ समय पूर्व अरब देशों में गया था और मैं वहां छपे एक लेख को देख कर बहुत प्रभावित हुआ था, क्यों कि धर्म सम्बन्धी उस लेख को कुरान अथवा बाइबल के किसी वाक्य से आरम्भ न करके गांधी जी के एक वाक्य से आरम्भ किया गया था। इस से यह सिद्ध होता है कि उन के दिलों में गांधी जी का कितना अधिक आदर है।

जहां तक भारतीयकरण शब्द का सम्बन्ध है, इस शब्द की विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न व्याख्यायें की गई हैं। इस सभा में भी इस की विभिन्न व्याख्यायें की गई हैं। मैं समझता हूँ कि यह शब्द शरारतपूर्ण है और अर्थहीन भी है। यह एक ऐसा शब्द है, जिस से अल्प-संख्यकों को ठेस पहुंचती है।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझुनू) : यह बड़े दुख की बात है कि देश के तीनों प्रमुख व्यक्तियों अर्थात राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष ने कहीं न कहीं गलती की है। प्रधान मन्त्री ने वित्त विधेयक पेश न करके गलती की है। अध्यक्ष महोदय कल अपनी गलती को स्वीकार ही कर चुके हैं और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गांधी शताब्दी समारोह, स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन तथा सीमान्त गांधी के दौरे का उल्लेख न करके बड़ी भूल की है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हर बात का, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, नगरीय अथवा ग्रामीण आर्थिक अथवा सामाजिक और यहां तक कि अहमदाबाद के दंगों का भी उल्लेख किया है परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने गांधी शताब्दी समारोह का कोई उल्लेख नहीं किया।

आपको याद होगा कि 24 दिसम्बर, 1969 को इस सभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनके नाम तथा उनके सिद्धान्तों का जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया जाना चाहिए था। अतः इसी कारण मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। महात्मा गांधी ने नमक के मामले में जीवन भर संघर्ष किया। वह चाहते थे कि नमक गरीब लोगों को निर्बाध रूप से उपलब्ध हो और इस पर कोई शुल्क आदि न लगाया जाये। परन्तु नमक अभी तक गरीब लोगों को निर्बाधरूप से नहीं मिल रहा है। बजट प्रस्तावों में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अतः मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बतायें।

आजकल प्रत्येक व्यक्ति समाजवाद की बात कर रहा है । बिड़ला बन्धुओं ने बहुत पहले समाजवाद शुरू कर दिया था । मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में अब लोगों में भी जागृति आ गई है । उस समाजवाद का समर्थन करता हूँ कि जिससे लोग समृद्धि हों तथा देश के धन में वृद्धि हो यदि देश में धन नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता कि यहां पर समाजवाद किस प्रकार आयेगा । स्वर्गीय सर विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि यदि पूंजीवाद में धन का असमान बंटवारा होता है तो समाजवाद में गरीब का समान बंटवारा होता है । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ । मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे देश में यह बात सच सिद्ध न हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में सब स्थानों पर गरीबी फैले । परन्तु मैं चाहता हूँ कि अमरीका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकान ने जो कुछ कहा था हमारे प्रधान मंत्री उसको ध्यान में रखें । उन्होंने कहा था कि आप मजबूत व्यक्ति को मकजोर बनाकर कमजोर व्यक्ति को मजबूत नहीं बना सकते, मजूरी देने वाले को नष्ट कर मजूरी पाने वाले की सहायता नहीं की जा सकती और अमीर व्यक्ति को नष्ट करके गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं की जा सकती । मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री इन बातों को ध्यान में रखें क्योंकि इनसे देश में शीघ्रता से समाजवाद लाने में सहायता मिलेगी ।

इस प्रकार के समाजवाद को अत्यधिक उत्पादन करके ही लाया जा सकता है । अतः हमें देश में उन चीजों का अत्यधिक उत्पादन करना चाहिए जिनकी लोगों को आवश्यकता पड़ती है और जिनको हम निर्यात भी कर सकते हैं । उत्पादन में वृद्धि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा क्यों न की जाये । यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो उत्पादन में अवश्यक वृद्धि होनी चाहिए ।

जो व्यक्ति सामाजिक हित को ध्यान में न रखकर अपने हित के लिए ही उत्पादन करता है उस से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है । वस्तुओं का वितरण समान रूप से होना चाहिए । परन्तु समाजवाद को शीघ्रता से केवल अत्यधिक उत्पादन करके ही लाया जा सकता है ।

कुछ दिन पूर्व सभा-पटल पर जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया था उसमें बताया गया है कि इस्पात, लम्बे रेशे तथा एल्यूमिनियम की सप्लाई में कमी हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है । इसके लिए योजना आयोग ही जिम्मेदार है । यह एक अदक्ष तथा निष्प्रभावी संगठन है।

सरकार ने 8 करोड़ रुपये के मूल्य के 15,000 टन लम्बे रेशे आयात करने का निर्णय किया हो, मैं इस बारे में सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे देश में लम्बे रेशे में उत्पादन हेतु पूरी तकनीकी जानकारी, कच्चा माल तथा मशीनें उपलब्ध हैं । हमारे पास इसके उत्पादन के लिए पूरे संसाधन हैं । अतः यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इसको आयात करने का निर्णय किया है, यदि इसके उत्पादन की छूट दी जाये तो हमारा देश इसको निर्यात करने की स्थिति में हो सकता है ।

इस समय लगभग 30 करोड़ रुपये के मिश्रित इस्पात का आयात किया जा रहा है । इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र, जोकि अपनी अधिष्ठापित क्षमता से लगभग 35 प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है, देश की मांग को पूरा नहीं कर सका । मिश्रित इस्पात निर्यात संवर्धन तथा प्रतिरक्षा संवर्धन की मद है और इसकी हमारे यहाँ अभी भी कमी है । लोगों को इसके लिए

1961 में लाइसेंस दिये गये थे परन्तु कारखानों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आवश्यक स्वीकृति न दिये जाने के कारण कारखाने स्थापित नहीं हो सके।

देश में इस समय लगभग 1.35 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। सरकारी क्षेत्र में इसका बहुत कम उत्पदन होता है। अतः सरकारी क्षेत्र इस मूल कच्चे माल का उत्पादन करने में असफल रहा है। भविष्य में देश में एल्यूमिनियम की 3.25 लाख टन की मांग हो जाने की सम्भावना है और निर्यात के लिए भी 50,000 टन की आवश्यकता होगी। एक नियतिक ने एल्युमिनियम का निर्यात आरम्भ कर दिया था परन्तु अब सरकार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया है। क्या सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित करना नहीं चाहती ? अतः इस सम्बन्ध में सरकार की नीति मेरी समझ नहीं आ सकी।

यह भी कहा जाता है कि कुछ निर्माताओं ने अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे किसी को अर्थात् देश को, सरकार, मजदूरों अथवा किसी को भी हानि हुई है। मेरे विचार में किसी को हानि नहीं हुई है बल्कि इससे देश को लाभ ही हुआ है। सिद्धान्तों के आधार पर अथवा राजनीतिक आधार पर उत्पादन में कमी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भद्रा में हुए गोलीकाण्ड को न्यायिक जांच के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायधिश श्री चागला को नियुक्त किया गया है। मैं चाहता हूँ कि वह अपना प्रतिवेदन शीघ्र दें और इसको शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये ताकि हम तथ्यों के बारे में अवगत हो सकें। गोलीकाण्ड में मरने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों को कुछ मुआवजा दिया जाना जाहिए।

श्री एस० एम० मिश्र (कन्नौज) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में गतिविधियों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। लगभग सभी मुख्य समचारपत्रों मे इसकी प्रशंसा की है। मैं इस बात से अच्छी तरह अवगत हूँ कि राष्ट्रपति को संवैधानिक सीमाओं के अन्तर्गत ही अपना कार्य करना होता है और उपयुक्त लोगों के सुझावों तथा परामर्श पर ध्यान देना होता है।

समय बदल गया है और इसके साथ-साथ हमारे सामाज में भी परिवर्तन आ गया है। यह एक अच्छी बात है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं। परन्तु देखना यह है कि लोग अपने अधिकार पाने के साथ-साथ समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य तथा दायित्व भी निभायें।

अब प्रश्न यह है कि अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है उसको कैसे पाटा जाये। मेरे विचार में महलों को झोंपड़ियों में न बदल झोंपड़ियों में सुधार किया जाना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस ओर उठाया गया एक कदम है।

लोकतंत्रात्मक समाजवाद के नाम पर कई ऐसी बातें की जा रही हैं जिनको उचित नहीं कहा जा सकता। संविधान के अध्याय तीन में संशोधन करने अथवा उसको समाप्त करने की जो बात की जा रही है वह उचित नहीं है। संविधान हमारी स्वतंत्रता का एक चिन्ह है हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और इस में बार-बार संशोधन नहीं करना चाहिए।

देश में सभी राजनीतिक दल लोकतंत्री समाजवाद की चर्चा बड़े ऊंचे स्तर में तो करते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति, मंत्रियों और जनसाधारण में जब तक इतने अधिक मतभेद बने रहेंगे, तब तक लोकतंत्रीय समाजवाद की बात करना व्यर्थ है। क्या समाजवादी ढंग के समाज में यह उचित है कि तथाकथित नये महाराज अर्थात् मुख्य मंत्री, मंत्री-गण तथा अन्य उच्च पदाधिकारी राजसी ठाट-बाट से रहें, जबकि भूतपूर्व नरेशों ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति और शान-शौकत को भारत मां के लिए अर्पित कर दिया है। लोगों को खुशहाल बनाने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय यह है कि आज देश का प्रशासन जिन लोगों के हाथ में है वे व्यावहारिक ढंग से सोचें और काम करें।

दूसरों की तुलना में अधिक संग्रह करने की मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भूतपूर्व नरेशों को अपने विशेषाधिकार और निजी थैलियां त्यागकर जनसाधारण की कोटि में आने से पूर्व हमारे राज्यपालों मंत्रियों, संसद् सदस्यों, राजदूतों तथा सरकारी अधिकारियों को अपने कम से कम आधे विशेषाधिकार और आस्तियां छोड़ने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मंत्रियों, संसद् तथा विधान सभा के सदस्यों, राजदूतों तथा अधिकारियों के अपने धन तथा बहुमूल्य वस्तुओं का ईमानदारी से हर छठे महीने ब्यौरा देना चाहिए और उस ब्यौरे की प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भेजी जानी चाहिए जो, उसे मांगता है। यदि ऐसी परम्परा डाली जाये तथा ये लोग अपनी आधी दौलत का त्याग करें, तो भूतपूर्व नरेश निस्संदेह ही सामान्य मनुष्य की कोटि में स्वेच्छा से आ जायेंगे।

निजी थैलियों को समाप्त करने की बहुत अधिक चर्चा की जा रही है। उनके समाप्त करने से केवल 3.75 करोड़ रुपये की बचत प्रतिवर्ष होगी। मेरा सुझाव यह है, कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को देश में चलचित्र-गृहों को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। उससे सरकार को शुरू में ही 50 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी और उसे 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इससे दूसरा लाभ यह होगा कि चलचित्रों के माध्यम से जनसाधारण को शिक्षित भी कर सकेगी।

निश्शुल्क प्राथमिक शिक्षा और निश्शुल्क चिकित्सा-सुविधा का अभिभाषण में धनाभाव के कारण कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक राजस्व-प्राप्ति का सम्बन्ध है, हमें केवल मद्यनिषेध से ही 500 करोड़ रुपये की हानि हो रही हैं अतः मेरा यह सुझाव है कि मद्यनिषेध को हटा लिया जाये तथा उससे होने वाली आय को निश्शुल्क शिक्षा और निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा पर खर्च किया जा सकता है। इससे एक लाभ यह और होगा कि अवैध शराब आदि का व्यापार बन्द हो जायेगा। सम्पूर्ण विश्व में पर्यटकों से लगभग 90,000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। भारत को इसका केवल एक प्रतिशत प्राप्त होता है। यदि यहां विदेशी पर्यटकों को शाखा की तथा अन्य सुविधाएं दे दी जायें तो यह आय 1 से बढ़कर 5 प्रतिशत हो सकती है।

महात्मा गांधी शताब्दी पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। किन्तु महात्मा जी के सिद्धान्तों जिनमें प्रार्थना शुद्धता, शान्ति तथा उत्पादन सम्मिलित है, का उल्लेख राष्ट्रपति भाषण में नहीं किया गया। धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्महीन राज्य नहीं होता। हमारा धर्म के प्रति भी रूझान होना चाहिए। गांधी जी ने तकली और चरखे के माध्यम से एक और नारा दिया

और उसका अर्थ है उत्पादन । देश में कम से कम पाँच वर्ष तक उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध न हो । जापान ने 1969 में 11,70 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया किन्तु भारत ने केवल 1000 करोड़ रुपये का । अतः भारत में उत्पादन बढ़ना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूँ कि सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : राष्ट्रपति का अभिभाषण इस दृष्टि से विलक्षण है कि उसमें इस बार प्रधान मंत्री ने अपनी सरकार की प्रशंसा अपेक्षाकृत अधिक कराई है । अभिभाषण पर मैंने दो भूतपूर्व मंत्रियों के भाषण सुने हैं । वस्तुतः वे प्रभावशाली थे और होते भी क्यों न । वे मंत्री तो रह ही चुके हैं । उन्हें पता है कि सरकार में दोष कहां कहां हैं । वे यह भी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या होते हैं और वास्तविक स्थिति क्या होती है ।

बजट में करों के बारे में यह कहा गया है कि उनमें अमुक-अमुक प्रतिशत वृद्धि की गई है, किन्तु करों में वृद्धि चाहे जितने प्रतिशत हो वृद्धि का प्रभाव तो लोगों पर पड़ेगा ही । प्रत्येक वस्तु महंगी होती जा रही है । इन तीन दिनों में ही गेहूँ, दालें, चीनी और चाय के दाम बढ़ गये हैं ? जब तक वित्त विधेयक पास नहीं हो जाता तब तक मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

बिहार के एक सदस्य ने यह कहा है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी । मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ । मेरे विचार से उसमें सभी वर्गों और रूचियों का प्रतिनिधित्व था । हां, वह निर्वाचन के आधार पर गठित नहीं हुई थी । डा० अम्बेडकर जैसे अनेक सदस्य उसमें ऐसे थे जो कांग्रेस विरोधी थे । यदि बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायलय का निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं गया, तो क्या इसी आधार पर कह दिया गया कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी । दूसरे इस मामले में न्यायालय की आलोचना क्यों की जाये । न्यायाधीश तो कानून की व्याख्या कर करता है । न्यायालयों के अभाव में तो स्थिति और भी विषय हो जायेगी । न्यायालयों से हमें संरक्षण मिलता है । न्यायालय संविधान के अन्तर्गत अपना कार्य पूरा कर रही हैं । यदि न्यायालयों ने राजनीतिक दलों की मनोकामना के अनुसार काम करना आरम्भ कर दिया, तो वे अपने कार्य में असफल होंगी और हमारा लोकतंत्र ही समाप्त हो जायेगा । .लोकतंत्र का आधार तो कुछ आधार भूत नैतिक मूल्य होते हैं । यदि विधि के प्रति निष्ठा समाप्त हो जायेगी तो लोकतंत्र कहां रहेगा । वहां पर परम्पराओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए । राज्यों में मंत्रिमंडल बनाते समय राष्ट्रपति के चुनाव के समय तत्सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करके ज्योतिष-वासियों के अनुसार काम किया गया ।

मुझे यहां एक बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है । प्रधान मंत्री स्वयं गांधी शताब्दी समारोह समिति की प्रधान हैं । उन्होंने एक फ्रांसीसी समाचार पत्र के संवाददाता के सामने यह कहा है कि गांधी जी एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे और वह चाहते थे कि हम बैलगाड़ी में यात्रा करें तथा वह यह नहीं चाहते थे कि हम आधुनिक औद्योगिकी तथा विज्ञान से लाभ उठायें । किन्तु मेरे विचार से विज्ञान में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे । वह रेलगाड़ी में यात्रा करते थे, हकीम की बजाय डाक्टर से उपचार कराते थे । इस प्रकार वह आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से लाभ उठा

थे । हमारी प्रधान मंत्री गांधी शताब्दी समारोह समिति की प्रधान हैं, वह हमारी नेता हैं । यदि गांधी शताब्दी वर्ष में वह गांधी जी के विषय में ऐसा कहती हैं तो फिर अन्य लोग क्या कहेंगे ? एक विश्वविद्यालय में एक नाटक खेला गया जिसमें गाँधी जी को सूअर का बच्चा कहा गया । इस ओर मैंने मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया है, परन्तु उस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । हमारी सरकार ने उस नाटक के लेखक को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया है । ऐसी हैं हमारी सरकार, जो गांधी जी के नाम पर शपथ लेती है, जो गांधी जी के शताब्दी समारोह पर लाखों रुपये खर्च कर रही है । अन्त में श्री जगजीवन राम से स्वर से स्वर मिलाकर यह कह सकता हूँ कि यह कहना गलत है कि गांधी जी मशीनों या औद्योगिकीकरण के विरोधी थे । उन्होंने केवल एक ही चिन्ता की थी कि मशीनों के नाम पर लोगों का शोषण न किया जाये ।

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : आचार्य जी किस पत्र का उल्लेख कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप उक्त समाचार पत्र का नाम बताइये ।

श्री जो० भा० कृपलानी : श्रीमान्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । श्रीमती गांधी इसका खंडन करें, जो कुछ मैंने कहा है ।

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : The paper which has been referred to is a French newspapers and its name is Elle. It had issued her interview. That has been reproduced here.

Shri Yogendra Sharma : The paper read is the March of the time and the House has been misled.

श्री जो० भा० कृपलानी : यह ठीक नहीं है । श्रीमती गांधी इस बात का खंडन करें । ...(अन्तरबाधाएं)

Shri Yogendra Sharma : What happened to my point of order ? I wanted to know whether a Member had a right to quote a wrong name and thus mislead the House ?

Mr. Chairman : He says that the name he has mentioned is right. If Shri Sharma wants to take any further action in this matter, he has every right to do so later on. This is my ruling about his point of order.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Acharya Kripalani has definitely stated that the interview has appeared in a French News Paper. If that interview is quoted in an Indian Paper, it will be treated as that have published in French Paper and not in Indian Paper. Hence there is nothing contradictory for which a point of order has been raised.

श्री जो० भा० कृपालानी : मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि यह इंटरव्यू किसी फ्रांसीसी पत्र में छपा है अथवा भारतीय पत्र में छपा है । प्रश्न तो यह है क्या प्रधान मंत्री ने

इसका खण्डन किया है ? क्या इस बात से भी इंकार किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को "सूअर का बच्चा" कहा था उसे उपाधि दी गई है । कम से कम गांधी जी का नाम लेने वालों को उनके बारे में यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

जहां तक निजी थैलियों को समाप्त करने की बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व नरेशों ने उस समय बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया था मेरे विचार में इस सम्बन्ध में जो कोई भी कार्यवाही की जाये वह इन नरेशों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही की जाये ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): Mr. Chairman, before joining the Parliament, I had great expectations about the working of this House, but those expectation have not come true and the new Members like me have to shed our tears over the way this House is functioning. If there is nothing to criticise the Prime Minister, a reference of a French Paper is given. I do not understand as to how far this is just. It would have been better if the matters were discussed on the basis of ideologies and policies.

It is quite clear from the President's Address that the Government is now determined to give a new and right lead to our people to go forward towards the achievement of a social order. I fully support the policies of Government which have been fully and rightly analysed in para 2, 3, 11, 12, 18, 24 and 30 of the President's Address. The problems can, however, not be solved simply by slogans. The ruling party as well as the opposition parties will have to come together and do something constructive for the welfare of the people. To-day our country is facing a number of problems, *e.g.* growing unemployment, widening differences between the rich and the poor, soaring prices etc., etc. A few things are done in this country in national interest. On the other hand, we find that national wealth is being destroyed by our own people by burning them. This practice should be checked with an iron hand. Besides the present imbalances and disparities among the various scales in India should also be removed. The growing trend of characterlessness, *goondaism*, regionalism, provincilism and communalism whether of majority community or of minority community, will have to be checked. To-day, we find that each and every person in India, whether a politician or a Government servant, who happens to enjoy some authority, tries to misuse the same resulting in corrupt practices and social degradation. Besides there is political instability in our country to-day. All these problems will have to be solved quickly and rightly.

Sir, you are aware that 85 per cent of our population reside in the villages. But we find that even the bare necessities of life such as drinking water, means of Transport and Communications and other facilities have not so far been provided in villages. The people in India cannot afford to seek justice from the Law Courts because the expenses are very heavy and beyond their means. Lawyers are simply fleecing the people. Even the educational facilities being provided in rural areas are very meagre. In cities, there are several schools and colleges whereas in rural areas, one has to find out the school in a radius of 10 kilometres or so. The facilities of animal husbandry and public health are also not available in the rural areas. In short, the plight of the people in villages is piliable and unless something tangible is done, no improvement can be brought about in their standard of living.

It is regretted that the people of Himachal Pradesh are being treated as second grade citizens by the Union Ministry of Education. More than one lakh Government employees in Himachal Pradesh are on hunger strike in support of a very simple and just demand that the Punjab pay scales should be given to them. Similarly 14 thousand teachers are demanding the same pay scales as are being given to their counterparts in Punjab, Their case is

pending in the Ministry of Education here for the last two years. We hope that their demands will be met before 31st March and they will be given the same pay scales as are being given to the Government employees in Punjab.

The decision which has been taken on the Chandigarh issue is a very impartial one as it has been taken under the pressure of Akalies. The interests of Himachal Pradesh has been totally been ignored. It is, however, good that a boundary Commission is being appointed to look into the claims and counter-claims of the parties concerned over certain areas. The Government should ensure that the area comprising of Pathankot Tehsil, Una, Hoshiarpur District, Mukerian, Kalka and Bhakhra Nangal are included in the terms of reference the proposed Boundary Commission. Sant Fateh Singh has no business to suggest that Himachal Pradesh should not be made a third-party to the Boundary disputes. The area of Bhakhra Nangal and Bias Dam belong a Himachal Pradesh and moreover in view of our meagre economic resources, there is no reason as to why this area should remain under the control of Punjab and not under the control of the Centre.

It is good that a reference has been made in the President's Address about the present economic disparities among the various regions but it is to be seen how for the Government goes forward to remove or at least reduce their imbalances. So far as Himachal Pradesh as concerned, not a single factory has been established there in the Public Sector. What to speak of roads and other facilities even drinking water is not available there. In view of the selfless service rendered by our Dogra Jawans in the Army, more attention should be paid towards this territory. The status of full-fledged statehood should be conferred on Himachal Pradesh so that we are able to solve our problems ourselves.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : प्रस्तावक का यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण अनोखा है क्योंकि इस में कोई अनोखी बात नहीं कही गई है। खेद है कि इस में महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख तक भी नहीं किया गया है यद्यपि इस वर्ष हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह सिद्ध हो गया है कि इस मामले में बहुत ही जल्दबाजी से काम लिया गया था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व इसके सभी पहलुओं पर ब्योरेवार विचार नहीं किया गया था। परन्तु जब कुछ लोगों ने यही बात कही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है तो उन्हें समाजवाद विरोधी तथा समाजवाद लाने के मार्ग में रोड़ा बताया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो नया अध्यादेश जारी किया गया है उस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा संविधान के उपबन्धों का पूरा ध्यान रखा गया है। मेरे विचार में इसका एक पहलू ऐसा है जिस की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अधिनियम को इस आधार पर भी रद्द किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय विभिन्न बैंकों में घोर भेदभाव किया गया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का आधार यह था कि इन बैंकों के जमाखाते में 50 करोड़ रुपये अथवा इस से भी अधिक धन जमा था। प्रश्न यह उठता है कि उक्त आधार को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने का क्या औचित्य है? मेरे विचार में 13 विदेशी बैंकों में से 3,4 बैंक ऐसे हैं जिनके जमा-खाते में 50 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक धन जमा है। क्या इसे भेदभाव नहीं माना जायेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय का आदर करती हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय की कोई आलोचना नहीं की है। परन्तु उन्होंने एक स्थान पर अपने एक भाषण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में यह भी कहा था कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह इस निर्णय को बाधा समझती है तो स्पष्ट है कि उनके मन में उच्चतम न्यायालय के प्रति कोई आदर नहीं है।

मेरे विचार में लोकतंत्र के विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तथा प्रैस चार अंग हैं और प्रत्येक अंग के अन्य अंगों को सुदृढ़ बनाने का यत्न करना चाहिये इसी लिये जब मैं पहले पहले बम्बई राज्य में गृह-मंत्री था तो मैंने भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया था। उच्चतम न्यायालय इस देश में न्याय की सब से ऊंची संस्था है संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत यह देखना उच्चतम न्यायालय का कर्त्तव्य है कि कार्यपालिका तथा विधानमंडल संविधान की मर्यादा का पालन करें। यदि संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो समाज कल्याण की नीतियों को लागू करने में बालक हैं, तो सरकार संविधान में संशोधन करने के लिये कार्यवाही कर सकती है परन्तु यह केवल इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि कोई उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पसंद नहीं करता है। मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है और इसका विश्व भर में उदाहरण नहीं मिलता है। इस में एक सराहनीय बात यह है कि इस में यह माना गया है कि संसद् को राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधान बनाने का पूरा अधिकार है। दूसरी यह है कि इसमें स्थिति को सुधारने हेतु नया अध्यादेश जारी करने के लिये सरकार को पर्याप्त समय दिया गया है यद्यपि उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय बाद में दे सकता था। परन्तु उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल अपनी सुविधा को ध्यान में रख कर यह कहना कि उच्चतम न्यायालय अप्रगतिशील न्यायालय है, गलत है क्योंकि यह न्यायालय सदा यह कहता रहा है कि व्यापार की स्वतंत्रता का अर्थ शोषण की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के उपबन्ध प्रगति में बाधक नहीं हैं। उन में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिपादित समाजवाद लाने के उद्देश्य से विधिवत् प्रगति करने के लिये योजना की व्यवस्था है। वे सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक परतंत्रता की अनुमति नहीं देते हैं। यह एक गलत धारणा है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत केवल अधिकार ही हैं और कर्त्तव्य नहीं हैं। यह मैसूर राज्य के विरुद्ध चन्द्र भवन बोर्डिंग एण्ड लाजिंग, बंगलौर के मुकदमे में दीवानी अपील क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 1967 की दीवानी अपील संख्या 1617 में बताया गया है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई ऐसी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए यह बात कि उच्चतम न्यायालय एक अप्रगतिशील न्यायालय है, बिल्कुल ही निराधार है। यदि विधियों में कोई त्रुटियाँ हैं तो उसके लिये उच्चतम न्यायालय को दोष नहीं दिया जाना चाहिये। कम-से-कम, लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को तो उच्चतम न्यायालय की निन्दा नहीं करनी चाहिये। यदि मेरे साम्यवादी मित्र आलोचना करें तो बात समझ में आ सकती है परन्तु जब सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेता, जो अपने आप को लोकतंत्र के संरक्षक समझते हैं, उच्चतम न्यायालय की आलोचना करते हैं, तो बड़ा दुःख होता है। वास्तव में इस सम्बन्ध में

एक राज्य मंत्री को न्यायालय की अवमान करने पर नोटिस जारी किया गया है। आशा है कि प्रधान मंत्री कम-से-कम अपने दल के सदस्यों को, जिन पर उनका पूरा नियंत्रण है, यह सलाह देगी कि वे उच्चतम न्यायालय के बारे में ऐसी कोई बात न कहें जिससे उच्चतम न्यायालय के आदर को ठेस पहुंचती हो।

इन्हीं विशेष कर विधि सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी इस सम्बन्ध में आर्थिक सर्वेक्षण की कंडिका 91 में जो आंकड़े दिये हुए हैं उनसे मालूम होगा कि बैंकों ने क्या क्या प्रगतिशील उपाय किये हैं। जून, 1968 के अन्त से जून, 1969 के अन्त तक कृषि के मामले में ऋण की राशि 45 करोड़ रुपये से बढ़कर 188 करोड़ रुपये, लघु उद्योगों के मामले में 191 करोड़ रुपये से बढ़कर 29 करोड़ रुपये तथा निर्यात के मामले में 174 करोड़ रुपये से बढ़कर 255 करोड़ रुपये हो गई थी। हमारे सामाजिक नियंत्रण का प्रयोजन भी यही था। ये आँकड़े उस अवधि के हैं जिस में मैं वित्त मन्त्रालय का इंचार्ज था। इस अवधि से बाद के छः महीनों में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है इस सम्बन्ध में आर्थिक सर्वेक्षण में कोई बात नहीं कही गई है। स्पष्ट है कि बाद की अवधि के आंकड़े इस लिये नहीं दिये गये हैं क्योंकि वे इतने उत्साहवर्धक नहीं हैं। यदि बाद के छः महीनों की अवधि के आंकड़े दे दिये जाते तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सारी पोल खुल जाती।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोकारो इस्पात कारखाने के दूसरे चरण के निर्माण-कार्य को आरम्भ करने के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में सभा को सदा यह सूचना दी जाती रही है कि इस कार्य के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन्स ब्यूरो को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने 1958 में बोकारो इस्पात कारखाने की आरम्भिक परीयोजना रिपोर्ट तथा 1963 में ब्योरेवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार ने इन रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया था और उन्हे मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। इन कारखानों में सहयोग देने का पहले अमरीका ने प्रस्ताव दिया था परन्तु चूंकि वे महत्वपूर्ण पदों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे इसलिये उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। परन्तु बाद में जब रूस का प्रस्ताव आया, तो मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को यह काम न सौंप कर सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन्स ब्यूरो को, जिसने एक रूसी डिजाइन संगठन, गिप्रोमेक्स के साथ डिजाइन सम्बन्धी सहयोग के बारे में समझौता किया था, सौंप दिया गया। अब यह सभी जानते हैं कि रूस की मशीनें तथा परियोजनायें बहुत ही मंहगी पड़ती हैं और इस के साथ साथ इन की मशीनें बहुत ही पुरानी हैं। स्पष्ट है कि जो इस्पात तैयार होगा वह बहुत ही मंहगा होगा। हमें इससे बहुत हानि होती है। यही वजह है कि रूरकेला इस्पात कारखाने की लागत 1977 रुपये प्रति टन, भिलाई कारखाने की 1700 रुपये प्रति टन, दुर्गापुर इस्पात कारखाने की उत्पादन लागत 1795 रुपये प्रति टन है जबकि एक जापानी कम्पनी फुकूयामा स्टील वर्क्स में उत्पादन लागत 992 रुपये प्रति टन, ब्रिटेन में स्पैन्सर वर्क्स में 1170 रुपये प्रति टन और इटली में यह 861 रुपये प्रति टन आती है। अब बोकारो को लीजिये इसमें उत्पादन लागत 2860 रुपये प्रति टन लागत आयेगी जब की इसमें प्रशुल्क, निर्माण, डिजाइन

तथा इंजीनियरिंग का खर्च शामिल नहीं है और यह इस खर्च को भी जोड़ दिया जाये तो उत्पादन लागत के 4120 रुपये प्रति टन तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुलूर) : यह सब तभी हुआ था जब वह वित्त मंत्री थे।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने तब भी यही कहा था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वित्त मंत्री तो केवल सुझाव ही दे सकता है कि यह लागत बहुत ही अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिये। इस पर कार्यवाही करना प्रधान मंत्री का कार्य है। वित्त मन्त्री का नहीं। इस कारखाने में कर्मचारी भी अधिक लगे हुए हैं और इसका प्रबन्ध भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में इन कारखानों का होना तो आवश्यक है परन्तु जब तक इन में उत्पादन लागत को कम नहीं रखा जायेगा तो इन से हमारी अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा।

खेद है कि अभिभाषण में नहीं महात्मा गांधी का और न ही मद्यनिषेध का कोई उल्लेख किया गया है।

मेरे मित्र तथा नेता श्री कृपालानी जी ने फ्रांसीसी पत्र में प्रकाशित हुए प्रधान मंत्री के इन्टरव्यू का उल्लेख किया है। महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ कहा गया है वह बहुत ही खेदपूर्ण है। यह एक गलत बात है कि महात्मा गांधी मशीनीकरण के विरुद्ध थे। वह तो केवल यह चाहते थे कि मशीनों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिये ही किया जाये।

इस सभा में हम सब ने चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लिये गए राज्य क्षेत्र को उससे वापस लेने की प्रतिज्ञा की थी परन्तु इस प्रतिज्ञा का अभिभाषण में उल्लेख करने की बजाये चीन से अनुरोध किया गया कि वह हमें उचित रूप से कार्य करने दे। समझ में नहीं आता कि देश को कहां पहुंचाया जा रहा है। आशा है मेरे माननीय मित्र इस पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्ताधारी लोग इस महान देश के आत्म-सम्मान तथा अखंडता की सुरक्षा करें।

अन्त में मैं सेनाध्यक्ष द्वारा बुलन्दशहर में दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक सिद्धांत की बात है, असैनिक दंगों को दबाने के लिये सेना की सहायता तभी ली जानी चाहिये जब ऐसा करना बहुत ही आवश्यक हो। परन्तु सेनाध्यक्ष का जनता के सामने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की निन्दा करना बहुत ही आपत्तिजनक है। यद्यपि मुझे सेनाध्यक्ष की क्षमता के प्रति पूरा आदर है तथापि ऐसे सरकारी अधिकारियों को सरकार की निन्दा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गलत स्थितियों से हमें बचाया जाना चाहिये।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की वर्तमान स्थिति का समूचे रूप से सही चित्र खींचा गया है। अभिभाषण में यह सही कहा गया है कि लोग अपनी

भावनाओं, आशाओं तथा अभिलाषाओं के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लोगों की इन उचित अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब देश में शीघ्रता से समाजवाद लाने का संकल्प ले लिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा की गई पहली कार्यवाही अर्थात् बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम निकलने लग गये हैं। अब छोटे-छोटे व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों को बड़ी आसानी से ऋण मिल सकता है। इस सम्बन्ध में कृषि उद्योग, जिसमें हमारे 75 प्रतिशत लोग काम पर लगे हुए हैं, तथा अन्य विद्यमान उद्योगों को प्रोत्साहन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि सिंचाई के छोटे साधनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। जल संसाधनों का उपयोग करना ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इस कार्य के निष्पादन से हम अन्य विकास-कार्य को अधिक तेजी से कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि केरल में मत्स्य पालन उद्योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कृषि उद्योग क्योंकि वहां कृषि भूमि बहुत कम है। परन्तु वहां पर इस उद्योग में लगे लोगों की दशा बहुत ही दयनीय है। राज्य में हाल ही में किये गये प्रौद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर मछियारों की प्रति व्यक्ति आय केवल 25 पैसे हैं। एक वर्ष पीछे राज्य सरकार ने इस उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए एक बृहत योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी थी जिसमें इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ऋण अथवा अनुदान देने की अपील की गई थी। इस योजना की यथा सम्भव शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़े हुए इस राज्य के आर्थिक विकास पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

तमिल नाडु में पंतार डेल्टा तथा कावेरी डेल्टा का विकास करने की एक योजना बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के एक दल ने, जिसने इस सम्बन्ध में घटनास्थल पर अध्ययन किया था, इस योजना को बहुत ही सराहनीय बताया है। इस परियोजना की क्रियान्विति के बाद थोड़े ही समय में तमिल नाडु में खाद्य उत्पादन दुगुना हो जायेगा। अब यह योजना हमारे देश से बाहर किसी एजेंसी के विचाराधीन है। इस योजना की शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि इससे न केवल उस राज्य विशेष को परन्तु सारे देश को लाभ होगा। इसके अलावा सेलम इस्पात कारखाने को शीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिए। इससे भी तमिल नाडु के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

केरल में एक नये किस्म के लोह-अभस्क का पता लगा है। इसका परीक्षण करने पर यह मालूम हुआ कि यह सबसे अच्छी किस्म है। मुझे आशा है कि इसे निकालने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी।

तमिल नाडु में तटदूर खुदाई करने से तेल का पता लगा है। तेल औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है इसलिए इसे निकालने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। इससे राज्यों में वर्तमान प्रदेशिक असंतुलन भी काफी कम हो जायेगा।

यह एक अच्छी बात है कि सरकार अब छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने लगी है। इस सम्बन्ध में लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे

उदाहरण है जिसमें आवेदकों को दो दो वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय करने पर कम से कम समय लगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों की निन्दा की गई है, यह एक अच्छी बात है जिसके लिये हम सरकार के आभारी हैं। परन्तु पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये क्या किया जा रहा है उसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने उनका पुनर्वास करने के लिए जो भी उपाय किये हों उनको किया जाना चाहिये।

उर्दू से जो अन्याय हो रहा है उसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ अपने भाषण से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गये हमारे भाषणों का अनुवाद करने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अतः मैं संस्कृत में बोलना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जिस किसी भाषा में चाहें बोलें परन्तु कृपया पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर लें। साथ ही बोलने के पश्चात् रिपोर्टरों को अपने भाषण का अनुवाद भी दे दें।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : **अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ।

मेरे राज्य में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने के अतिरिक्त कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। हम प्रधान मन्त्री के आभारी हैं कि उन्होंने वहां पर औद्योगीकरण तथा एक अन्य तेल शोधक अथवा पैट्रोलियम समूह स्थापित किये जाने की घोषणा की है परन्तु मुझे डर है कि कहीं विशेषज्ञों का मत इसमें रोड़ा न बन जाये।

पाकिस्तानी आक्रमण से पूर्व आसाम से कलकत्ता तक वायु मार्ग और जल मार्ग दोनों खुले थे परन्तु तत्पश्चात् पाकिस्तान ने केवल वायुमार्ग ही पुनः खुलने दिया, जल मार्ग नहीं। भारत को दोनों ही मार्ग खोलने की शर्त रखनी चाहिये थी। यदि आसाम की परिवहन व्यवस्था में गतिरोध को दूर नहीं किया गया तो वहां औद्योगीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

तीसरी योजना के दौरान असम राज्य में प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम हो गई है और इस सम्बन्ध में यह राज्य छठे स्थान से हटकर ग्यारहवें स्थान पर आ गया है। रोका क्यों है ? असम में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यदि भारत सरकार असम के बारे में कोई कारगार प्रस्ताव नहीं पेश करती तो यह औद्योगीकरण के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।

पाँचवें वित्त आयोग ने भी असम के साथ न्याय नहीं किया है। मुझे बड़ा हर्ष होगा यदि इस अल्प-विकसित और पिछड़े राज्य के प्रति और अधिक सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया जाय।

---

*मूल भाषण संस्कृत में।

Spoke in Sanskrit.

Shri Deven Sen (Asansol) : The other day we heard Shri Atal Bihari Vajpayee's views about Indianisation. By Indianisation if he means bringing about Swadeshi and also the determination of taking no foreign help, we don't mind ; but when we find Guru Golvalkar saying "only a United Hindi India can save the country ;" I would like to know from Shri Vajpayee whether these two statements can be linked. We can neither convert all the five crore Muslims of India into Hindus nor can we allow such a thing to happen.

Similarly ; the Swatantra Party are also vehemently propogating that they do not want dictatorship in the country but Shri Tata says "between now and the next General Elections in 1972, so over-whelming may be the disillusion for voters that they may turn their faces totally away from the procedures and practices of parliamentary democracy." These are the words of Shri Tata.

Similarly, Shri Rajgopalachari also suggests that the President of the Indian republic should be an Ex-Serviceman.

I, therefore, warn the House that we should not be misled by this dangerous propoganda of the Swatantra and Jan Sangh Parties.

Moreover, I make it clear that my party does not take side of either the "Syndicate" or the "Indicate" we have got our own philosophy. We know that all the assurances that were given by the Government, do not find place in the Presidential Address. We are obviously pained over that.

Our President is a Trade-Unionist and we are very glad to see him in this high office. But we do not find anything regarding Labour in his Address. We wished that he would have referred to the issue of need based minimum wages since there is a high gap between salaries of the labour and the profit earned by them for their matters. So, a reference to the need based minimum wages was a must.

The National Commission on Labour has said that in India Wage cost is declining in proportion to the total manufacturing cost. But still our demand for the need based minimum wages has not been acceded to the President reference to the National Commission on Labour, but we have already by-cotted this Commission which, among other things, asks for a ban on strikes by the employees in essential services. Then the Presidential Address has not kept up our hopes.

Regarding Central Government Employees, we want that all the court cases, regarding disciplinary action and also the orders regarding their termination or removal from service, should be withdrawn unconditionally and that they should be reinstituted in all respect.

Finally, I would once again say that the Presidential Address has not brought any hopes for us.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : राष्ट्रपति जी ने उद्योग तथा कृषि के तेजी से विकास के बारे में ठीक ही जोर दिया है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण को कार्यवाही पर भी उन्होंने ठीक ही जोर डाला है। परन्तु फिर भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें ऐसी रह गयी हैं जिन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन में से एक बात यह थी कि देश में भाषा सम्बन्धी कट्टरपन बढ़ता जा रहा है और इससे देश की एकता को को खतरा उत्पन्न हो रहा है। भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का सिद्धान्त सम्भव है कुछ सफल हुआ हो परन्तु आज की परिस्थितियों में यह सिद्धान्त देश में विभाजकता की प्रवृति को बढ़ावा दे रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाला व्यक्ति न तो वहां के लोगों से समुचित ढंग से बात कर सकता है क्योंकि वह वहां की भाषा नहीं जानता और न ही अन्य जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सकता है। इतना ही नही, बल्कि आजकल पड़ोसी राज्यों में

परस्पर इस प्रकार लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं जैसे कि वे अलग ही स्वायत्तशासी देश हों। इस प्रकार वे आपस में ही नहीं लड़ रहे बल्कि देश की सम्पति जैसे रेलवे, डाक-तार व्यवस्था आदि को भी नष्ट कर रहे हैं। इस कट्टरपन को दूर करने के लिये शीघ्र ही कोई उपाय किये जाने चाहियें। मुझे आशा है कि यह संसद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विचार करेगी।

दूसरी बात राज्यों में अस्थिरता से सम्बन्धित है। अनेक राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त है। इसके कारण को जानना कठिन नहीं है। अब हमारे देश में वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली के स्थान पर, जिनका हम ब्रिटेन की पद्धित पर अन्धाधुन्ध अनुसरण कर रहे हैं, यहां राष्ट्रपति शासन की प्रणाली अपनाई जानी चाहिये। इसका कारण यह है कि एक विकासशील देश में निरक्षरता बहुत होती है तथा वहां लोगों में समझ-बूझ की क्षमता कम होती है और यह देश लोकतांत्रिक जैसी महंगी प्रणाली का भार सहन नहीं कर सकता। मंत्रिमण्डल की पद्धति पर बड़ा खर्च होता है। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों में अस्थिरता के कारण कई बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसपर बहुत खर्च देश को सहन करना होता है। फिर विभिन्न दल चुनाव प्रचार के लिये धनिक लोगों से धन प्राप्त करते हैं और यह तो स्पष्ट ही है कि धनिक लोगों की सहायता पर आश्रित रहकर समाजवाद नहीं लाया जा सकता।

गत वर्ष गृह-कार्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा। यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यही बात अन्य राज्य क्षेत्रों के बारे में भी है।

हमारी जन संख्या में निरन्तर भारी वृद्धि होने के कारण हमारे आर्थिक संसाधन प्रायः निष्क्रिय सिद्ध होते जा रहे हैं। देश में कमजोर तथा निर्धन समुदाय की वृद्धि होती जा रही है। परिवार नियोजन करने की प्रणाली सफल नहीं हो रही है। अतः परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ अनिवार्यता लाई जानी चाहिये। इस से यदि जनसंख्या में स्वामित्व नहीं आयेगा तो कम से कम वृद्धि पर कुछ रोक तो लगेगी।

बेरोजगारी की समस्या देश में भीषण रूप धारण करती जा रही है। इससे और भी अनेक समस्याओं और विपत्तियों को जन्म मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण है जिससे हमारे यहां केवल लिपिक और डिग्री धारी ही बनते हैं। शिक्षा प्रणाली में कृषि तथा उद्योग संबंधी विषयों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। भाषाई अध्ययन की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारे स्कूल और कालेज तो भाषाओं के वर्कशाप बनते जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि भाषाई पहलू को छोड़ कृषि और उद्योग की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : हमारे देश के सामने इतनी अधिक समस्यायें हैं जिनका कुछ वर्षों में हल नहीं किया जा सकता। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का हल करने के लिये हमें तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी

की है। बेरोजगार व्यक्तियों का पेट भाषणों, नारों अथवा आयोगों की नियुक्ति से नहीं भरा जा सकता।

प्रधान मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि प्रोफेसर देववाला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी गई है और सरकार उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। परन्तु यह समस्या इतनी विशाल है कि केवल सरकार ही इसको हल कर सकती है।

अब मैं देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दल पहले से ही यह मांग करते आ रहे थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जिस समय प्रधान मन्त्री ने इस के लिये विधेयक को सभा में पेश किया था। हमने उसका स्वागत किया था। परन्तु हमने यह सुझाव दिया था कि ऐसे गंभीर मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। परन्तु प्रधान मन्त्री ने हमारे सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह निकला है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैध करार दे दिया है। हमें देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये जिस से यह आभास मिले कि उच्चतम न्यायालय और विधानमंडल के बीच मतभेद है। हमें वह गलती नहीं करनी चाहिये जो 1930 में अमरीका के राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट ने अमरीका में की थी जिससे सारे अमरीका में उथल पुथल मच गई थी। उच्चतम न्यायालय का निर्णय जहां एक ओर चुनौती है वहां दूसरी ओर वह एक अवसर भी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इस मामले में भेदभाव किया गया है। अतः प्रधान मन्त्री के लिये यह सुनहरी मौका है कि वह देश में समस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लें।

महाराष्ट्र और मैसूर के बीच जो सीमा विवाद था उसके बारे में दोनों राज्यों में काफी दिन से शांति थी। परन्तु प्रधान मन्त्री जी की ओर से मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों को समन भेजकर तत्काल बुलाया गया। दो व्यक्तियों को उनके पास प्रस्ताव लेकर भेजा गया।

मेरा अनुरोध है कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर तुरन्त निर्णय किया जाना चाहिये। सीमा विवाद के इस मामले को लटकाये रखना ठीक नहीं है। आयोग सरकार द्वारा ही नियुक्त किया गया है और सरकार को इस आयोग के निर्णय को मानना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन सीमा विवादों को हल करें और महाजन आयोग के पंचाट पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am highly grateful to you for giving me an opportunity to speak. The President has made a mention of many problems facing the country in his Address but he has not said a single word about the agitation of farmers in my Constituency which is going on for the last three months and in which thousands of people have gone to jails and several persons have been killed due to unjustified firing. The agitation has not been launched by any party. It is the result of increase in land revenue. The land revenue has been increased from 6.7 annas per bigha to Rs. 10 per bigha.

An agitation is going on against this and they have put forward 32 demands which I would like to place on the Table of the House, if any assurance to the effect that they

will be added in my speech is given, because reading them will take the time of the House.

It is most unfortunate for our country that it is heading towards disintegration on the basis of language and caste. The President has also referred to this point in his Address. In this connection my suggestion is that we should have only fire zones to carry out the administration of the country : Eastern Zone, Western Zone. Northern Zone, Southern Zone and are Centrally Administrated Zone. The Eastern Zone should consist of Orissa, Bengal, Tripura, Mauipur, Assam, Nagaland, Andaman-Nicobar and Meghalaya ; the Western Zone should consist of the areas of Rajasthan Bordering West Pakistan, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir ; the Northern Zone should consist of Uttar Kashi, Dehradun, Puri, Nainital, Bareilly, Sitapur Gonda, Basti, Ghaziabad, Gorakhpur and the area of Bhutan Bordering Bihar ; the Southern Zone should consist of Gujarat, Maharashtra, Bhopal area of Madhya Pradesh, Mysoye, Tamil Nadu and Andhra Pradesh and the Centrally Administrated Zone should consist of Jhunjhunu, Alwar and Bharatpur Districts of Rajasthan, Gwalior, Jhansi and Khandwa Districts of Madhoa Pradesh, and Meerut, Bulandshahr, Aligarh and Agra Districts of U. P. If the administration of the country is carried on like this, there will be much economy and the country will be prosperous and united.

I came from Ganganagar district and I have special love for my constituency, So, I would like to refer to some problems of my area. If you want to bring prosperity in the country, if you want to improve agricultural conditions then the Constitution work of Rajasthan Canal should be completed at the earliest.

Lastly, I want to submit that the 32-33 demands referred to by me should be added to my speech.

*श्री ईश्वर रेड्डी (कडप्पा) : यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन तथा एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा समाज के निर्बल वर्ग के बारे में व्यक्त की गई है, तथापि ये केवल बातें ही बातें हैं, क्योंकि जब तक सरकार अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को नया रूप नहीं देगी तब तक एकाधिकार को समाप्त करना तथा दलित वर्ग को उठाना संभव नहीं है। चूंकि मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, इसलिये मैं अपने आप को केवल अकाल पीड़ियों की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा। सरकार अकाल पीड़ितों के साथ बहुत बुरा तथा असहानुभूति पूर्ण व्यवहार कर रही है ; हमारे देश में लगभग 39 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती की जाती है, जिस में से केवल 9 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है और सिंचाई की सही सुविधायें तो केवल 6 अथवा 7 करोड भूमि में उपलब्ध है। शेष भूमि वर्षा अथवा तालाबों पर निर्भर है। सरकार ने इस भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कोई उचित कार्यवाही नहीं की है। इस वर्ष के वजट में जिसे प्रधान मन्त्री द्वारा पेश किया गया है देहाती कार्यों तथा अकाल राहत के लिये केवल 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं। यह राशि पर्याप्त नहीं है। इससे यह समस्या हल नहीं होगी। गत तीन वर्षों में इस पर इस से कहीं अधिक धन राशि खर्च की गई है। सरकार स्थायी उपाय करने की बजाय अल्पकालिक उपाय करती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अकाल का सामना करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की राशि नियत की जानी चाहिये।

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

400 करोड़ रुपये की यह राशि केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं में पहले नियत की गई राशि के अतिरिक्त होनी चाहिये। अल्पकालिक उपायों से लोगों की कठिनाइयां कम होने की बजाय बढ़ जाती है। यह एक व्यापक समस्या है और केन्द्रीय सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिये। अकाल को दूर करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाना चाहिये और 400 करोड़ रुपये की यह राशि उस संगठन के सुपुर्द की जानी चाहिये। मेरे राज्य के लिये योजनायें बनाते समय रायल सीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। इस राशि के अतिरिक्त रायलसीमा में अकाल का मुकाबला करने के लिये वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये और राशि दी जानी चाहिये। अकाल उन्मूलन कार्यों के लिये जो विकास शुल्क अकाल पीड़ित व्यक्तियों पर लगाया जाता है, वह बहुत अनुचित है। उससे उनकी दशा और भी बदतर हो जाती है। विकास शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में रायलसीमा सम्मेलन ने इस नीति का विरोध किया था। विकास शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में भी यह समस्या विद्यमान है। गंगानगर में किसानों के आन्दोलन के बाद यह निर्णय किया गया था कि 3 एकड़ से कम की जोतों को विकास शुल्क से छूट दे दी जायेगी। मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लें और यह न कहें कि यह राज्य सरकार का मामला है। चूंकि राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश दोनों के मुख्य मन्त्री उन के दल के हैं, इस लिये उनको इन दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर दबाव डालना चाहिये कि वे लोगों की मांगों को स्वीकार करें। इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल किया जाना चाहिये।

बेरोजगारी की समस्या से लोग बेहद परेशान है। इस के अतिरिक्त, सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठते हैं। इस सम्बन्ध में मैं हथकर्घा बुनकरों की दशा का उल्लेख करूंगा। हथकर्घा बुनकरों की संख्या लाखों में है। धागे की कीमतों, रसायनों, रंगों तथा दैनिक अवश्यकता की चीजों के मंहगे हो जाने के कारण उन की दशा दयनीय हो गई है। मेरे क्षेत्र में विशेषतया पूलामपट्टी, परोदतातूर तथा जामुलामाडुगा क्षेत्रों में हथकर्घा बुनकरों के पास काम नहीं है। वे बड़ी विकटस्थिति में हैं। इस से भी विकट स्थिति है कामाम तथा गोदावरी जिलों के बुनकरों की, क्योंकि बवंडर के प्रकोप के कारण वे काम करने के अवसरों से भी वंचित हो गये हैं। हथकर्घा बुनकरों की बेरोजगारी तथा अपर्याप्त रोजगार की समस्या देश व्यापी है तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग नियुक्त करके इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल किया जाना चाहिये।

कुड्डपा में आकाश वाणी का एक रेलवे स्टेशन है। जब श्री बी० गोपाल रेड्डी ने इस स्टेशन का उद्घाटन किया था तो यह अश्वाशन दिया था कि इसे पूरे प्रसारण केन्द्र का दर्जा दिया जायेगा। प्रधान मन्त्री ने भी वर्ष 1965 में, जब वह सूचना तथा प्रसारण मन्त्री थी, लोगों को ऐसे अश्वासन दिये थे। मेरा अनुरोध है कि इस केन्द्र को पूरे प्रसारण केन्द्र का दर्जा दिया जाय।

Shri Ramji Ram (Akbarpur): I have heard the speeches of Shri Birla and Acharya Kripalani. I can understand Shri Birla advocating the cause of capitalism and turning it

as socialism, but I was much disappointed to hear Acharya Kripalani whom I used to think a vetern socialist, advocating the cause of capitalism and feudalisms. I fail to understand why he has so much concern above the Privy purses of ex-rulers and has no feelings for the scheduled castes and scheduled tribes.

Sir, the two main obstacles in the way of socialism are belief in astrology and bureaucracy. The leaders, when they want to bring socialism, want to run the administration by seeing auspicious time. The auspicious time may be good for their personal fortunes, but it can not change in the condition of the explioted villagers and labourers, those who are hungry and naked. So in case we want to bring socialism in the real sense, we will have to say good-bye to superstition and belief in astrology.

Next I want to say that unless we have a committed civil service, socialism will remain a dream for us. If you want socialism, a social change in their mental attitude is absolutely necessary. The attitude of the officers is still the same as it was in British day. We talk of socialism but its implementation is left to the officers who have no faith in socialism.

The condition of our villages is extremely miserable and that is why they are compelled to talk of violence. If proper attention had been given to the uplift of the landless and the Adivasis, the present situation would not have arisen. So the time has come when the Government should act in accordance with their professions.

Now I would like to say some thing about education. Unless education is nationalised socialism will remain a mirage. How socialism can be achieved when the sons and daughters of some privileged classes get better education through public schools and the education of children of crores of those unfortunates who do not have even to eat and wear is being ignored and no body bothers about them.

My submission is that article 31 of the constitution, which gives the night to property should be amended. At present there is so much disparity that on one hand people are rolling in wealth and on the other hand crores of people do not even have enough to eat. We have to bridge this gulf and this can be done only by amending article 31 of the constitution. Some nights have been given to the scheduled castes and scheduled tribes by Article 335 regarding public appointments. But the candidates of scheduled castes and scheduled tribes are not appointed on the plea of efficiency of administration. They are rejected because they did not have them education in public schools. I faith understand as to how they lack efficiency when they have degrees and have passed the competitive examinations.

A reference has been made to villages by the President in his Address. I fail to understand as to how the villages can be developed, because under the present circumstances the educated people do not like to live in villages, because there are no hospitals, schools, roads means of recreation and other facilities and moreover life there is not secure. Socialism will remain a mere slogan unless these facilities are given in eight lakh villages of our country, which have so far been completely ignored.

The slogan of indianisation is only a force. Those who talk of Indianisation, whether he be Vajpayee, Shukhla of Trivadi, he lives luxurious life and lives in palacious houses, which the labourers and Harijans do not even have the bare necessities of life or even small huts to live in. If you want to bring socialism, the ceiling on land holdings should be lowered. The Government of Tamil Nadu needs out congratulations, because they have fixed a ceiling of 15 acres.

Socialism cannot be brought in India as unless a ceiling on incomes is fixed.

So far as Urdu language is concerned, I would like to say that hon. President has power to declare any language at a regional language under Article 347 of the Constitution. A deputation from Uttar Pradesh met him in this connection but nothing has been done so far. In order to bring socialism in the Country Government must raise the living condi-

tions and the standard of living of the minorities, backward classes and of the people living in eight lakh villages.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : It is a matter of great regret that the true picture of the nation has not been depicted in the Address of the President. It has been stated therein that government is determined to establish a justful and humane social system in the country quickely and that special attention will be paid towards the poorer sections of the society. How the Government is acting on this thing is clear from the two budgets which have been presented to the House. In the Railway Budget, more burden has been put on the thirdclass travellers. Freight on essential commodities such as foodgrains, pulses, etc., have been increased. People will have to pay more for sugar, kerosene oil and edible oils. The family budget of the salaried people have increased from rupees 30 to rupees 100 per month and this increase will result in the demand for more dearness allowance and interim relief. These are few signs of socialism which the government wants to bring in India.

No person who have knowledge of economics will deny the fact that prices will increase as a result of imposition of new taxes of 200 crores of rupees and of resorting to deficit financing to the tune of 225 crores of rupees. Shrimati Indira Gandhi may say any thing but it is a hard fact which must be accepted.

The political morale of the Prime Minister can be judged from the fact that she worked for the defeat of the person whose election paper she herself had filled in. One cannot draw a parallel example to their political immorality.

Shri Shinkre (Panjim) : Shri S. K. Patil has remarked in his speach that there was no substance in President's Address. There can be no two opinions about it. There is nothing except appreciation of Shrimati Indira Gandhi in the Address. Nothing has been said about the national and international policies.

Shri Hanumanthaiya has put all the blame on Maharashtra state for the Mysore-Maharashtra border dispute. He branded Maharashtra as aggressor and expansionist. Our cannot check parochialism and linguistic troubles, if such speeches are made by the leaders themselves. Shri Hanumanthaiya should have shown restraint in this respect. He should not have forgotten that Maharashtra has given birth to Sarvashri Tilak, Ambedkar Gyaneshwar, Tukaram and Shivaji. I would request him to show restraint while speaking on behalf of the Government.

So fas as Mysore-Maharashtra border dispute is concerned, I may say that Maharashtra was one time prepared to part with six hundred sq. miles of its territory. It demanded an appointment of a commission for solving this dispute. The commission was appointed but its recommendations were not implemented. According to its recommendations, Mysore had to part with thirteen sq. miles of its Marathi Speaking area. This problem is hanging fire because Mysore is not prepared to part with and even an inch of its territory.

We have been demanding since long that a public sector undertaking should be established in Goa and if that is not possible, then save units in the private sector should be established. Now the Government has given licence to Birlas for establishment of a fertilizer plant. Some hon. Members are criticising it. I would have appreciated them had they asked the Government to establish one undertaking in Goa in the public sector.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : श्री हनुमन्तय्या ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री बड़ी तीव्र गति से समाजवादी क्रांति लाना चाहती हैं, लेकिन श्री हनुमन्तय्या ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यान से नहीं पढ़ा जिसमें राष्ट्रपति ने कहा है यह कार्य धीरे-धीरे करना होगा और यह कार्य बहुत बड़ा है तथा हमारे सामने कोई उदाहरण भी नहीं है। आधे सभ्य संसार में 50 वर्ष के समाजवादी अनुभव तथा उपलब्धि के पश्चात, यह

कहना वास्तव में आश्चर्यजनक है कि समाजवादी व्यवस्था पर चलने के लिए हमारे सामने कोई उदाहरण नहीं है। वह और क्या चाहती हैं? वह सर्वोच्च न्यायालय के रुख में परिवर्तन चाहती है, वह चाहती है कि नौकरशाही में सुपुर्दगी की भावना हो तथा लोग परिवर्तन की हवा को महसूस करें। ये सारी मानसिक क्रांतियां किस लिए हों?

मेरे विचार से अभिभाषण में केवल दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिन पर विचार किया जा सकता है—एक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तथा दूसरा है निजी थैलियों (प्रिवी पर्सेज) का प्रश्न।

मैं पूछना चाहता हूं क्या अब तक किये गये उपायों में से कोई भी उपाय शत प्रतिशत समाजवादी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को रद्द कर दिया है तथा साथ ही राष्ट्रीयकरण के अग्रेतर विस्तार के लिए गुंजाइश भी रखी है। इसने कहा कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। कुछ और अधिक करोड़ रुपयों का निवेश करके सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था। एक समाजवादी प्रधान मंत्री जो कि बहुत जल्दीबाजी कर रही हैं और बहुत अधीर हैं तथा तेजी से काम करना चाहती हैं, को सर्वप्रथम यह कहना चाहिये था कि यह है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और इसलिए हम सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। यदि आप हिसाब लगाये तो इसमें केवल कुछ करोड़ रुपये और लगेंगे। लेकिन लाभ तो देखिये। इस देश में बहुत सारा विदेशी धन कार्य कर रहा है। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हमारे चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग हुआ है जिसके विरुद्ध जांच की गई है, यह तथ्य है और इस बात को गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है। यदि सारे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता और उनको सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाता तो देश का राजनीतिक ढांचा विदेशी वित्त से दूषित होने से बच जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में समाजवादी कार्य होता। ये सब समाजवादी नहीं बल्कि उदारवादी नीतियां हैं। आप इस सरकार को तथा प्रधान मन्त्री को अच्छा उदारवादी कह सकते हैं। लेकिन आप इनकी सरकार को समाजवादी सरकार नहीं कह सकते।

मैं आपको एक उदाहरण और दे सकता हूं जिससे आपको पता चल जायेगा कि समाजवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। मैं एक पिछड़े राज्य हैदराबाद से आया हूं। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहां एक स्टेट बैंक था और हमारी रेलवे तथा बस परिवहन सेवायें राष्ट्रीयकृत थी तथा प्रमुख उद्योग सरकारी क्षेत्र में थे तथा सरकार उन उद्योगों में मुख्य भागीदार थी अभी भी आप इसे सामन्ती राज्य कहते हैं भारत में रेलवे तथा डाक सेवाओं को छोड़कर, कितने उद्योग पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में हैं? आपके विचार अभी भी ऐसे हैं कि कुछ राज्यों में कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य राज्यों में ये उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं। क्या यही आपका समाजवाद है? मैं कहता हूं कि यह समाजवाद नहीं है।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर आता हूं। हम सभी गरीब आदमी अर्थात सामान्य व्यक्ति के कल्याण के बारे में चिन्तित हैं। भारत के लोग गांवों में रहते हैं। यदि भारत के लोगों

के बारे में आपको दिलचस्पी है तो आपको कृषक समुदाय में दिलचस्पी लेनी चाहिए। गत 22 वर्षों मे आप भूमि सुधार की बातें करते आ रहे हैं। आज स्थिति क्या है ? इसके लिए न तो विदेशी पूंजी की आवश्यकता है और न ही तकनीकी जानकारी थी, केवल वितरण की संरचनात्मक पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने इस दिशा में क्या किया है ?

हैदराबाद राज्य काश्तकारी सुधार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील था। जब राज्य का विभाजन हुआ था तब एक भाग आंध्र प्रदेश को चला गया था और दूसरा भाग महाराष्ट्र को। यहां तक कि आज भी तेलंगाना में जोत की अधिकतम सीमा आंध्र की जोत की अधिकतम सीमा से कम हैं। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा क्षेत्र में अधिकतम सीमा शेष राज्य के जोत की अधिकतम सीमा से कम है। यहाँ तक कि लोगों के लिए अधिकार अभिलेख भी पूरे नहीं किये गये हैं। क्या गरीब आदमी के प्रति यही आपकी चिन्ता है ? क्या एक समाजवादी राज्य बनाने के सम्बन्ध में आपकी यही चिन्ता है ? मुझे इस सम्बन्ध में बहुत संदेह है।

स्थिति यह है कि अमरीकी लोग, जिनके विशेषज्ञ यहां हैं, भूमि-सुधार के लिये कहते रहे हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। जो हमने इस देश में किया है उससे अधिक समाजवादी कार्य वह था जो मैकआर्थर ने जापान में किया। वास्तव में आज की स्थिति यह है।

भ्रष्टाचार आदि के बारे में लोकपाल नियुक्त करने का प्रश्न गत तीन वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

मेरा सम्बन्ध विशेपकर तेलंगाना के प्रश्न से है। गत एक वर्ष से एक अद्वितीय आन्दोलन चल रहा है। आठ महीने तक सभी स्कूल, कालेज तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय बन्द रहे। ऐसा तो स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में भी नहीं हुआ। गोलियां चली और कई गिरफ्तार हुए तथा 300 व्यक्ति मारे गये, लेकिन न तो इस सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई अदालती जांच करवाई गई। क्या यह न्याय है ? न तो वे छोटे राज्यों के प्रश्न को हल करने के लिए एक आयोग स्थापित करेंगे और न ही यह कहेंगे कि तेलंगाना दिया जाएगा क्योंकि वे शक्ति राजनीति से सम्बन्धित है।

मैं छोटे राज्यों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमने देश को अनेक भाषायी राज्यों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक राज्य यूरोप के एक देश के बराबर बड़ा है। ये साँस्कृतिक तथा भाषा की दृष्टि से संगठित हैं लेकिन अगर विघटन हुआ तो यह इन बड़े राज्यों के कारण होगा।

आप जानते हैं, वियतनाम का विभाजन किया गया है अन्य देशों का भी विभाजन किया गया है। इनका विभाजन बाहरी एजेंसियों द्वारा किया गया है। यहाँ भी देश का विभाजन करने में बाहरी एजेंटों का हाथ होगा। एक चीज उनको जो रोक रही है वह है हमारे समकक्षी चीन का एक बड़े देश के रूप में संगठित होना। यदि एक बार चीन विभाजित हो गया तो हमारा भी विभाजन हो जाएगा। इसलिए मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने की मंजूरी दें और भाषा के आधार पर देश के विभाजन के सम्पूर्ण ढाचे की दुबारा परीक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित करें।

सम्पूर्ण देश में अस्थायित्व लाया गया है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। इससे मेरा सम्बन्ध नहीं। बात यह है कि प्रत्येक राज्य में आयाराम तथा गयाराम चल रहा है और एक अस्थायित्व की भावना है। मैं चेतावनी देता हूँ कि तानाशाही के लिए स्थिति तैयार हो रही है, चाहे यह किसी भी प्रकार की हो। यदि हम प्रजातन्त्रवादी हैं तो हमें इसे रोकना चाहिए।

Shri M. G. Vikey (Mandla) : I support the motion of thanks on the Address of the President put by Shri Hanumanthaiya.

For the first time a reference has been made in the Presidential Address for the uplift of the 85% poor people of India. Mention has been made in the Presidential Address about increasing agricultural production, land reforms, reasonable rent, determination of holdings, distribution of land among landless and provision of essential things for agriculture. It has also been stated in it that Government of India will pay attention towards the problems of drought affected areas, and will encourage industries in the backward areas. Besides, assurances have been given to increase the pay and wages of labourers, to ameliorate their standard of living and their working conditions and to give employment to people and to remove unemployment.

So far as the economic policy of the Government is concerned. it has been mentioned in the Address that more money should be provided for employment and provision should be made for the proper distribution of the wealth, and sources of revenue should be increased. The President has mentioned in this Address that by implementing the land reforms vigorously the programmes for Social and economic uplift of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes will receive encouragement. It is really an unique Address for the backward society.

Inspite of doing everything for the welfare of the Adivasis and Harijans, it is very necessary that they should be safeguarded from exploitation.

I have visited remotest areas and I want to tell you something about Bastar and Jhabua districts.

Six dialects are Spoken in Bastar, but all the officers and workers there belong to North India, who do not understand their languages. The people of Bastar do not possess any wealth and their assets cannot be more than Rupees 25/- in any respect. They are very poor. They possess utensile made of dry pumupkin and Bamboo wood. They do not need to look their doors.

Such poor people are exploited. In Bastar a contract to sell wine was given to a contractor for Rs. 73 lacs who was a resident of Patna, Bihar and who possess 50 jeeps. He has employed armed men for his business. Wine is supplied to these poor people at their doors and they are beaten on non-payment of the Bill. Police and the Excise men are also in collusion with the contractor. The Central Government or the state Government have not paid attention towards them.

Many refugees have been rehabilitated in Dandakaranya and their work is going on alright. Their economic condition has improved. Those refugees have not been rehabilitated by clearing the forests. They have been rehabilitated in the isolated villages for tenancy. Their children are being employeed to take oxes for grazing.

So far as the question of giving 25% cultivable land or Rs. 2600 to the tribles is concerned the Dandakaranya officials have filled their lands also. In this way these Adivasis are being exploited. No compensation has been paid to those persons whose land was taken by the Dandakaranya people for constructing roads, houses etc. Attention should be paid towards this exploitation.

There are 32 T. D. Blocks in Bastar. Ten lacs rupees are given for one Block. The Adivasis are illiterate. The offices exploit them and deceive them. They say that 50 or 80

percent rebate will be given and ask them to dig well. They take the thumb impression of the Adivasis over Rupees 300. The woık is not completed. When the Adivasis fail to pay their share money their land is put for auction. Today all the co-operative shops are lying vacant, Many Adivasis are being sent to jails for nothing. The defaulters have been saved. Is it tribal welfare ?

Motion has been made, about the 1971 census in the Presidential Address. In 1901 census these were 13090 Adivasis of tribal religion out of one lakh population. Their cases of marriages, adoption and divorce are governed by their own customs. Their land cases are governs by their personal law and therefor, the rules of Hindu Law in this respect do not apply to them. If Hindu Laws are applied, their land goes in civil cases inspite of the provision of Land Alienation Act. In 1911 census, they were 15532 out of one lakh, and in 1921 census 13229, in 1931 ceusus 10945, in 1941 census 22597, in 1951 census 5 and in 1961 census zero. Then where the Adivasis religion has gone ? What has happened to them ? Whether they have died ? In this way the census officials have abolished their religion. Therefore, I emphasise that in the census of 1971, the census officials should write "tribal religion" against the names of the Adivasis so that their land may not be taken from thems and there should not be civil cases pending in the courts and the legal decisions are not made against them.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 4 मार्च, 1970/13 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 4th March, 1970/Phalguna 13, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.

P.L.S. 48. XXXVI. 10. 70 (N)
340

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।

© 1969 BY LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and printed by the Manager, Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.